राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्टम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

बुधवार, दिनांक 4 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए उस अध्यादेश को, जिसके द्वारा राज्यपाल महोदय ने श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया है जिसके समक्ष श्री कल्याणसिंह कालवी, विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे प्रतिज्ञान करेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे, सचिव पढ़कर सुनायेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

निर्वाचित सदस्य का बिना शपथ लिये या प्रतिज्ञान किये सदन में बैठने का अधिकार

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : I object, Sir भारतीय संविधान के आर्टिकल 188 के अन्तर्गत जब तक कोई इलेक्टेड मेम्बर राज्यपाल महोदय या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से शपथ नहीं ले ले इस सदन के परिसर में नहीं बैठ सकता । इसलिए वे इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : अजनबी हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : He cannot sit in the House. He is a stranger. इस सम्बन्ध में हाइ कोर्ट की व्यवस्था हो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मैं समझता हूँ कि ये शपथ ग्रहण करके आये हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : असेम्बली के अन्दर कोई भी व्यक्ति शपथ ग्रहण किये बगैर नहीं बैठ सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपना निर्णय दे दूंगा । मैं माननीय कालवी साहब से निवेदन करता हूँ कि वे शपथ ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : काला कोट पहनने से कुछ नहीं बनता । आप बैठ जाइये । आर्टिकल 188 आप पढ़ लीजिये ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य

(श्री किशनसिंह भाटी)
किसी को डाइरेक्ट एड्रेस नहीं कर सकते कि आप बैठ जाइये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। मुझे एतराज नहीं है कि कालवी साहब इस सदन में नहीं बैठे। कालवी साहब निर्वाचित होकर आये हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की भी पालना हो। यह भी अत्यावश्यक है और इसी के अनुरूप आर्टिकल 188 के वर्डिंग ये हैं–

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe......."

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : शपथ लेकर इनको बैठना चाहिए था।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : Taking his seat does not mean that he should not enter the House.

श्री मदनसिंह दांता : He has a right to sit here.

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यहां बैठे हुए हैं, वे स्ट्रेन्जर हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप जारी रखिये। आर्टिकल 188.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Article 188 says :—

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

श्रीमान् "before taking his seat in the House."

मतलब यह है कि असेम्बली सैशन में हो तो कोई भी व्यक्ति, जिसने ओथ नहीं ली हो, परिसर में नहीं आ सकता।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पहली बार आये थे उस समय हमने भी यहीं पर शपथ ग्रहण की थी।

श्री मूलचन्द डागा : उस समय असेम्बली नहीं चल रही थी।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : That is invitation.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप जो कहना चाहते हैं, कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, ये लोग बीच में बोल रहे हैं। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 5 में यह अधिकार दिया गया है जो संविधान में नहीं दिया गया

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
है। कोई भी प्रावधान जो संविधान के विपरीत जाता है वह इनइफेक्टिव हो जाता है। रूल 5 यह है कि—

"A member who has not already made and subscribed an oath or affirmation, in pursuance of Article 188 of the Constitution, may do so at the commencement of a sitting of the House, or at any other time of the sitting of the House, as the Speaker may direct, on any day after giving previous notice in writing to the Secretary."

इस रूल 5 के अन्तर्गत जो शपथ ग्रहण का अधिकार है वह वाइड है, राज्यपाल को अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, he may be anybody else, इस काम के लिए आथोराइज कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा आथोराइज्ड व्यक्ति के सामने जब तक शपथ ग्रहण नहीं करें वह कानूनी तौर पर इस सदन में नहीं आ सकते। श्रीमन्, जब असेम्बली चालू हुई थी तो आर्टिकल 188 के तहत यह अधिकार दिया गया था कि मैम्बरों को ओथ दिलाई जावे। यह कहें कि हमने इस कमरे में ओथ ली है, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि असेम्बली चालू हो चुकी है आज 11.00 बजे और कोई भी मैम्बर बिना ओथ लिये इस परिसर में नहीं बैठ सकता है और बैठता है तो इल्लीगल है। मैं समझता हूं कि संविधान की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये जो लोग चुन कर आये हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको सुन लिया है। कृपया बिराज जाइये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सदस्य विधान सभा के परिसर में बिना ओथ के नहीं बैठ सकता—

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य ढाबरिया जी की जो सीट खाली हुई थी उसके स्थान पर माननीय सदस्य चुनाव आयोग के आदेश से चुने गये हैं। इनको या तो अलग सीट पर बैठना चाहिए था या शपथ लेने के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर बैठना चाहिए था। इनके लिए पहले किसी स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसमें भूल हो गई है। यह एक कानूनी मुद्दा है। आयन्दा भूल नहीं हो इसके लिए डायरेक्शन दिये जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)। मान्यवर, जो प्रश्न उठाया है—

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में विधान सभा और संसद् में यह प्रश्न आज तक नहीं उठा। यह प्रश्न जब उठा है तो मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं। ऐसा ही एक प्रश्न एक बार हाउस आफ कामन्स में भी उठा था। एक माननीय सदस्य चुनकर आये उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पूर्व ही स्थान ग्रहण कर लिया। प्रश्न यह उठा कि उनको कैसे सदस्य माना जाय, यदि नहीं माना जाय तो वे क्या हैं? दोनों पक्षों को सुनकर और विधि विधान को देखकर बाद में यह तय पाया गया कि

Page No 4

(५)

(श्री रामनारायण चौधरी)

निर्वाचित सदस्य हाउस आफ कामन्स में एण्ट्री तो ले सकता है, he cannot be treated as a stranger, but there should be some separate arrangement for his sitting. He cannot take his seat as a member of the Parliament.

वह हाउस आफ कामन्स की सीट नहीं ले सकता। तब प्रश्न उठा कि क्या हो ? तब यह तय हुआ कि स्पीकर साहब के पास या जहां सैक्रेटरी साहब बैठते हैं वहां पर माननीय सदस्य की सीट का इन्तजाम किया जाय। माननीय स्पीकर महोदय द्वारा उनको शपथ ग्रहण करवाने के बाद ही माननीय सदस्य हाउस आफ कामन्स में सीट आक्यूपाई कर सकते हैं। उस समय यह भी तय हुआ कि अब क्या किया जाय। एज ए स्पेशल केस, क्योंकि यह प्रश्न पहली बार उठा था कि माननीय सदस्य स्ट्रेन्जर हैं इसलिये इसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए।

यह इस हाउस का और माननीय सदस्य का प्रश्न है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा और दूसरी विधान सभाओं में यह प्रश्न पहले नहीं आया। यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। जब तक माननीय सदस्य शपथ नहीं ले लें, तब तक जैसा श्री रामकृष्णदासजी ने बताया, वह सीट को आक्युपाई नहीं कर सकते। 'सीट' से अभिप्राय इस सदन के सदस्य की सीट से है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप आज इसके बारे में व्यवस्था दें, और आगे के लिए भी व्यवस्था करें कि जब तक माननीय सदस्य शपथ ग्रहण नहीं कर लें, तब तक there should be separate arrangement for him जहां पर शपथ लेने के पहले बैठें। आज उनकी कोई सीट नहीं है। जब आप उनको शपथ ग्रहण करवा लेंगे, तब ही उनकी सीट होगी।

श्री मदनसिंह दांता : भाषण की कोई टाइम लिमिट भी है ? जो भी माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकृष्णदास जी ने जो आपत्ति उठाई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में पहले भी इस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, और माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था भी दी है कि कोई चीज, जो नियमों में नहीं है, सदन में चल रही है, वह परम्पराओं के आधार पर चल रही है। माननीय माथुर साहब, माननीय रामनारायण जी और माननीय रघुनाथ विश्नोई पुराने सदस्य हैं, इन्हें अच्छी तरह जानकारी होगी कि आज तक जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें जीत कर आने वाले माननीय सदस्य हमेशा हाउस में बैठे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह गलत हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाई इलेक्शन्स में ज्यादातर आपके ही लोग जीत कर आते थे, परन्तु हमने तो हाउस का डेकोरम मेन्टेन करने के लिये कभी भी इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई। हम भी ऐसी आपत्ति उठा सकते थे, लेकिन हमने हाउस का डेकोरम मेन्टेन करते हुए कभी भी इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई। मुझे एक बार का स्मरण आता है जब इस प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी तो उस वक्त यह व्यवस्था दी गई थी कि जब विधान सभा का सत्र आरम्भ होता है, तो पहला कार्य बैठक आरम्भ होते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
ही होता है शपथ ग्रहण करने का। जब तक शपथ ग्रहण न हो जाये, तब तक हाउस की सिटिंग नहीं होती है। ऐसी रूलिंग हुई है इस सदन में, उसके डिटेल्स तो सचिव महोदय देखकर बता सकेंगे।

जहां तक हाउस में अलग से सैक्रेटरी के पास बिठाने या स्पीकर के पास बिठाने की बात है, मैं समझता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाउस के अन्दर तो फिर भी बैठेंगे ही। वह भी सदन के अन्दर बैठने की डेफीनेशन में आता है। स्ट्रेन्जर की डेफीनेशन में फिर भी आयेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे नहीं आयेंगे? या तो यह कह दें कि शपथ स्पीकर के चेम्बर में होगी। यदि हम मानते हैं कि वह हाउस के अन्दर आकर बैठ सकते हैं, तो फिर यहां बैठें या वहां बैठें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। सदन में प्रवेश करते ही सदन के मेम्बर तो नहीं बन जाते, मेम्बर तो शपथ लेने के बाद ही होंगे। जब आप उनके प्रवेश करने पर आपत्ति नहीं करते, तो फिर कहां बैठें, इस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप आगे के लिये कोई व्यवस्था करना चाहें कि किस प्रकार उनको बिठाया जाये और कहां पर शपथ दिलाने की व्यवस्था की जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1954 में मैं बाई इलेक्शन लड़ा और जीत कर आया। अजमेर असेम्बली का सैशन चल रहा था और मुझे शपथ लेनी थी। शपथ लेने के लिये पहले मुझे बाहर बिठाया गया था और शपथ लेने के लिये मुझे अन्दर बुलाया गया। मैंने माननीय अध्यक्ष के सामने शपथ ली और उसके बाद अपनी सीट आक्युपाई की। This is the way.

श्री मूलचन्द डागा : This is the correct convention which you should follow.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अपने विचार रखना चाहूंगा।

(व्यवधान)

मेरे विचार भी सुन लीजिये।

माननीय मदनसिंह जी दांता, आप बिराजिये।

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस बात का तो समर्थन नहीं करता कि जब तक शपथ नहीं हो जाये, सदन की सिटिंग चालू नहीं मानी जाय। सदन की सिटिंग तो माननीय स्पीकर के अपने आसन पर आने पर ही चालू हो जाती है। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि अभी सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई और वह माननीय सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू मानी जायेगी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। सदन की कार्यवाही तो आप आसन पर आये, तब ही शुरू हो गई।

श्री उपाध्यक्ष ; माननीय सदस्य, आप विराजिये, मुझे अपने विचार रखने दीजिये।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राजगढ़) : अभी मेजर फतह सिंह जी ने जो परम्परा की बात रखी, उसको फालो करना ही ठीक होगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) : मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि कोई गलत व्यवस्था न हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विश्वास रखिये, कोई गलत व्यवस्था नहीं होगी।

श्री बजरंग लाल शर्मा ; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि परम्पराओं की जो बात कही गई, उस पर भी विचार किया जाये, साथ ही इंगलिश लॉ पर भी विचार करें। कान्स्टीट्यूशन के जो प्रावधान हैं, उन पर भी विचार करें, हाई कोर्ट ने जो इस बारे में डिटेल्ड फैसला दिया है, उस पर भी आप विचार करें और उसका अवलोकन करें। उसके बाद आप जो व्यवस्था देना चाहें, वह दें। इंगलिश लॉ और हमारे लॉ में फर्क है। यह भी उस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। अदालत के फैसले का सम्मान रखते हुए, उससे कन्सिस्टेंट व्यवस्था होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : कोई भी कोर्ट हमारी कार्यवाही को रेग्युलेट नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मानता हूं कि सदन में किस प्रकार से कार्यवाही का संचालन हो, इसके बारे में पूरा अधिकार माननीय सदस्यों और माननीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित माननीय अध्यक्ष को है। फिर भी जिस फैसले का जिक्र शर्माजी ने किया है, वह भी मैं देख लूंगा।

अभी मैं कालवी साहब को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बारे में जो पूर्व में परम्पराएं रही हैं, हाउस आफ कामन्स में क्या प्रेक्टिस रही है, अपनी विधान सभाओं में और लोक सभा में क्या परम्पराएं रहीं हैं, उन सब को देखकर मैं आवश्यक निर्णय दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप पहले निर्णय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मुझे पूरा सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी की बात मानी जाये कि शपथ ग्रहण होने के बाद ही सदन की कार्यवाही प्रारम्भ मानी जाये, तो फिर आप माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई संवैधानिक आपत्ति पर अपना निर्णय कैसे दे सकते हैं, वह भी शपथ ग्रहण करने के बाद ही दे सकते हैं। नियम 5 इस बारे में बिल्कुल साफ है। जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में पहले ही शपथ न ले चुका हो या प्रतिज्ञान न कर चुका हो, वह सचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर किसी भी दिन सदन की बैठक के प्रारम्भ अथवा सदन की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, ऐसा कर सकता है।

Page No 7

(7)

(श्री शंकरलाल)
शपथ दिलाने के बाद डिसीजन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए या तो जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाया है वह डिसीजन लीजिए या कोई दूसरा निर्णय देना चाहते हैं तो वह अध्ययन करके दे दें।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 4 अक्टूबर को यह सभा बुलाई है। राज्यपाल महोदय के निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है और उसके विपरीत निर्णय नहीं लिया जा सकता। सभा 11 बजे बुलाई गई है और सभा की कार्यवाही चालू हो चुकी है। यदि आप श्री कालवी साहब को शपथ दिलाना चाहते हैं तो या तो समय निश्चित कीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शंकरलाल जी ने जो रूल 5 का इन्टरप्रिटेशन लिया है उसके वर्ड्स हैं at the commencement। इसका मतलब यह है कि कमेन्समेन्ट हो चुका है। इस संबंध में जो भी इन्टरप्रिटेशन लेना चाहें कि कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं हुई है तो कार्यवाही तो शुरू हो चुकी है। सदन की कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। अब मैं माननीय कालवी साहब को at the commencement of the sitting प्रतिज्ञान अथवा शपथ दिलाना चाहता हूं। इसके लिए मैं माननीय कालवी साहब को आमन्त्रित करता हूँ कि वह आकर शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करें। इसके पहले कि कालवी साहब शपथ लें...

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपका निर्णय हो चुका है तो उसके बाद कैसे बोला जा सकता है।

श्री मथुरा दास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको शपथ दिलाने का अधिकार नहीं है इसलिए आपने जो रूलिंग दी है उस सम्बन्ध में आपके और सदन के प्रति निष्ठा रखते हुए कहना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्य को शपथ के लिए बुला रहे हैं वह गैर कानूनी है। आपको न माननीय सदस्य को न बुलाने का अधिकार है और न शपथ दिलाने का अधिकार है। जब तक राज्यपाल महोदय द्वारा आपको अधिकार न दिया गया हो और उसकी घोषणा माननीय मंत्री महोदय इस सदन में न कर दें, तब तक आपको वह अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले वह अधिकार यहां घोषित किया जाये। उसके बाद ही आप इस आसन से उनको काल कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका करेक्ट करना चाहता हूँ। जो प्राथमिक आपत्ति उठाई गई है कि शपथ नहीं दिला सकते उसके लिए निर्णय दिया है। लेकिन इसके पूर्व कि वह शपथ ल जो कार्यवाही उसके लिए जरूरी है वह की जायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : आपको अधिकार मिलने के बाद ही आप उस आपत्ति का हल कर सकते हैं उसके पहले नहीं कर सकते। आपकी रूलिंग इस संबंध में हमें अमान्य है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं। सदन में कोई भी पाइन्ट आफ आर्डर रखा जाता है उस पर निर्णय करने का मुझे अधिकार है। मेरा अधिकार किसी

Page No 8

(8)

(श्री उपाध्यक्ष)
के अधिकार से बाध्य नहीं है। मैंने निर्णय लिया है शपथ के बारे में और वह अधिकार के हिसाब से लिया है। मैं इसके लिए अपने आपको सक्षम मानता हूं। राज्यपाल महोदय द्वारा आदेश घोषित करने की बात है उसको मैं मानता हूं। जो राज्यपाल महोदय का आदेश है उसे सचिव महोदय को पढ़ने के लिए कहता हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं माननीय माथुर साहब के एतराज को गलत मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा है कि मैं सक्षम हूं इस बारे में।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको अधिकार दिया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा शपथ दिलाने के लिए, जब तक वह सदन में न पढ़ दिया जाये तब तक शपथ दिलाने का अधिकार नहीं होगा। अगर इस व्यवस्था को आप स्वीकार करते हैं तो इसके निश्चित तौर बहुत फार रीचिंग कान्सीक्वेन्सेस होंगे। शपथ जो कि पहले दिलाई गई है और आदेश पढ़कर नहीं सुनाये गये हैं उनका क्या हल होगा ? माथुर साहब का एतराज बोनाफाइड नहीं है।····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज आपने नहीं माना उसके लिए धन्यवाद।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं कालवी साहब को चुनाव में इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ी होगी जितनी यहां थोड़े से समय में लगानी पड़ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : पहले स्पेशल नोटिफिकेशन इन दी गजट हो जाता तो फिर आवश्यकता नहीं थी। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आने वाले हैं, के एतराज से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है. It is not part of the business of the House.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। यह तो चैम्बर में भी डिस्कस कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : मेरा एतराज है कि आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। अगर कार्यवाही आरम्भ हुई मानते हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। राज्यपाल महोदय ने आपको अधिकार दे दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : That is a paper which can be thrown out.

अधिसूचना

श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को श्री कल्याणसिंह कालवी को शपथ ग्रहण कराने के लिये नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष : श्री सचिव महोदय,

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, श्री कल्याणसिंह कालवी को सदस्य के रूप में शपथ दिलवाने अथवा प्रतिज्ञान करवाने के लिए श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को नियुक्त करने से

(श्री सचिव)
संबंधित राज्यपाल महोदय की आज्ञा पढ़कर सुनाता हूं जो कि निम्न प्रकार है :--

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रघुकुल तिलक राज्यपाल, राजस्थान, श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, राजस्थान, विधान सभा को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष श्री कल्याण सिंह कालवी विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

रघुकुल तिलक
राज्यपाल, राजस्थान।"

श्री कल्याण सिंह कालवी।

शपथ

श्री कल्याणसिंह कालवी द्वारा शपथ ग्रहण

श्री उपाध्यक्ष : आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : शपथ लूंगा।

(श्री कल्याणसिंह कालवी ने शपथ ग्रहण की)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न काल में दूसरा कार्य

श्री उपाध्यक्ष : अब ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्न काल साढ़े ग्यारह बजे से प्रारम्भ माना जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में सदन की सहमति लेना चाहता हूं ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूची में क्रम आया है और शोकाभिव्यक्ति का कार्यक्रम है, मैं उसको बाद में लेना चाहता हूं, पहले प्रश्न लेना चाहता हूं। क्या सदन की सहमति है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परम्परा के विरुद्ध होगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यहां एक एक मिनट का कितना पैसा खर्च होता है यह उनको पता है ? इस तरह से सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सदस्यों को इस बात का ध्यान नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्वर्गीय श्री ताराचन्द, विधान सभा सदस्य तथा सर्व श्री जयेन्द्र सिंह व गोपाल लाल पुरोहित, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य को श्रद्धांजलि।

श्री उपाध्यक्ष : अब विधान सभा के निम्नांकित सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जायगा:--

1. श्री ताराचन्द, सदस्य विधान सभा

2. श्री जयेन्द्रसिंह, सदस्य, प्रथम राजस्थान विधान सभा

(श्री उपाध्यक्ष)

3. श्री गोपाल लाल पुरोहित, सदस्य द्वितीय राजस्थान विधान सभा।

मैं सदन के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में अपने विचार रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ताराचन्दजी इसी विधान सभा के सदस्य थे। उनका जन्म सन् 1919 में हुआ था। प्रारम्भ से ही वे हरिजन सेवा में अपने जीवन का बहुत समय लगाते रहे। नगर विकास न्यास, भरतपुर के वे सदस्य रहे। इस बार रूपवास निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने गए। स्वतंत्रता आन्दोलन में भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। सदन में काफी लोकप्रिय थे, विनोदी भी थे। आपस में बातचीत में उनका जिस प्रकार का व्यवहार था वह व्यवहार भी बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। दुर्भाग्य से दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। हम सबको इस बात का बड़ा दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवार के दुःख में हाथ बंटाने की दृष्टि से हम सब अपना संवेदना संदेश उनको भेजते हैं।

इसी प्रकार से श्री जयेन्द्रसिंह सन् 1952 से 1957 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं। उनका भी अभी पिछले दिनों देहावसान हो गया। वे काफी दिनों से बीमार थे। मैं भी उनके साथ 1952 से 57 तक सदस्य था। वह बहुत ही विनोदी थे। हर दिन हर समय नई नई बातें आपस की हंसी मजाक में वह रख सकते थे। इस प्रकार की बातों के एक इनसाइक्लोपीडिया थे। उनकी बीमारी के दिनों में मैं एक बार उनसे मिलने गया था, उस समय भी उनकी वही विनोदमयी भाषा थी। मुझे खेद है, सदन को भी खेद है कि उनका भी देहावसान हो गया। उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और साथ ही उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना अपनी ओर से प्रेषित करनी है।

श्री गोपाल लाल पुरोहित, द्वितीय विधान सभा के लिए मेड़ता सिटी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। सदस्य के नाते सदन में उनका भी व्यवहार, जिस प्रकार का मैंने देखा है, बहुत ही संजीदा था। उनका भी देहावसान हो गया। मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही उनके शोक संतप्त परिवार के दुःख में हाथ बंटाने के लिए अपना संवेदना संदेश भेजेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने इस सदन के वर्तमान सदस्य माननीय श्री ताराचन्दजी, प्रथम विधान सभा के सदस्य श्री जयेन्द्रसिंहजी और द्वितीय विधान सभा के माननीय सदस्य श्री गोपाल लाल जी पुरोहित, तीनों का देहावसान हो जाने पर जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं मेरी और मेरे दल की ओर से माननीय नेता महोदय के प्रस्ताव के साथ अपनी भावनाओं को शामिल करता हूं।

माननीय श्री ताराचन्दजी इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। रूपवास, जिला भरतपुर से वे चुने गए थे। वे अच्छे

(श्री रामनारायण चौधरी)

सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। हरिजनों में उन्होंने अपने जीवन भर काम किया। राजस्थान के अन्दर एक अच्छे कार्यकर्त्ताओं में से वे थे।

श्री जयेन्द्रसिंह जी प्रथम विधान सभा के सदस्य और गोपाललाल जी पुरोहित दूसरी विधान सभा के सदस्य थे।

इन सभी माननीय सदस्य साहबान, जो आज इस संसार में नहीं हैं, के परिवार के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक व्यक्त करता हूं, दुःख प्रकट करता हूं और परम पिता परमात्मा से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को यह शक्ति दें कि वे उनके अभाव को सहन कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने इस अवसर पर जो भावना प्रकट की है उस भावना के साथ मैं भी अपनी भावना जोड़ना चाहता हूं।

श्री ताराचन्दजी मौजूदा सदन के सदस्य थे। उनसे बहुत परिचित न होते हुए भी जो सदन के माननीय नेता ने उनके बारे में कहा है और जो कुछ हम थोड़े दिनों में उनके सम्पर्क से समझ पाये हैं, उससे प्रतीत होता है कि वे होनहार युवक थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से, खास तौर से पिछड़े हुए लोगों, जिनके कि वे नुमाइन्दे थे, का काफी नुकसान हुआ है और उसकी पूर्ति साधारणतया करना असंभव होगा।

श्री जयेन्द्रसिंह सन् 1952 से 57 तक इस धारा सभा के सदस्य थे। उस वक्त मैं भी इसी धारा सभा का सदस्य था। वे बहुत ही हंसमुख थे और हमेशा हम लोगों से चुटकियां लिया करते थे। आज भी मुझे कई बाते याद हैं। जब कभी भी वे यहां पर आये हमेशा वे जिन्दगी को बहुत ही हंसी खुशी से बिताना चाहते थे। जो भावना सदन के नेता ने इस वक्त जाहिर की है कि वे बीमारी के समय में भी और मरते दम तक हंसी मजाक करते रहे और हंसी मजाक के साथ ही गुजर गये, यह बहुत ही सराहनीय बात है कि मुसीबत में, बीमारी में वे अपने आप को, अपनी आदत को कायम रख सके।

श्री गोपाललाल पुरोहित मेरे बहुत घनिष्ट मित्र रहे हैं, हमराही रहे हैं, हम विचारों के रहे हैं और मेड़ता सिटी की म्युनिसिपेलिटी के वे प्रेसीडेन्ट भी रहे हैं। मेड़ता के विकास में उनका काफी हाथ रहा। वे दूसरी विधान सभा के अन्दर सदस्य रहे। काफी वर्षों से लकवा होने से बीमार थे। उनके एकाएक हमारे बीच में से चले जाने से जो क्षति हुई है उसको पूरा करना असंभव है।

मैं इन तीनों साथियों की आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति सम्वेदना जाहिर करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से माननीय ताराचन्दजी, जो विधान सभा के सदस्य थे और हमारे जिले से चुन कर आये थे, प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और माननीय जयेन्द्रसिंह जी और गोपाल लाल जी पुरोहित के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय ताराचन्द जी, जो रूपवास से चुन कर आये थे, के साथ कई बार बैठने का मौका मिला था। वैसे तो तीनों ही माननीय सदस्य इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वे राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में रहे हैं। ऐसे साथी, जो समाज के लिये अपने क्षेत्रों में काम करें, यदि हमसे बिछुड़ जायं तो हमारा दुखी होना स्वाभाविक है और हमारे लिये कष्टदायक भी है। जिस प्रकार उनका बिछोह हमारे लिये कष्टदायी है उसी तरह से उनके परिवार वालों के लिये भी कष्टदायक है। उनके बिछोह से उनके परिवार वालों को जो दुःख महसूस हो रहा है उसके लिये मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसको उचित समझते हुए हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार के सदस्यों को वह ताकत दे जिससे वे इस दुःख को सहन कर सकें।

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक ताराचन्द जी, जो रूपवास क्षेत्र से चुन कर आये थे, का एक दुर्घटना में देहान्त हो गया, यह हमारे लिये खेदजनक है। वैसे तो उनके काम का पता इसी से लगता है कि जिस इलाके ने चुन कर उनको भेजा था, उसी क्षेत्र के काम में वह दुर्घटनाग्रस्त हुए उनके यहां आने से उनको नजदीक से देखने का भी अवसर मिला था। वे एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे।

श्री जयेन्द्र सिंह व श्री गोपाल लाल पुरोहित के लिये खेद प्रकट हुआ है वह उनकी सेवाओं की ही देन है। ऐसे कार्यकर्ताओं के देहान्त की दुखद घटनायें घटी हैं उससे बहुत बड़ी कमी हुई है। मैं इन दुखद घटनाओं के लिये अपनी तरफ से व अपने दल की तरफ से खेद प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

यह घटनायें दुखद घटनायें थीं, इनसे उनके परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पहले भी जब सुना था तब भी और आज जब हम शोक प्रकट कर रहे हैं तब भी काफी दुःख होता है। जो दुर्घटना घटती है उससे तो कोई शक्ति नहीं बचा पाती। सिवाय दुःख प्रकट करने के कोई चारा नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि उनके परिवार को वह शक्ति मिले जिससे वे इस दुःख को सहन कर सकें। जो काम वे कर गये है राजस्थान के इलाके में उनसे वे हमेशा के लिये अपनी याद जिन्दा छोड़ कर गये हैं। जब तक उनका काम रहेगा, उनकी याद ताजा रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदन के नेता महोदय ने और विभिन्न दलों के नेताओं नेजो भावना अपने साथियों के प्रति रखी है, उन भावनाओं के साथ मैं अपनी ओरसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से कामना करता हूं कि दिवंगत माननीय सदस्यों की आत्मा को शान्ति तथा उनके परिवार वालों को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो।

श्री ताराचन्द जी से मैं परिचित था। जब मैं उपाध्यक्ष नहीं था तो मैं और वे काफी दिनों तक साथ बैठते थे। उनकी मृत्यु एक दुखद वातावरण में हुई, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यह घटना घटी–यह अत्यन्त ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिस

(श्री उपाध्यक्ष)

उत्साह के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवायें की हैं वे प्रशंसनीय और अनुकरणीय रही हैं।

दूसरे श्री जयेन्द्र सिंह और श्री गोपाल लाल पुरोहित जी की मृत्यु भी खेदजनक है। मैं सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से और अपनी तरफ से उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भी प्रार्थना करता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर तीनों ही आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत माननीय सदस्यों की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अब प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री समरथ लाल।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्न सं.1 बोलो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप डिविजन नम्बर बोल गये।

नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) में गबन का मामला

1. क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) की जनरल पास बुक नं. 11192 में से आपातकाल के दौरान दिनांक 20-7-76 से 12-11-76 के मध्य 8500) रु. की राशि पोस्ट आफिस से निकाल कर गबन की गई? यदि हां, तो राशि किसके हस्ताक्षरों से, किस किस तारीख को कितनी कितनी निकाली गई? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त गबन की जानकारी राज्य सरकार को है? यदि हां, तो अब तक कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि कोई कार्यवाही की गई है तो सारा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त गबन के लिये जिम्मेदार कौन कौन हैं?

(4) प्रशासक, नगरपालिका, राजगढ़ ने आज तक एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं कराई?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कार्यवाही जारी है। पूर्ण होने पर ही जिम्मेदारी निश्चित हो सकेगी।

(4) एफ. आई. आर. दर्ज कराई जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री समरथ लाल : यह एफ. आई.आर. जो दर्ज कराई हैं किसके खिलाफ दर्ज कराई है और कब कराई है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : एफ. आई. आर. गत 1 अक्टूबर को दर्ज कराई गई है। जब तक यह पता न लगे कि इसका अपराधी कौन है तब तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता है कि कौन व्यक्ति दोषी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप ने गत माह एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई तो यह किसके नाम दर्ज कराई है। नाम तो उसमें होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एफ. आई. आर. में जरूरी नहीं है नाम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई है वह पढ़ कर सुना दें इस सदन में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाम तो आया ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि भिजवा देंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि क्या इस मामले में कोई डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई, उस इन्क्वायरी के आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं और कब पहुंचे तथा पहुंचने के बाद क्या कार्यवाही की गई ? यह सब सदन की मेज पर रखें।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह रख दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बतायें, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कब कराई ?

श्री भंवर लाल शर्मा : श्रीमन्, जिसे गबन कहा जाता है इसका जो समय है वह 20-7-76 से 12-11-76 के बीच में बताया जाता है। यह समय वह है जब यह कहा जाता था कि देश में अपराध नहीं हो रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रश्न था, उपाध्यक्ष महोदय, उसका तो उत्तर दे दें। क्वेश्चन आवर में जवाब देना चाहिये न कि भाषण।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एफ. आई. आर. क्यों नहीं टाइम पर दर्ज कराई गई ?

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं आपातकाल का नाम लेकर····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जायें आप। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य, बिराज जायें···

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं··

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेंट्री के दौरान कोई भाषण नहीं होना चाहिये। मैं मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)
महोदय से निवेदन करूंगा, सप्लीमेंट्री का उत्तर देते हुए वही बात कहें जो तर्कसंगत हों।

श्री समरथलाल : आपने फर्माया कि पिछले महीने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कौन सी डेट को कराई है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं किस बात से आपको उत्तेजना हो गई। मैं तो यह चाहता था···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा यह है कि इस सम्बन्ध में इस घटना के बारे में जितनी जानकारी मिले उतना अच्छा है। कोई बात छुपाने का कारण नहीं है। इसलिए मैंने समय बताया, किस समय अपराध हुआ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप तारीख बता दीजिए। नगरपालिका का जो प्रेसीडेंट था क्या उसने जनसंघ के टिकट से चुनाव लड़ा था ? यह बता दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : जो मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया था उसका उत्तर नहीं आया।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : जिसने गबन किया, वह किस पार्टी का था ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, सप्लीमेंट्री का उत्तर दीजिए, किस तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज की गई ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि सदन उत्तर चाहता है तो मेरा निवेदन है उसके लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। बीच में डागा साहब बोल गये।

यह एफ. आई. आर. जो दर्ज कराई है, 29-9-78 को यहीं से डिस्पेच हुई है..

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या यह सही है जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है तब दर्ज कराई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सही है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपकी सरकार सोई हुई थी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सारी जानकारी दे देता हूं। यह जो अपराध है वह इमर्जेन्सी के समय का है। अपराध का इमीडियेट पता लगा नहीं। कर्मचारियों के पी. एफ. का बैंक में रुपया जमा था, बैंक से रुपया निकालने वाले नगरपालिका के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे वे पैसा निकालते थे व कैश बुक में जमा नहीं कराते थे। कैशियर को मालूम नहीं होता था। जब आडिट हुआ उसके बाद यह बात सामने आई···

एक माननीय सदस्य : चैयरमैन कांग्रेस के थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इमर्जेन्सी में नगरपालिका के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी के नहीं हो सकते थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह 71-72 के चुनाव की बात है। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आपको कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। सदन में बण्डल मारने से कोई

(16)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
फायदा नहीं है। आपकी जनता पार्टी का मेम्बर है। 72 के अन्दर जनसंघ से....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पार्टी की बात छोड़िये।

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने गबन किया।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मोरारजी देसाई के लड़के के खिलाफ क्या बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ! श्री गुलाब चन्द।

श्री शंकरलाल : गबन करने वाले..

श्री समरथ लाल : 29 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई है। यह 2 तारीख को हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको अधूरी सूचना नहीं मानता। मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त मानता हूं।

उदयपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के मामले

2. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में इस वर्ष सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं की पूर्व निर्धारित तिथियां क्या थीं ?

(2) क्या इन तिथियों पर परीक्षाएं सुचारु रूप से हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों और किन-किन तिथियों पर उन्हें किया गया ?

(3) इन परीक्षाओं की तिथियां विद्यार्थियों के दबाव या परीक्षकों की असुविधा या प्रशासनिक अक्षमता, इनमें से किस कारण से बार-बार बदली गई ?

(4) परीक्षाओं की तिथियां कितनी बार बदली गईं ?

(5) विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस स्थिति को ठीक करने के लिए अब क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) उदयपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की पूर्व निर्धारित तिथियां इस प्रकार थीं :–

1. सेमेस्टर परीक्षा–2 जनवरी, 1978।
2. स्नातक परीक्षा–28 अप्रेल, 1978।

(2) जी नहीं। परीक्षाओं की तिथि को बढ़ाने की छात्रों की लगातार मांग के कारण परीक्षायें निम्न प्रकार ली गईं :–

1. सेमेस्टर परीक्षा–10 अप्रेल, 1978।
2. स्नातक परीक्षा–8 मई, 1978।

(3) परीक्षाओं की तिथियां, विद्यार्थियों के निरन्तर आग्रह पर बदली गईं।

(4) सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियां चार-चार बदली गईं और स्नातक परीक्षाओं की तिथि एक बार बदली गई।

(5) अब सभी परीक्षायें हो चुकी हैं। भविष्य में परीक्षायें समय पर हों, इसके लिए

(श्री भंवरलाल शर्मा)
वर्षारम्भ में ही पूरे सत्र के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा जनसहयोग प्राप्त करने के लिए अभिभावकों तथा छात्रों की परामर्श दात्री समिति गठित की गई है जो इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान में सही सहायता करेगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि परीक्षा की तिथियां जो बदली जाती हैं बार-बार उसकी क्या प्रक्रिया है ? कौन तो इन तिथियों को तय करता है और किन-किन लोगों के निर्णय के आधार पर ये तिथियां बदली जाती हैं ? जिसने भी ये तिथियां बदली हैं उसने इस बारे में सोचा है या केवल टेबल पर बैठे-बैठे ही इन तिथियों को बदल दिया, आगे की तिथियां तय करते रहे और उनकी घोषणा करते रहे। पहला सेमेस्टर जनवरी में हो जाना चाहिए था परन्तु एक साल और चार महीने के बाद यह पहला सेमेस्टर पूरा हुआ है, समाप्त हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय सदन को यह बताये कि उसकी क्या प्रक्रिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष यह परीक्षाओं के पोस्टपोनमेन्ट का जो प्रश्न है वह वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रश्न है। चाहे यह समस्या प्रश्न के द्वारा इस सदन में आई हो, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यह केवल उदयपुर विश्वविद्यालय का ही प्रश्न नहीं है, वहां की ही समस्या नहीं है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्व विद्यालय की भी समस्या है। उनमें भी परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर विद्यार्थी इस प्रकार का आन्दोलन करते हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं कि इन परीक्षाओं कि तिथियों को बदलना पड़ता है। इन्जीनियरिंग कालेज में भी परीक्षा की तिथि को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया था ......

श्री मूलचन्द डागा : आप स्पेसिफिक जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है उसका ही उत्तर दें। जनरल भाषण न करें। ये परीक्षाएं क्यों स्थगित हुई, क्या कारण थे और किसलिए तिथियां बदली गई ? यह बता दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय बहुत धीरे बोलते हैं। साफ सुनाई नहीं देता।

श्री रतनलाल शर्मा : मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वैसे परीक्षाओं की तिथि तय करने का काम सिन्डीकेट का है। मगर इमर्जेन्सी में वाइस चान्सलर भी इस प्रकार से तिथियां आगे खिसका कर बाद में सिन्डीकेट की एप्रूवल ले लेते हैं। खास कर जो तिथियां बदली गई हैं उनका कारण यह रहा है.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी तो इमर्जेन्सी नहीं है

श्री भंवरलाल शर्मा : इमर्जेन्सी से मेरा मतलब विशेष परिस्थिति से है।

2 जनवरी 1978 को जो परीक्षाएं होने वाली थीं वे इसलिए आगे बढ़ा दी गई क्योंकि दशहरा और दीवाली के अवकाश को एक साथ मिला दिया गया था। उदयपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे वे

Page No 18

(18)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दशहरा अवकाश में गांव चले जाते हैं। बीच में अवकाश न होने की वजह से उनको वापस आना पड़ता। इसलिए दशहरा और दीवाली की छुट्टियां एक साथ करदी गई। विद्यार्थी बीच में आएंगे तो उनका खर्चा भी होगा और दीपावली के अवकाश निकट होने की वजह से पढ़ाई भी विशेष नहीं होगी। विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए दशहरा दीवाली का अवकाश एक साथ कर दिया गया जो बहुत लम्बा हो गया, पढ़ाई नहीं हो सकी और इसलिए ये तिथियां आगे खिसकायी गई।

दूसरा कारण इसमें यह था कि जो एम. बी. कॉलेज के प्रिन्सीपल थे उन्होंने उस समय कॉलेज की स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया था कि जो निर्धारित तिथि है उसमें परीक्षा नहीं हो सकेंगी क्योंकि परीक्षाओं के लिए इस समय कॉलेज का वातावरण उपयुक्त नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा बुरे का फर्क बतलाओ ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो इस कारण ये तिथियां भी आगे खिसकाई गई।

इसके बाद 20 मार्च को यूथ फेस्टीवल था और 28 मार्च को होली थी। उस समय परीक्षाएं प्रारम्भ होतीं तो विद्यार्थियों को इन आयोजनों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। दूसरा कारण यह था कि विद्यार्थियों का जो कोर्स था वह पूरा नहीं हो सका इसलिए परीक्षा भी स्थगित की गई। ये परिक्षाओं को स्थगित करने के जो कारण थे वे आपके सामने हैं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कटारिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये परीक्षाएं बार बार क्यों स्थगित की गई·····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले यह बताया था कि विद्यार्थियों के दवाब के कारण परीक्षाएं आगे खिसकायी गई परन्तु अब जो उत्तर मिला है उससे यह विदित होता है कि ये परीक्षाएं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण स्थगित की गई है, आगे बढाई गई हैं। यूथ फेस्टीवेल दीवाली, दशहरा के अवकाश ये सब प्रशासनिक कारण है और इनमें विद्यार्थियों की ओर से कोई मांग नहीं है। इसलिए उन व्यक्तियों, जिन्होंने गलत ढंग से यह कार्यवाही की है, के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कृपया मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करें ?

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि दशहरा कब आता है और दीवाली कब आती है ? इन छुट्टियों का बहाना बना कर परीक्षाएं आगे बढ़ाई गई हैं। बाहर के विद्यार्थियों को दुबारा आना पड़ेगा, यह तो केवल बहाना है। ऐसे कितने विद्यार्थियों को आना होगा, क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे ? ये परीक्षाएं छात्रों की मांग के कारण स्थगित नहीं की गई हैं बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण आगे बढ़ाई गई है। इस कारण से कई गरीब परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ है। जो कोर्स एक साल, डेढ़ साल में

Page No 19

(19)

(श्री कौशल किशोर जैन)

पूरा हो जाना चाहिए था वह कोर्स दो साल और साढ़े तीन साल में पूरा हुआ। जो गरीब विद्यार्थी थे उनका पैसा इस बेरहमी से क्यों खर्च किया गया? इसके लिये मेरा निवेदन है, जो प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब ये परीक्षाएं···

श्री बजरंगलाल शर्मा : गुरु मेरे को बोलने दो···

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं माननीय सदस्य हूं, गुरु नहीं।

जब बार-बार आपकी परीक्षाएं स्थगित हो रही थीं उस समय सरकार का क्या दायित्व था? सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? सरकार की क्या पावर्स थीं? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय दो इश्यूज हैं। मूल प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने सदन को जानकारी दी कि विद्यार्थियों की बार-बार मांग के कारण परीक्षाएं आगे बढ़ाई गई परन्तु जो इस प्रश्न पर सप्लीमेंट्री माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये उनके उत्तर में मन्त्री महोदय ने जो कारण बताए सदन को उससे यह साफ मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की कोई मांग नहीं थी। माननीय मन्त्री महोदय के पहले और दूसरे उत्तर में विसंगति है ये उत्तर एक दूसरे उलटे है। इस तरह के उत्तर सदन में मन्त्री महोदय का नहीं देने चाहिए। आपकी अध्यक्षता में मंत्री महोदय एक प्रकार से विसंगत उत्तर सदन को दे रहे हैं इसलिए मंत्री महोदय को ताड़ना आप द्वारा दी जानी चाहिए। सदन में इस तरह से गलत उत्तर आते रहे तो यह गलत परम्परा होगी। मंत्री महोदय ने परीक्षाओं के स्थगन के कारण प्रिन्सिपल की रिक्वेस्ट दशहरा दीवाली के अवकाश को एक साथ मिला देने के बताये, ये ऐसे रीजन्स है जो प्रशासकीय अधिक हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी आपने बना दिए हैं वे गड़बड़ कर रहे हैं। तो दूसरा पर्टीनेन्ट क्वेश्चन यह है कि सरकार इन व्यक्ति विशेष, जो यह गड़बड़ करते हैं, के प्रति क्या कार्यवाही कर रही है? सत्र के प्रारंभ होने के पहले एक सक्यूलर निकाल दिया, आगे के लिए हिदायत दे दी, यह उचित उत्तर नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप मंत्री महोदय, से इसका वाजिब उत्तर दिलवावें।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में परीक्षाओं को बार-बार स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की जा रही है। मैं भी इस राय का हूं कि परीक्षाएं स्थगित नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन दो बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक तो यूनिवर्सिटीज स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। जो भी परीक्षाएं निर्धारित की जाती हैं, या स्थगित की जाती हैं उनमें सरकारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यूनिवर्सिटीज से इस सम्बन्ध में बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार उनके कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। आज इस प्रकार का कानून बना हुआ है। उस कानून के अन्तर्गत हम कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं, यह विधि की व्यवस्था है, जो देखने की बात है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक बार जो परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी जाए वह बाद में स्थगित नहीं होनी चाहिए। इसके कारण कई विद्यार्थियों को हानि होती है। परीक्षाओं को बार-बार स्थगित करने से उनका मानस नहीं बन पाता है···

श्री श्योपतसिंह मकासर : वे कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय यह समस्या पूरे देश की समस्या बनी हुई है। सब यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार की स्थिति चल रही है। चाहे वह बंगाल हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यू. पी. हो, चाहे दिल्ली हो सब जगह इस प्रकार की स्थिति है···

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी का राज्य आने से यह हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागाजी, जहां आपका राज्य है वहां भी यही हाल है।

श्री मूलचन्द डागा : आप दूसरे प्रान्तों से तुलना मत कीजिये। राजस्थान में क्या हो रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जब बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न का उत्तर आप देने दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्वेश्चन का उत्तर दें। आप भाषण नहीं दे सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लीडर आफ दी हाउस जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस प्रकार से माननीय सदस्य का उपचार नहीं होता है उसी प्रकार से जब तक विधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मैं निवेदन कर रहा था कि जितनी आपने चिन्ता प्रकट की हमें भी उतनी ही चिन्ता है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि परीक्षाएं निश्चित तिथि पर हों और उनका स्थगन कहीं पर भी न हो। हमने वाइस चान्सलर से भी कई बार बातचीत की कि परीक्षाएं किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भविष्य में इसका और ध्यान रखेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भविष्य का क्वेश्चन नहीं रखा है। क्वेश्चन पिछली बातों के लिए है। आपने पीछे गलती क्यों की?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने गलती नहीं की है। यूनिवर्सिटीज ने स्थगित की हैं परीक्षाएं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब आपकी चिन्ता से क्या फर्क पड़ने वाला है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यूनिवर्सिटीज आटोनामस बोडीज हैं। उनको हम कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आर्डर नहीं दे सकते, कोई निर्देशन नहीं दे सकते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : निर्देशन देते तो यह समस्या नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यूनिवर्सिटीज का बिल आ रहा है उसमें संशोधन करके सरकार को पावर्स दें तो हम इन समस्याओं को समाप्त कर देंगे।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : मैं इस बात को मानता हूँ जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि यह एक ऐसी बाडी है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त लड़के आन्दोलन करते हैं उस वक्त आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? तो उसके बारे में सरकार को बताना चाहिये। यह गम्भीर मसला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, आपने काफी सप्लीमेंट्री पूछ लिये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह जो तिथियां तय हुई हैं क्या सिण्डीकेट को बुलाकर तिथियों को एप्रूव कराया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वाइस चान्सलर आपकी बात नहीं मानते हैं तो चेंज कर दें कानून में और चेन्ज करके पावर्स ले लें।

श्री अब्दुल अजीज : It is total failure of the Government.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न-काल में अन्य कार्य

श्री मूलचन्द डागा : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, 11॥ बजे तक तो चर्चा चल रही थी कालवी पर उसके बाद आधा घण्टे में अभी दो प्रश्न भी नहीं हुए हैं जब कि प्रश्नोत्तर-काल एक घन्टे का होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि प्रश्नोत्तर-काल एक घन्टे का रखा जाय। मेरा बिजली के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सारे राजस्थान से ताल्लुक रखता है। आप समय को कर्टेल करना चाहते हैं।

श्री ईशवरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष, नियम 29 बहुत साफ है। आप नियम 29 पढ़ने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : समय कम नहीं किया जा सकता है। Discipline must be maintained at all costs.

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा किसानों को बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इसी कारण से यह बिजली का सवाल हाउस में लाये हैं .....

श्री ईश्वरचन्द्र : Our rules are very clear. आप अदरवाइज डाइरेक्ट न करें। कम से कम एक घन्टा पूरा प्रश्नों के लिए रखें। कम से 5 क्वेश्चन तो लें। बिजली वाला सवाल इम्पार्टेन्ट है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किस कारण से यह कटौती हो रही है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर में कमी नहीं करें। मेरा एक इम्पार्टेन्ट प्रश्न है रोडवेज के बारे में। नं. 13 तक तो चलने दें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : हमें प्रश्न पूछने भी दें औरों के प्रश्न भी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सुनने की कृपा करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पिछली बार भेड़ों को इन्होंने परेशान किया और अब भेड़ें इनको परेशान कर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि हाउस के फर्स्ट आवर को क्वेश्चन के लिए अलाट किया गया है, और हाउस आफ कामन्स में भी एक घन्टे की निश्चित अवधि है। यदि उसमें दूसरा कार्य भी किया जाय तो वह उस एक घन्टे में सम्मिलित समझा जायगा। क्वेश्चन आवर बढ़ाया नहीं जाता है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि यह नियम हाउस आफ कामन्स में भी है कि क्वेश्चन आवर को नहीं बढ़ाया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: वह दूसरे बिजनेस नहीं लेने देकर है। आपने उसमें दूसरा बिजनेस लिया उसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि क्वेश्चन आवर काट दिया जाय।

श्री सुखलाल सेणचा : आधा घन्टा तो कालवीजी के शपथ लेने में ही लग गया। बिजली के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसको आप नहीं लेने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी राय में क्वेश्चन आवर नहीं बढ़ाया जायगा। क्वेश्चन आवर समाप्त होने की मैंने घोषणा कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा: पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो चुका है। पाइंट आफ आर्डर।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप कृपा करके इस पर आदेश दे दें।

श्री सुखलाल सेणचा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बिजली के प्रश्न को ले लें।

श्री ईश्वर चन्द्र : श्री कालवी प्रश्नोत्तर काल के लिए काल साबित हुए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : हाउस में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम बता सकेंगे तो

व्यवस्था का प्रश्न

गैर सरकारी सदस्यों के लिये समय का नियतन व कार्य सूची

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों की जिस तरह से उपेक्षा की गई है और यह बिजनेस रखा गया है इसमें सारे नियमों की अवहेलना कर दी गई है। सबसे पहले जो आपका बुलेटिन निकला उसमें यह निकला कि विधायी एवं वित्तीय कार्य निम्न क्रम से लिये जायेंगे। श्रीमान्, एक बुलेटिन तो 22 सितम्बर को मिला और दूसरा 26 को मिला।

श्री मदनसिंह दांता : आपने निर्णय दे दिया, आपने स्पष्ट कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे बोलने तो दें।

श्री मदनसिंह दांता : क्या बोलने दें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा ......

श्री मूलचन्द डागा : आप मुझे सुनिये एक मिनट के लिए। आपने फिर बुलेटिन निकाला, उस बुलेटिन में यह निकाला ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, कृपा करके मुझे सुन लें।

श्री मूलचन्द डागा ; आप महरबानी करके एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका पॉइंट ग्राफ ग्राडर डिसाइड नहीं कर रहा हूं। आप पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उस वक्त रखें जब कि विधायी कार्य लिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : विधायी कार्य का सवाल नहीं है। जो कार्य संचालन के लिए बुलेटिन निकाला है उस बुलेटिन के आधार पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपने 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का कार्यक्रम ......

(व्यवधान)

ठहरो, ठहरो। बात सुनो।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी को .....

श्री मूलचन्द डागा : न तो आपके बुलेटिन के आधार पर कार्य हो रहा है और न नियमानुसार। कोई भी नियम नहीं है। आज सवेरे साढ़े 8 बजे जो कार्य सूची मिली है उसमें यह है कि आर्डिनेंसेज रखे जायेंगे। यह सारा नियमों के विपरीत काम हो रहा है। आपके यहां से जो बुलेटिन निकाल रहे हैं उनमें रूल 23 और रूल 28 की अवहेलना की गई है। आपने एक बड़ा सा बण्डल भेज दिया है। न हम उसको पढ़ सकते हैं न देख सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सचिवालय का काम है। लीडर आफ दी हाउस को फुरसत नहीं थी तो जो अजेण्डा बनाया गया, वह बन गया तो हम को सारी चीजों को भेजनी चाहिए। सारे नोटिस सक्यूलेट होने चाहिए। आपने कई नये आर्डिनेंस लगा दिये। हम उन पर कोई अमेण्डमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई सुझाव

(श्री मूलचन्द डागा)
नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं सकते है। यह सारा संविधान की धाराओं के, नियमों के प्रतिकूल काम इस सदन में हो रहा है। यह सदन का अपमान है। सारे के सारे सदन का अपमान है। हम सदस्य हैं। हम सदन में सुबह से आते हैं। नियमों में यह लिखा हुआ है कि दो दिन पहले नोटिस मिलना चाहिये। आपके रहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही हो तो हम अपनी सही भूमिका कैसे निभा सकते हैं। आपका बुलेटिन देर से आता है। गलत बुलेटिन मिलता है। मैं कहूंगा यह जो शासन चल रहा है, यह जो सत्ता है उसमें यह स्थिति है। मैं यह कहूंगा हमारे लीडरों को या आपको समय नहीं मिला। 4 तारीख के 10-15 आर्डिनेंस बीसों कागजों का एक बण्डल हमारे पास भेज दिया। इस प्रकार से कागजों का सक्यूलेशन नहीं हो। यह नियम नहीं है। इस पर भी आप हमें अमान्य करना चाहें तो फिर आप जानें। यह सदन का अपमान है। इस प्रकार कागजों का बण्डल मिलने से जिस प्रकार से इस पर विचार करना चाहिए उस प्रकार से हम विचार नहीं कर सकते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। यह अपना जो हाउस है, उसमें जनता का दुःख दर्द कहने सुनने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन के द्वारा राज्य सरकार से जनता के दुःख दर्द करने की बातें सुनते हैं। किन्तु चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों उनके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं आता है। तो निराश होकर जो हाउस में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, उनको दूसरा रुख अख्तियार करना पड़ता है। यदि हाउस को चलाना है, अगर हाउस में माननीय सदस्यों को ध्यान से सुनना है और वह जो प्रश्न उठायें उन पर कुछ करना है तो, उपाध्यक्ष महोदय, उन बातों की गहराई में जाना होगा। क्वेश्चन आवर को कम करना हमारे हितों पर कुठाराघात है। राजस्थान नहर का प्रश्न है, बिजली का प्रश्न है। ये आपने ऐसे ही छोड़ दिये हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह किस बात का भाषण हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय . .

(व्यवधान)

यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। किस बात का भाषण हो रहा है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप सदन के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं समझता हूं कि आप हाउस को मेजोरिटी के आधार पर चला लेंगे लेकिन हम अपने राइट्स के बारे में जवाब चाहते हैं।

(व्यवधान)

आपने क्वेश्चन आवर आज कम किया है इसलिए जो क्वेश्चन आज रह गये हैं उन्हें किसी दूसरे दिन रखने की व्यवस्था

(श्री जय कृष्ण शर्मा)
दें ताकि हाउस को सही आधार पर चला सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जय कृष्णजी, मेरी मान्यता है कि आप बहुत उत्तेजित होकर बात कह रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन आवर बढ़ाने के बारे में कि प्रश्न-काल नहीं बढ़ाया जा सकता। जहां तक माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा का प्रश्न है, इस बारे में शंका समाधान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं दृढ़ता से उसका पालन कराऊंगा।

माननीय डागा जी ने जो विधायी कार्य के बारे में बात कही है, मैंने यह खुद महसूस किया है कि काफी विधायी कार्य आज टेबिल पर रख दिया गया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे विधान सभा सचिवालय के अधिकारी सुविधा से सूचनाएं नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर कोई संशोधन या इस बारे में कोई पेण्डिग वर्क हो जो प्रोड्यूस करना हो तो वह इस वक्त भी कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : समय में अमेण्डमेण्ट नहीं दे पाने की स्थिति पैदा हो सकती है। इण्ट्रोडक्शन करने के पहले हमारे पास दो दिन पहले प्रतिलिपि नहीं आई। मंत्री महोदय इस पर ध्यान नहीं दें, कानून को नहीं पढ़ें, आपके पुस्तकालय में कानून की पुस्तकें नहीं हों तो हम कैसे अमेण्डमेण्ट दे सकते हैं। कोई अमेन्डमेण्ट हम कैसे दे सकते हैं हम ? किसी तकलीफ के बारे में कहें······

एक माननीय सदस्य : आपको ही तकलीफ नहीं है। सभी को है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे पास दो दिन पहले प्रतिलिपि नहीं भेजी। फिर यह भी नहीं बताया गया है कि यह किस क्रम में कैसे लिये जायेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी के लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था की जानी चाहिये। वह इस प्रकार की बातें कह कर समय का दुरुपयोग करते हैं। इनके लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था की जानी चाहिये जो इनको पढ़ा कर कुछ सिखाये।

श्री मूलचन्द डागा : पहले यह सूची निकले कि यह क्रम से लिये जायेंगे। आज आप नियमों के विपरीत नोटिस निकालते हैं। यह रूल 23 और 28 में साफ है—What sort of procedure would be.

Rule 23 says : "Allotment of time for Private Members business.—The last two and half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private members business."

लेकिन आपने बुलेटिन निकाल दिया, दोनों दिन विधायी कार्य होंगे।

28 में साफ लिखा है—List of business.—(1) "A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and a copy there of shall be made available for the use of every member.

(3) Save as otherwise provided in these rules no business requiring notice shall be set down for a day earlier than the day after that on which the period of notice necessary for that class of business expires."

(श्री मूलचन्द डागा)

तो इस रूल का भी पालन नहीं हुआ। आप जिस रूल में चाहते हैं. How I can move my amendment.

Rule 26 says—

"That Private members' business set down for the day allotted for that class of business and not disposed of on that day shall not be set down for any subsequent day, unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day."

आपने मेरी प्रार्थना को सुना है इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि सदन की गरिमा को रखा जाय। विरोधी पक्ष वाले भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको भी समय दिया जाय। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो उसमें यह तय किया जाय कि कौन-कौन से कार्य लिए जायेंगे। जो अधिसूचना इसमें दी गई हैं हमको मालूम ही नहीं है कि वे टेबिल पर आई है या नहीं आई हैं। पहले हम उस पर माइण्ड अप्लाई नहीं कर सकते। कौल एण्ड शकधर की किताब में भी यह लिखा है कि दस दिन पहले इत्तला करनी चाहिए कि किस प्रकार की कार्यवाही होगी। मैं आपको दस दिन की बात तो नहीं करता लेकिन दो दिन पहले तो हमको लिट्रेचर मिलना चाहिए। मुझे दो दिन पहले वह नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर प्रोग्राम बनाया जाय तो हम सही तरीके से अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल रख दी गई है और वह कन्सीडर कर सकेगी। आपने आपत्ति की कि समय पर लिट्रेचर मिलना चाहिये। विधायी कार्य की अधिकता को देखते हुए आपको समय नहीं मिला है, मैं भी इसको महसूस कर चुका हूं। आप अमेण्डमेंट देना उसके लिए रिलेक्सेशन दे दिया है। आप अब दे सकते हैं।

अब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों पर किये गये अत्याचारों की घटनाओं के विषय में।

(2) सर्वश्री मथुरादास माथुर, शंकरलाल, गंगाराम चौधरी, व श्रीमती सुमित्रासिंह एवं श्रीमती मदन कौर, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि व्याख्याताओं के लिए अब तक यू.जी.सी. के वेतनमानों को लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो जाने तथा राजनीतिक हत्याओं के सिलसिले में फरार घोषित अपराधियों को विधायकों के घरों में

(श्री उपाध्यक्ष)
गिरफ्तार किये जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था—

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया थोड़ा सा धैर्य रखिये।

(4) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में विशेष कर जयपुर शहर में हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि की घटनाओं के विषय में।

श्री मदनसिंह दांता : मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का भी नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : (5) सर्व श्री जयकृष्ण शर्मा, रामचन्द्र, वृद्धिचन्द्र जैन व नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु श्री मोहम्मद जहूर, सदस्य विधान सभा के आमरण अनशन के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास उनकी जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। इनकी ग्राह्यता विचाराधीन है।

(6) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम भूतेला एवं जैरण जिला जालोर में गोचर जमीन को गैर कानूनी तरीके से पाक शरणार्थियों को आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

(7) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 10 अगस्त, 1978 को राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा अमल करने से इन्कार करने के विषय में।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है उसके बारे में राज्य सरकार से सूचना मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। राज्य सरकार खुद ही कमिट कर चुकी है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी के लैक्चरार्स पर यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के पे-स्केल लागू किये जायं। यह राजस्थान सरकार का कमिटमेन्ट है कि तमाम यूनिवर्सिटी के लैक्चरार्स, जो 300–600 की ग्रेड में हैं, को यू. जी. सी. पे-स्केल दिये जायें। कृषि मन्त्री जी ने गत सत्र में यह कमिट किया था कि यह विचाराधीन है और इस पर तुरन्त ही फैसला कर देंगे। आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि लैक्चरार यूनिवर्सिटी का चाहे रिसर्च में काम करता हो, चाहे कहीं एक्सटेन्शन वर्क करता हो और चाहे आर्डिनरी लैक्चरार हो, इन लोगों ने जगह-जगह धरने दिये हैं और काम

(श्री मथुरादास माथुर)

ठप्प हो गया है। वाइस चान्सलर की विज्ञप्ति में भी यह हिदायत की गई है कि सारा काम रुका पड़ा है, काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में वैसे ही काफी इन्डिसिप्लीन है, फिर लैक्चरार्स को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के पे-स्केल देने के लिये राज्य सरकार का कमिटमेन्ट है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में ये दे दिये गये हैं और दूसरे कालेजेज में दे दिये गये हैं, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में और जो ऐडेड हैं वहां पर दे दिये गये हैं, जो प्रोफेसर और रीडर्स हैं उनको दे दिये हैं। केवल उदयपुर यूनिवर्सिटी के लैक्चरार्स को ही नहीं दिये गये हैं। जोबनेर, गंगानगर और उदयपुर जहां-जहां भी उदयपुर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है वहां पर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं सारा काम रुका हुआ है। विद्यार्थियों में असन्तोष फैल रहा है, स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ने बयान निकाले हैं, टीचर्स एसोसिएशन ने बयान निकाले हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने और वाइस चान्सलर ने बयान निकाले हैं। राजस्थान पत्रिका में और सब अखबारों में टिप्पणियां निकली हैं। इसलिये उन लेक्चरार्स में जो असन्तोष है, उसकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत पहले से ही चिन्तित हैं कि युनिवर्सिटी में डिसिप्लीन ठीक नहीं है। सरकार की नीतियों से उनमें और असन्तोष पैदा होगा और स्टुडेन्ट्स हंगामा करेंगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी पहले से ही इन्डिसिप्लीन के लिए मशहूर है। वित्त मन्त्री ने कहा कि विचार करेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा कि विचार करेंगे। यह विचार कब तक होगा ? 6 महीने तो गुजर गये। मेरा निवेदन है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव एडमिट होना चाहिए, इस पर सरकार से सूचना प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। कृषि मन्त्री ने कहा था कि जल्दी ही फैसला करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी और कृषि मन्त्री जी और नहीं तो मुख्य मन्त्रीजी बयान देकर यह बात कहें कि उनकी मांगों को मन्जूर करते हैं। मांग उनकी यह है कि यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के पे-स्केल लागू किये जायं। ये पे-स्केल हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिये गये हैं जहां पर कि एग्रीकलचर युनिवर्सिटीज हैं। मुख्य मन्त्रीजी, आप फैसला करें, दूसरी स्टेट्स ने इस संबंध में फैसला कर दिया है। हमारे यहां पहले एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी ही थी अब तो वहां पर साईंस, कामर्स भी है, मल्टी फेकल्टीज यूनिवर्सिटी है। अन्य राज्य सरकारों का जवाब भी आ गया है।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

इसके लिए जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी। बाहर हंगामा हो रहा है, इन्डिसिप्लीन हो रहा है, काम रुक रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए मेरा निवेदन है, इस समस्या को सरकार सुलझावे।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी सदन में 7 अप्रेल को यह मुद्दा जब उठाया गया था, इस पर चर्चा हुई थी तब राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा। लैक्चरार्स का डेपुटेशन राज्य सरकार से मिला, तब उनको आश्वासन दिया

(श्री शंकर लाल)

गया था उस बात को आज 6 माह हो गये। अब उन्होंने धरना दिया है, आन्दोलन किया है, क्योंकि 6 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया। क्या राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में है कि 6 महीने तक निर्णय क्यों नहीं लिया? दूसरे, यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसके बारे में बहुत विचार करने की जरूरत हो या छानबीन की जरूरत हो। दूसरे राज्यों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात ने 1 जनवरी, 1973 से यू. जी. सी. पे स्केल लागू कर दिये हैं। कृषि विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सरकार, कृषि अनुसंधान परिषद् से डाइरेक्शन्स दिए जाते हैं और उनके डाइरेक्शन्स हैं कि इन लैक्चरार्स को वही वेतनमान दिए जायं जो यू. जी. सी. ने तय किए हैं। दोनों विश्वविद्यालयों पर ये वेतनमान लागू कर दिए, दूसरे कालेजों पर लागू कर दिए, प्रोफेसर्स पर लागू कर दिए ..

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। हाल ही में उपाध्यक्ष महोदय ने जिन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करने की मनाही कर दी उन स्थगन प्रस्तावों पर पूरा विचार हो, इस पर मुझे आपत्ति है..

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी आपत्ति बिल्कुल निराधार है। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री शंकर लाल : हम उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहते थे कि सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि 7 अप्रेल को सदन में यह चर्चा का विषय हो चुका है। मुख्य मंत्री बतायें कि इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता है? क्या बात है कि दूसरे प्रांतों में यू. जी. सी. के वेतन मान लागू हो गए, दो विश्वविद्यालयों पर लागू हो गए तो केवल एक के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब कि उन्होंने आश्वासन दिया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मथुरा दास माथुर : हम मुख्य मंत्री से अभी बयान चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : यह तो पहले भी कर सकते थे।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अप्रेल में जब यह सदन स्थगित हुआ था तो कृषि मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। कृषि मंत्री जब मेरे साथ गए थे तो उन्होंने मौके पर आश्वासन दिया था कि लैक्चरार्स की सारी बातों पर विचार करके जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में वेतनमान हैं, वे उनको भी दिये जायेंगे लेकिन अब तक न देना खेदजनक है। मैं आपके मार्फत कृषि मंत्री व मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अहम मसला है। जब हिन्दुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों में नए वेतनमान दे दिए गये तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छोटी मोटी बजट की बात को लेकर, यहां बजट का बहाना देकर वहां के व्याख्याताओं को पूरे वेतन न देकर उनके वेतन में कटौती करना खेदजनक घटना है। इससे असंतोष बढ़ता है। यह मामला यदि संभव रहते नहीं सुलटाया तो जो राजस्थान के कर्मचारी हैं वे भी ताक लगाए बैठे हैं। घोर असंतोष

(श्री नवरंग सिंह)

की स्थिति पैदा हो जाएगी । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे मसले पर गंभीरता से विचार करके आज ही घोषणा करें कि जो वेतनमान उनको बहुत समय पहले मिलने चाहिए थे वे मय एरीयर उनको दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका इस संबंध में न स्थगन प्रस्ताव है और न ही बोलने की अनुमति दी जाएगी ।

श्री शंकर लाल : मगर सदन के नेता या कृषि किसी...

श्री मथुरा दास माथुर : वे चुप क्यों हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है । कल सरकार की ओर से इस पर स्टेटमेंट दिया जाएगा । हरिजनों पर अत्याचार, कानून व व्यवस्था, हत्या व चोरी, इस तरह के जितने स्थगन प्रस्ताव हैं, मैं चाहता हूँ कि सदन में लॉ एण्ड आर्डर पर एक दिन डिबेट हो । कार्य सलाहकार समिति में जो दिन निश्चित हो जाएगा, उस दिन जो मसले यहां उठायें जायेंगे उन पर सरकार को जो उत्तर देना होगा वह उत्तर देगी । जो डिबेट होगी, कानून व व्यवस्था के बारे में जो आपके सुझाव आयेंगे उनके अनुसार जिस प्रकार से परिवर्तन या परिवर्द्धन हो सकेगा, वह किया जाएगा ।

एक प्रश्न था बाढ़ पीड़ितों के संबंध में । उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि सदन में एक दिन डिस्कशन हो जाए, दोनों प्रश्नों पर डिबेट हो जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री मथुरा दास माथुर : दिन तो आपने रखे ही नहीं ।

श्री मदन सिंह दांता : चोरी आज हो, 13 दिन निकल जाये उसके बाद डिबेट हो, यह गलत है । तारीख निश्चित की जाए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन 13 तारीख तक चलेगा । हम नवम्बर में फिर मिलेंगे । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस विषय को नवम्बर तक रखेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसी सत्र में रखें, 13 अक्टूबर से पहले, मुझे कोई आपत्ति नहीं । माथुर साहब कह रहे थे कि 13 अक्टूबर के बाद हम चले जायेंगे । मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम नवम्बर में फिर बैठेंगे । मेरी कोशिश होगी कि कोई भी बिजनेस इस सेशन में पेंडिंग न रहे ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : 6 महीने बाद आपने सत्र बुलाया है । आप जब इधर बैठते थे तो आपकी शिकायत रहती थी कि इतने समय बाद सत्र क्यों बुलाया है । उसके बाद आपने 8 दिन के लिए सत्र रखा है ।

श्री मदनसिंह दांता : हम अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे । मुख्य मंत्री दिल्ली में जाकर क्या कहते हैं ? यहां जनता अपना

(श्री मदनसिंह दांता)

बयान देती है। आपने वहां जाकर कहा कि राजस्थान में कानून व व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। इसलिए हम इतने समय तक इस विषय को नहीं रखना चाहते। आज जेठानन्द जिसके लड़के की हत्या की गई, आंसू बहा रहा है। आपने दो हजार रुपये के इनाम की घोषणा की, क्या हुआ? हम तो इस पर आज ही बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि बिगड़ती हुई लॉ एण्ड आर्डर समस्या पर एक दिन पूर्ण विचार किया जाए। हमारी मांग है कि 13 तारीख से पहले हमें पूरा एक दिन दिया जाए, नाम मात्र का समय नहीं। मुख्य मंत्री सहमत होंगे कि कल कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग होगी उसमें पहले पहल इसकी तारीख फिक्स की जाए। मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि 13 तारीख से पहले लॉ एण्ड आर्डर व हरिजनों पर अत्याचार पर विचार करने के लिये तारीख फिक्स कर लें और विचार कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर, अतिवृष्टि व बाढ़ के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव आए हैं, उनके लिए मुख्य मंत्री ने दो दिन बहस रखने का सुझाव दिया है। यह सुझाव अच्छा है। आगे आपने कहा कि नवम्बर में हम फिर मिल रहे हैं, यह मुख्य मंत्री का आश्वासन एतबार के काबिल नहीं है। इसका कारण यह है कि विधान सभा का सत्र पूरे 6 महीने से दो दिन पहले बुलायें, नवरात्री में बुलायें, 20 तारीख को होने वाली स्पीकर्स कान्फ्रेन्स को इससे जोड़े और फिर आश्वासन दें कि नवम्बर में बुलायेंगे, तो इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को कहां तक विश्वास होगा कि नवम्बर में सदन की बैठक बुलायेंगे। मान्यवर, जहां तक मुख्य मंत्री ने कहा कि लॉ एण्ड आर्डर व बाढ़ के बारे में प्रस्तावों पर विचार स्थगित किया जाए, इससे हम सहमत नहीं हैं। स्थगन प्रस्ताव रखने का तात्पर्य यह होता है कि उसी दिन बहस हो। सरकार के पास जानकारी के लिए भेजने की नियमों में व्यवस्था नहीं है। आपके लिए लाजमी है कि या तो उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आप एडजोर्नमेन्ट मोशन की अहमियत को ही कम कर रहे हैं गवर्नमेन्ट के पास भेजकर और उनसे जानकारी लेकर। नियमों में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यह सदन में परम्परा पड़ी है वह परम्परा इन नियमों के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और जिसको आपने सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया है और जो आपने आउटराइट यह कह कर रिजेक्ट किया है कि यह हमारे राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखता है उसके ऊपर हम निश्चित रूप से अपने विचार सदन में प्रकट करेंगे। आप हमें अपने विचार प्रकट करने का मौका दें। हमें भरोसा नहीं है कि आप दो दिन इस सत्र में लॉ एण्ड आर्डर और बाढ़ पर विचार करने के लिये रख सकेंगे जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सचिवालय को हैवीली बुक किया है आर्डिनेन्सेस और दूसरे बिलों के जरिये तो यह मुमकीन नहीं लागता

(श्री रामनारायण चौधरी)
कि दो दिन आप निकाल सकेंगे। 13 तारीख से पहले आप दो दिन निकाल ही नहीं सकते तो माननीय मुख्य मंत्री जी का यह आश्वासन एक भूलभुलैया है जिसमें वह हमें डालना चाहते हैं और फंसाना चाहते हैं। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। जो आपने व्यवस्था दी है स्थगन प्रस्तावों के बारे हमें हम उन पर अपने विचार प्रकट करेंगे। हमें भरोसा है कि आप हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपने विचार प्रगट करने की अनुमति देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह दो सवाल, बाढ़ और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको हम लम्बा नहीं कर सकते। इसकी इम्पार्टेन्स आज है वह दस दिन के बाद नहीं होगी, इन मसलों की इम्पार्टेन्स ही खतम हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्तावों पर जो हम बात कहें वह आपके लिये जवाब देने में ज्यादा माकूल रहेगी और आपकी इमदाद करेगी। स्थगन प्रस्तावों के जरिये हम चार पांच मिनट बोलेंगे। मगर मैं चाहूंगा कि 13 तारीख को नहीं कल ही बिजनस एडवाइजरी कमेटी इस सवाल को सर्वप्रथम ले ताकि जो हम पर इतना भारी बिजनेस लादा गया है, और इस तरह से लादा गया है कि हम कसमसाहट भी नहीं कर सकते, उसमें हमको कुछ मौका मिल जायेगा कहने के लिए और अपने विचार रखने के लिए और हम इन दोनों महत्वपूर्ण मसलों पर विचार कर सकेंगे। सदन के माननीय नेता ने जो सुझाव दिया इसको मैं बहुत ही उचित मानता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, बाढ़ के संबंध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। मैं यह समझता था, हमारे सदन के नेता महोदय खड़े होकर यह कहने वाले हैं कि आज सब काम बन्द कर दिये जायें और बाढ़ के संबंध में विचार विमर्श कर लिया जाये। माननीय सदस्यों को यह भली-भांति मालूम है कि बाढ़ ने जो हमारे राजस्थान में रूप धारण किया है उसके फलस्वरूप इस सदन के माननीय सदस्य ने आमरण अनशन भी किया और वह आमरण अनशन भी 6 दिनों तक चला। उनके प्रोटेस्ट में कुछ और माननीय सदस्यों ने भी आमरण अनशन किया। तो जहां ऐसी स्थिति पैदा हो गयी हो कि माननीय सदस्य ही आमरण अनशन पर जाने को तैयार हो जायें तो उस प्रश्न का महत्व बहुत बढ़ जाता है, सदन के सारे काम उससे नीचे हो जाते हैं और वह एक महत्व का काम हो जाता है। इसलिए मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी खुद की राय जाहिर करेंगे। बाढ़ चूरू में आई है, बाढ़ भरतपुर में आई है, बाढ़ अलवर में आई है, बाढ़ बीकानेर और झुन्झुनू में आई है, बाढ़ सीकर में आई है। कहीं पर अतिवृष्टि है तो कहीं पर सूखा है। यह सब सरकार को मालूम है। तो जब सब कुछ सरकार को मालूम है तो इसके अन्दर न तो कोई आंकड़े तैयार करने हैं, न कोई आपको तैयारी करनी है। इसलिये सब काम को आप स्थगित कर दें और इस मसले को लें। इस सदन के एक माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठे। उनके समर्थन में और भी चार पांच माननीय सदस्य आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके बारे में हमने भी अपनी बात रखी थी। हम भी उस इलाके के हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुआ है इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए भी यह महत्व का प्रश्न

(श्री जय कृष्ण शर्मा)
है कि आज से 10 दिन के अन्दर यदि किसानों को राहत नहीं दी गयी और यह सरकार सोती रही तो जो किसान एक तरफ से पिटा है वह दूसरी तरफ से भी पिट जायेगा। उसे बोने के लिए बीज नहीं मिला तो वह आज भूखों मर रहा है और वह बैसाख में भी भूखों मरेगा। यह विधान सभा सत्र में है, इसमें हम किसानों की नुमाइन्दगी करते हैं। हर व्यक्ति जो खड़ा होता है वह कहता है कि मैं किसान हूं लेकिन जब बाढ़ का सवाल आता है तो उस समय न जाने क्यों कतरा जाता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शांति व व्यवस्था का सवाल है उसके लिए विचार चाहे कल करें या आज मगर इस बाढ़ के प्रश्न पर कोई समय का सवाल नहीं है। जो मैने बाढ़ का प्रश्न रखा है उसके महत्व को न केवल राजस्थान बल्कि हिन्दुस्तान भी समझ गया होगा। अगर राजस्थान सरकार की इतनी बड़ी उदासीनता नहीं होती, राजस्थान सरकार नींद में सोई हुई नहीं होती तो सरकार के पक्ष के एम. एल. ए. को आमरण अनशन पर नहीं जाना पड़ता और उनके प्रोटेस्ट में उन्हीं के पक्ष के पांच विधायकों को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता।

अगर हम कोई बात कहते हैं तो आप आपातकालीन समय का नाम लेकर हमको दबोच देना चाहते हैं। आपातकाल में चोरी करने वाले जिस कन्डक्टर को हमने बसों में पकड़ा है, जिस कन्डक्टर को बरखास्त किया हो, आज उसको आपातकाल के नाम पर बख्शीश देना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं है। यह आप का नजरिया है। नेशनेलाइजेशन को डिसेन्ट्रलाइज करने की बात कह दीजिए हमें एतराज नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थगन प्रस्ताव से बाहर न जायें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्योंकि यह तो आपके दृष्टिकोण का सवाल है, पॉलिसी का सवाल है कि आप राजस्थान में नेशनेलाइजेशन को पसन्द नहीं करते है।

मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपके दिल में दर्द नहीं है किसानों के लिए। आज किसान कराह रहा है चाहे वह चूरू का हो, चाहे झुंझुनूं का हो, चाहे भरतपुर का हो और चाहे अलवर का हो और चाहे दूसरी जगह का किसान हो। इन बेन्चेज पर बैठने वाले मंत्रीगण भी खेती करते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चने के बीज बोने का समय, आ गया है, आपने बाढ़ राहत की कोई व्यवस्था की है? यह सब बातें आप सोचिये। यह अहम् प्रश्न है। सदन के माननीय नेता महोदय ने सुझाव दिया वह अच्छा है। उनकी भावना अच्छी है, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए आज ही इस पर विचार के लिए समय देना चाहिए। इसलिए हमने यह आपसे निवेदन किया है।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और अकाल ऐसा विषय होता है जिसके लिए अविलम्ब कदम उठाना जरूरी है। अविलम्ब उस पर कार्यवाही नहीं की गयी तो बाढ़ अकाल की वजह से आदमी एकदम संकट में पड़ जाता है। उस समय सरकार ही उसका एक मात्र सहारा होती है जो कि करने या मदद करने के लिये आती है। हालात

(श्री नूरा)

यहां तक हो गये थे कि बाढ़ के इलाके के लोग तड़प रहे थे। और वे लोग बाढ़ में फंसे हुये थे। उनकी हालत को वहां के विधायक नहीं देख सके और मजबूर होकर उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। यहां तक नौबत आ गयी, 6 दिन की भूख हड़ताल के बाद मैंने देखा, उनकी हालत गम्भीर हो गयी। तब जाकर 27 तारीख को जनता पार्टी के विधायकों की सभा हुई और उसमें विचार हुआ। शाम को फिर दुबारा उनकी हालत बिगड़ी। इसके बाद विचार करने की नौबत आई। जब विधायकों की ही बात नहीं मानी जाती है तो क्या वहां के लोग यहां आकर बैठें? सरकार क्या कर रही थी? इसमें सरकार की कमजोरी बिल्कुल सामने आती है।

जब से कांग्रेस का शासन गया है और जनता पार्टी का शासन आया है, हम पहली दफा चुनकर आये हैं, हमें यही सुनने को मिला कि कांग्रेस ने यह किया, वह किया। कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैंने यह देखा कि जनता पार्टी में आने वालों में जोश है तो मैंने सोचा कि कुछ होगा। लेकिन ऐसी हालत पैदा हो गई कि विधायक लोगों को हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई। इस तरह की बात के दौरान जो विधायक इशारे कर रहे हैं, ये मंत्रीपद के इच्छुक हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और जनता की आवाज को कुचलना चाहते हैं। जनता के सामने जो हालत है उसका सामना यह क्या करेंगे? अजमेर जिले की हालत मैंने देखी है। वहां फसलें सूख गई हैं। काश्तकार बाहर जाने की तैयारी में हैं। मुख्य मंत्री जी, आपको गम्भीरता से इस मामले को लेना चाहिए। जहां बाढ़ आई वहां की हालत आपने देखी होगी। भूख हड़ताल वाले विधायक से आपको मालूम हुई होगी। आपने जानकारी की होगी। हालात की जानकारी मिलने के बाद वह जानकारी आपको आज सदन में देनी चाहिए। अकाल और बाढ़ की समस्या का हमेशा के लिए हल ढूंढने की कोई बात हो, सरकार द्वारा कोई कदम उठाने की बात हो, तो बहस का कोई महत्व होगा। एक दिन की बहस की बात कहते हैं तो टालने की बात हो गई। गत वर्ष भी यही हुआ। अकाल राहत काम मांगा था, न वह मिला, न वहां के लोगों को राहत मिल पाई। ऐसी हालत आगे न आये, यह मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। यह जो हालात बन रहे हैं, बहुत खराब हालात हैं, जनता परेशान है। समय रहते इस पर ध्यान दीजिये। बाढ़ और अकाल की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाये जाने चाहिए। आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यही कहना चाहता हूँ और मांग करता हूं कि बाढ़ और अकाल की रोकथाम के लिये विचार करके कदम उठाये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उसके सम्बन्ध में हमने जो एडजोर्नमेंट मोशन रखा है, वह स्पेसिफिक एडजार्नमेंट मोशन रखा है। कामां के एम. एल. ए. आमरण अनशन पर बैठे, यह स्थिति क्यों पैदा हुई? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वह पहले सरकार को एप्रोच करता है और कन्सनिंग मिनिस्टर को एप्रोच करता है। मुख्य

Page No 35

(35)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मन्त्रीजी को भी उन्होंने एप्रोज किया किन्तु उन्होंने नहीं सुना, यह अखबार में आया है। इसका मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण करें। जब मुख्य मंत्री जी ने नहीं सुना और समस्या के हल के लिए कोई जवाब नहीं दिया तो मजबूरन आमरण अनशन का कदम उठाना पड़ा। आमरण अनशन पर बैठने के बाद में 5–6 दिन तक वे अनशन पर रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी उनके पास पहुंचे? क्या उन्होंने समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की? क्या अधिकारियों ने इस समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार के कोई कदम उठाये? इस प्रकार के जो लेप्सेस होते हैं उनके लिए कौन जिम्मेवार है? एक समस्या को लेकर विचार रखे उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, सम्बन्धित मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। 6 दिन के अनशन के बाद में, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या कदम उठाये? क्या गांवों की जनता को राहत पहुंची है, यह जानना चाहता हूं? पहले जो बाड़मेर जिले में अकाल पड़ा उसके बारे में सरकार ने बिल्कुल उदासीनता की नीति अपनाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जनता की सरकार है यह इस सम्बन्ध में कोई जागरूक नहीं है। अब यह कह रहे हैं कि एक दिन डिस्कशन करना चाहते हैं। जिस समय समस्या आती है उस समय इसे हल करते नहीं। अब क्या करेंगे? देखेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्रीजी ने हाउस को आश्वासन दिया है कि कल वे यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स के बारे में और बाढ़ के बारे में स्टेटमेंट देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यूनिवर्सिटी के बारे में? बाढ़ के बारे में एक दिन डिबेट कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है। मैं यह चाहता हूं कि कल····

श्री भैरोंसिह शेखावत : कल नहीं····

श्री मथुरादास माथुर : आप तो तैयार हैं। तैयारी तो हमें करनी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप आज कर लें। डिबेट शुरू कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : आप पहले फ्लड की सिचुएशन के बारे में स्टेटमेंट दे दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिये कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दिन तय करे, वह निश्चित कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : आपको आपत्ति क्या है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपसे बात कर लूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आज कर लें तो आप को क्या आपत्ति है? मुख्य मंत्री जी ने यह मौका दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पूछना नहीं चाहते। आज आप डिबेट शुरू करना नहीं चाहते। मैं यह बात मानकर चलूं कि बाढ़ की स्थिति के बारे में जो माननीय नेता महोदय ने सुझाव दिया है, वह मन्जूर है? हमको डिबेट शुरू करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी का जो हाउस में ले करना है, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी इजाजत देंगे···

श्री उपाध्यक्ष : कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें जो तय होगा उसके अनुसार कर लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह भी निवेदन करूंगा, इस फ्लड के ऊपर एक नोट बना कर, यह तो नहीं कह सकता आज ही सक्यूलेट करा दूंगा, किन्तु आप जब डिबेट करेंगे उससे पहले सक्यूलेट करा दूंगा।

श्री शिवचरण सिंह : बाढ़····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाढ़ की चिन्ता जनता पार्टी को है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल जनता पार्टी का नहीं है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाढ़ के मामले में उधर से कोई नहीं बोला है, अगर बोले हैं तो जनता पार्टी के बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवचरण जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री शिव चरण सिंह : बाढ़ आ नहीं सकती थी, क्रियेट की गई है। हरियाणा का पानी····

(व्यवधान)

हमारे एम.एल.ए. को भूख-हड़ताल करनी पड़ी फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिये कहना पड़ता है····

(व्यवधान)

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली): जनता पार्टी के लोगों ने जो कदम उठाया है, वह गलत उठाया है। हमारे देश के लोगों को इस तरह बहाया नहीं जा सकता है। इसलिये यह सब कहना बेआधार है। जनता पार्टी कोई समाधान निकाल नहीं सकती इसलिये माननीय नेता ने जो कुछ कहा है वह बनावटी है। उसका समाधान निकल सकता था, लेकिन नहीं निकाला गया है। इस बारे में उन्होंने इस तरह की बात इसलिये कही है ताकि उनकी तस्वीर बनी रहे··

(व्यवधान)

श्री नूरा : बाढ़ के बारे में एक भी आदमी नहीं बोला, यह कहना गलत है। जब हम जेल में थे तब भी हमने एक दिन के खाने को छोड़ा है और बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये दिया है। वह कोई जनता पार्टी की बात नहीं है, राज्य में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि बाढ़ में आये हुए लोगों की सहायता करे। हालांकि सरकार इससे ज्यादा दे सकती थी लेकिन जो हमसे बन पड़ा वह हमने भी दिया है इसलिये यह कहना गलत है कि जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा दुःख है। यह हमने तो कहा भी नहीं है, आपने ही ऐसी बात कही है। हमने तो जेल में भी एक टाइम का खाना छोड़ कर मदद की है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था...

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैंने एक प्रस्ताव दिया है। मेरा सवाल यह नहीं था कि जनता पार्टी का कोई विधायक हो या यहां का कोई विधायक हो। मेरा तो प्रश्न यह है कि नेता और विधायक के सम्बन्ध कैसे होने चाहिये। नेता महोदय ने जिस प्रकार विधायक की उपेक्षा की और उस उपेक्षा के कारण मान-नीय सदस्य को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। सवाल है लोकतान्त्रिक मर्यादाओं, सदस्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को उससे किस प्रकार आघात पहुंचता है। सदस्य कोई मांग करता है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा जो प्रस्ताव दिया है, उस पर विचार कर रहा हूं। विचार करने के बाद आपको अवसर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी अभी सब लोगों ने चर्चा उठाई थी...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : स्थगन प्रस्ताव शुरू शुरू में मेरा था। मैं खड़ा हो गया फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया...

(व्यवधान)

सवाल यह है कि जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, उसकी मैं बड़ी कद्र करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स, जो दो चार मेरे पास हैं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस प्रस्ताव के बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : पहला मेरा स्थगन प्रस्ताव है हरिजनों और कमजोर लोगों पर किये गये अत्याचारों के बारे में। मैं मास्टर आदित्येन्द्रजी के बारे में अभी नहीं कहना चाहता हूं, वे पक्के ईमानदार और मोती के समान चमक वाले व्यक्ति हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने यह बात कही, मैं इसकी तो सराहना करता हूं कि वे गलती को मानते हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मुख्य मंत्री जी, आपके गृह मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे बहुत नम्रता के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। यह तो माना है कि पहले सालों में जो अत्याचार हुये हैं इस पर तो बहुत लम्बी चर्चा होगी, इसलिये जब इसका विषय आयेगा तब विस्तार से कहूंगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपके होम मिनिस्टर मिस्टर सम्पत रामजी ने क्या कहा :

"Home Minister Sampatram, himself a harijan, told LINK that in a majority of cases of rape of harijan girls, there was consent. Ralations between upper caste men and harijan girls was nothing unusual.' He clarified that "when it becomes public, it becomes rape."

(श्री मूलचन्द डागा)

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्टेटमेंट दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन हमारे भाई हैं। हरिजन कन्याएं, अछूत कन्याएं अपनी इज्जत और सम्मान को हमसे ज्यादा समझती हैं। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यहां तक कहा है कि जो बलात्कार होता है वह उनकी सहमति से होता है····

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने पढ़ा है। धनिक लाल मण्डल ने कहा है····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपका इस स्टेटमेंट का खण्डन नहीं आया है···

(व्यवधान)

इसलिये यह गलत नहीं है····

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के अन्दर होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हिन्दुस्तान में जो राजस्थान प्रान्त है वह उन प्रान्तों में दूसरा है जहां हरिजनों पर ज्यादा अत्याचार हुये हैं। श्री धनिकलाल मण्डल ने जो स्टेटमेंट 27 अगस्त को संसद में दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहला राज्य, जहां हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुये हैं, उत्तर प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। यह धनिकलाल मण्डल, जो गृह मंत्री हैं, का स्टेटमेंट है जिसे मैं कोट करना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैंने बलात्कारों की लिस्ट बनाई है जो रोज अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं और जिन्हें पढ़ कर दिल दहल जाता है। पुलिस थाने में पुलिस द्वारा बलात्कार कर दिया गया। गृह मंत्री जी दो बात कहते हैं, एक तो वे कहते है कि हमें पुलिस की ज्यादा फोर्स चाहिये, दूसरे वे एक नया सुपरिन्टेन्डेन्ट लगाना चाहते हैं। जब बाड़ ही खेत को खाये तो फिर बचने का और कौनसा तरीका रहता है। पुलिस कर्मचारी ही बलात्कार करें तो बलात्कार करने वाले के खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा? हरिजनों की कन्याओं के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी मैंने लिस्ट बनाई है। मैंने देखा, एक दिन भी, कोई भी तारीख ऐसी नहीं जाती है जिस दिन अखबार में यह नहीं आता हो कि दो हरिजन कन्याओं के साथ बलात्कार हुआ। शर्म खाओ। मैं कहता हूं कि आपका भी दिल अन्दर ही अन्दर इस बात के लिए रोता होगा कि राजस्थान की धरती पर हरिजन कन्याओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं।

मेरे गांव की बात कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे थे तब चार दिन मैं उनके साथ घूमा हूं। गरीबों के साथ जहां जहां जुल्म हुये मैंने उनको बताये है। जो गर्भवती थी उसके साथ बलात्कार हुआ है। यह मेरे जिले की बात है। मैंने अपनी आंखों से इसकी स्थिति देखी है। मैंने मुख्य मंत्री जी को बताया है कि इसके साथ अत्याचार हुआ है। आज पुराने सामन्तवादी अपनी मूंछों पर ताव लगाकर घूम रहे हैं और उनके द्वारा गांव गांव में गरीबों का शोषण हो रहा है। अन्त्योदय की आड़ में

(श्री मूलचन्द डागा)

आप भले ही सौ बातें करें लेकिन यह अन्त्योदय क्या है, इस पर भी डिस्कशन हो जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस कारण से अशांति है। हम पुलिस के बारे में इसलिये नहीं कहते कि हमें पुलिस से कुछ लेना है। हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा ही नहीं करें बल्कि हमारा विश्वास भी प्राप्त करे। यहां पर चन्दू मारा गया। उस साढ़े आठ वर्ष के बच्चे ने फोन किए, तीन बार फोन किए लेकिन उसको बचाने के लिये क्या किया? खुले आम, रामनिवास गार्डन में कत्ल हो जाय और पुलिस कुछ नहीं कर सके, यह बड़े दुःख की बात है। आज मेरे घर के किसी व्यक्ति पर जुल्म होता, मेरे बेटे और मेरी बेटी पर जुल्म होता तो मैं क्या महसूस करता। गृह मंत्री के घर पर होता, उनके चन्दू के साथ ऐसा होता तो वे क्या महसूस करते? मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, बड़े नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण मत करो, सारी सत्ता अपने हाथ में मत लो, लोगों पर जिम्मेदारी डालो। सारे काम अपने हाथ में लेकर चलना, मुख्य मंत्री जी, ठीक नहीं है। इन मंत्रियों को भी काम करने दो ताकि लॉ एण्ड आर्डर की हालत ठीक हो सके। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन तभी ठीक होगी जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का मौका आप देंगे। हम्मीर सिंह कौन कि मुख्य मंत्री, आई. जी. कौन कि मुख्य मंत्री। गृह मंत्री को कोई मानता ही नहीं। यह कौन सा डिपार्टमेंट है? यह पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं है। एक नए किस्म का डिपार्टमेंट बन गया है। एक तरह से पुलिस का डी-मोरेलाइजेशन हो चुका है। यहां पर प्रोफेसर केदार बड़े साधु महात्मा बैठे हैं। उन्होंने एक बयान दिया, पथ परिवहन के कर्मचारियों को लड़कों ने मारा, अस्पताल में जाकर उनको देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू गीले हों तो सुखा लो। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है। कई बलात्कार की घटनायें हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है। श्रीमान्, बड़ी कृपा की मुख्य मंत्री जी ने कि लॉ एण्ड आर्डर पर एक दिन डिस्कशन रखने के लिये सोचा। राजस्थान की तीन करोड़ जनता है उसकी रक्षा के लिए हम अपने सुझाव रखेंगे और आपको सारे फैक्ट्स देंगे। मैं एक बार और आदित्येन्द्रजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हरिजनों पर इस तरह से अत्याचार नहीं मिटेंगे, जब तक कि हमारी जनता पार्टी अपने कर्त्तव्य की ओर आगे नहीं बढ़ेगी। मास्टरजी, आपके एक तरफ मुख्य मंत्रीजी और दूसरी तरफ गृह मंत्रीजी बैठे हैं। आप उन दोनों के बीच में बैठे हैं, आप इनको और कह दो। दोनों के कान में और कह दो, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, आप कह चुके हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह सदन को....

श्री नूरा (मसूदा): गृह मंत्रीजी, मैंने 27 तारीख को आपको दो दफा टेलीफोन किया। एक दफा तो कहा कि गुसलखाने

(श्री नूरा)

में हैं। फिर दो घण्टे बाद फोन किया तो कहा कि सो रहे हैं। दो दफा टेलीफोन किया। राजस्थान के गृह मंत्रीजी सो जायं तो क्या होगा। 27 तारीख को दो दफा तीन-तीन घण्टे तक बराबर ट्राई किया लेकिन बात ही नहीं की। इस तरह से तो आपके विभाग की भगवान ही रक्षा करेगा।

श्री मदनसिंह दांता : लॉ एण्ड आर्डर पर हमारे भी स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं। गृह मंत्रीजी उत्तर देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। पहले उनको सुन लें।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन को पूरी ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में, जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, इस तरह का एक भी शब्द कहीं भी किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा है, न कोई प्रेस कांफ्रेंस में इस तरह की बात कही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी अखबार में इस तरह की बात छपी है तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उसका खण्डन करूं। लेकिन मैं यह बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे इसका कोई पता नहीं है। जानकारी में यह बात नहीं है। मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई। सदन यकीन करे या न करे लेकिन यह बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अभी इसके डिटेल में जाने का अवसर नहीं है, जब इस विषय पर चर्चा होगी सदन में उस सदन सारी बातें कही जायेंगी। इसमें क्या मंशा होती है, क्या कार्यक्रम होता है, कैसे मंजूर करवा लेते हैं, क्या मामला होता है, इस सम्बन्ध में जिस समय चर्चा होगी मैं अपने विचार रखूंगा। लेकिन यह कहना बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह राजी से करते कराते हैं। राजी कैसे करते होंगे? अपने साधनों से। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बात को न तो मैंने पहले माना न आज मानता हूं और न कभी मानूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले कह चुके हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा उससे सहमत हो चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा स्थगन प्रस्ताव है इस पर। पहले चर्चा थी वह बाढ़ के बारे में थी। मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कुछ पाइन्ट इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पर बहस होगी और जब गृह मंत्री महोदय जवाब देंगे तो जवाब देना जरा ज्यादा मौजूं रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा मेरे स्थगन प्रस्ताव पर रोशनी डालना चाहूंगा। अभी डागा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है वह हरिजनों पर ज्यादतियों के बारे में है। इस बारे में मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा है कि राज्य के अन्दर कमजोर वर्ग असुरक्षा की भावना से भयग्रस्त है। इसके साथ हमारे देश के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने भी कई दफा पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखने का जिक्र किया। डांटने की बात कही है पुलिस अधिकारियों को और आखिर जब मर्ज बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई तो उन्होंने मुख्य मंत्रियों

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

की कांफ्रेंस बुलाई लॉ एण्ड आर्डर पर विचार करने के लिये। खैर, मैं बाकी बातें फिर कहूंगा, मगर मेरा सवाल एक है कि क्या हरिजनों को हम बचा पायेंगे ? क्या हम किसी कमजोर वर्ग को, जिस पर अत्याचार हो रहे हैं, बचा सकेंगे ? एक वर्ग जो सशक्त है, सबल वर्ग है वह हमेशा हमला कमजोर पर करेगा। जब तक आप हरिजनों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप उनको बचा नहीं पायेंगे। बाकी वर्ग जो कि ताकत से लैस हैं, उसके बराबर जब तक आप हरिजनों को ताकतवर नहीं करेंगे तब तक न यह अत्याचार कम होंगे, न मिटेंगे। यह सवाल जाति का नहीं है, सवाल है वर्ग का। जब तक कमजोर वर्ग रहेगा, जब तक इसको सबल नहीं करेंगे, बराबर का नहीं बनायेंगे, अत्याचार करने वालों के बराबर सबल नहीं करेंगे तब तक अत्याचार नहीं मिटेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। मगर इसके साथ-साथ मैंने इस प्रश्न पर अपने स्थगन प्रस्ताव में खास तौर से एक सवाल की तरफ ध्यान दिलाया है। मुख्य मंत्रीजी, मुझे अफसोस है कि अगर जनता पार्टी के राज में विद्यार्थियों को और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गुण्डा एक्ट के तहत आप काबू में करना चाहें और गुण्डा एक्ट के तहत उनके चालान करना चाहें तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि आखिरकार जनता पार्टी की इस व्यवस्था में और जो कांग्रेस राज था उसमें क्या फर्क है ? तीस साल के कांग्रेस राज में मेरे ख्याल में किसी भी विद्यार्थी को गुण्डा एक्ट में नहीं लिया गया। यह पहली दफा है जो ऐसा हुआ है। इसके लिये हम गृह मंत्री से मिले हैं, हमारी पार्टी के लोग मिले हैं, मुख्य मंत्री से मिले हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि इस बात को तस्लीम करने के बाद भी, इस बात को मानने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। मेरी पार्टी के नेता कामरेड जनरेलसिंह, जो अलवर जिले के रहने वाले हैं, और दूसरे मेरी ही पार्टी के अलवर किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड घूरीलाल, जो आप लोगों के साथ जेलों में रहे हैं, क्या गुण्डे हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूं ? सीकर के अन्दर झगड़ा हुआ, इसके सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव रखा था। मैं कहता हूं कि इस तरह के झगड़े बढ़ रहे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इन झगड़ों पर काबू कीजिए। काबू करने के लिए आपने इन विद्यार्थियों को गुण्डा एक्ट के तहत नोटिस दिया और उनका चालान कर दिया, उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया। इसी तरह से कोटा के अन्दर हुआ। विरोधी पक्ष के लोगों को, उनकी राजनैतिक विचारधारा को, उनके संगठन को आपकी पुलिस इस तरह से खतम कर रही है। मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले अधिवेशन के अन्दर एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कोटा की घटना को लेकर। मैं उस घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। का. घासी लाल सीटू का सक्रिय कार्यकर्त्ता था। दिनांक 14–3–78 की रात को आर.एस.एस. और बी.एम.एस. के लोगों ने कारखाने के मुख्य द्वार के आगे उसका कत्ल कर दिया। यह भी मैंने कहा था कि इसके अंदर

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

वहां के एक माननीय मंत्री जी का भी हाथ है, उनका आशीर्वाद है। उसके बाद चार मुलजिम पकड़े गये। इन लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की गई। कामरेड मोहन पूनमिया ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखे। गृह मन्त्री ने उसका जवाब दिया है कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। आपने, गृह मंत्रीजी, अपने पत्र में यह कहा था कि हम बाकी 6 फरार मुलजिमों के खिलाफ अदालत से कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं। यह आपने, मुख्य मंत्री जी, लिखा है। नरेन्द्र श्रीवास्तव, शिव प्रसाद ब्राह्मण गिरिजाशंकर, रविन्द्रसिंह राजपूत के चालान प्रस्तुत कर दिए हैं। सियाराम यादव, शिवजी, प्रभूलाल, रामवक्ष, ओमवक्ष, किशोरसिंह राजपूत और ओंकारलाल तिवाड़ी के विरुद्ध धारा 299 फौजदारी की कार्यवाही करने के लिए न्यायालय से आपने प्रार्थना की है। हमने उस वक्त भी यह इल्जाम लगाया था कि इसमें आर.एस.एस. और बी.एम.एस.का हाथ है। यह बी.एम. एस. आपके काबू में नहीं है। वह नाम तो सरकार का लेता है और दूसरे लोगों के साथ सरे आम झगड़ा करता है। राजस्थान के अन्दर बी.एम.एस. ही एक ऐसा संगठन है जो मिल मालिकों की सेवा करता है और मालिकों से पैसा लेकर मजदूरों को सताता है। यह इसके नेताओं का धंधा है। जो दूसरी यूनियनें हैं उन पर हमला करता है, उसके कार्यकर्त्ताओं का कत्ल करता है।...

श्री एच. एन. शर्मा : क्या यह आपका दिल बोल रहा है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले बात को सुन लें।

श्री नूरा : आपने भीलवाड़ा में भी दंगे-फसाद कराये हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने के 6 महीने बाद भी इन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 महीने तक इस बात की कोशिश की गई कि उनकी हाई कोर्ट से जमानत करा लें। मैं निवेदन करूंगा कि किस तरह से वे पकड़े गये, कहां पर पकड़े गये और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? इस लैटर ने उनको गिरफ्तार करवाया है। कहां पर गिरफ्तार करवाया ? यह लैटर दिनांक 22-8-78 का है जो मुलजिम ओंकार का लिखा हुआ है जिसको कि न्यायालय ने फरार घोषित कर रखा है। उसने लिखा है– कहां से लिखा है–'विधायक पुरी,' क्वार्टर नम्बर 6 और 7, जहां पर कि बी.एम.एस. का दफ्तर है। दाऊदयालजी जोशी का फ्लेट नम्बर 6 है और फ्लेट नम्बर 7 कौशलकिशोर जी का है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाद में जवाब दे देना।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे मालूम है आपने बदल लिया है। आप बहुत होशियार निकले! आपने यह फ्लेट किसी भले आदमी के नाम करवा लिया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस लैटर के कन्टेन्ट आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपने विचार संक्षेप में प्रकट करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत ही इम्पार्टेन्ट सवाल है। सवाल यह है कि राजस्थान में अगर इन राजनैतिक हत्याओं को नहीं रोका गया, जो कि एक साजिश की जा रही है और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं उनको नहीं रोका गया तो सारे राजस्थान के अन्दर इससे बदअमनी फैलेगी। सारे राजस्थान के अन्दर खराब हालत पैदा हो जायेगी जिसको संभालना मुश्किल हो जायेगा। आप यह न समझें कि इससे मैं डर गया हूँ, या कि हम बी.एम.एस. के हमले से घबरा गये हैं, या कि डर कर यहां पर इस मसले को उठा रहा हूं। जो लैटर है उसके कन्टेन्ट्स मैं सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। असल में हम घबराये हुए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में शान्ति और अमन–चैन बना रहे, दूसरे राजनैतिक संगठन आजादी के साथ काम कर सकें और जो लोग उसके साथ आवें उनको लेकर वह आगे बढ़े। तो अब मैं आपको लैटर के कन्टेन्ट सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पत्र का सार कह दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पत्र के लास्ट में लिखा है, "सेवा में प्रहलाद।" भेजने वाले का नाम लिखा है, प्रहलाद। कहां से लिखा गया है–विधायकपुरी, रूम नम्बर 7, जहां पर कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय है। तो यह लैटर वहां से लिखा गया है। यह जो लैटर लिखा गया यह बहुत ही होशियारी से लिखा गया। बी.एम.एस. संगठन के साथ जो रहा है, वह आखिर में ऐसे दांव पेच तो सीख ही जाता है। हम जानते हैं कि वे किस तरह से काम करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ओंकारसिंह, जो कि फरार मुलजिम है, ने यह लैटर लिखा। लैटर के अन्त में उसने अपना नाम लिखा "प्रहलादराय"। यह इसलिए लिखा ताकि वह पकड़ा न जाए और लैटर पकड़ा जाय तो पोल न खुले। परन्तु वह एक गलती कर गया। उसने शुरू में "प्रहलादराय" न लिख कर "ओंकार" लिख दिया। यह लिखा–ओंकार की तरफ से माताजी, पिताजी को प्रणाम स्वीकार हो। परन्तु बाद में उसने लैटर के लास्ट में "प्रहलादराय" लिखा। शुरू में लिखा "ओंकार" ताकि वह पकड़ा न जाए। उसने लिखा है–"किसी बात की चिन्ता मत करना ···

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं इसकी कापी सदन को दे दूंगा। उन्होंने कहा, "तुम घर चले जाते, मैं जाने के लिये तैयार हो गया था।" उनके फादर ने लैटर लिखा था। हरिभाई, जो बी. एम. एस. के लीडर हैं कोटा में, यह रैफरेन्स दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया संक्षेप में कहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस लैटर के दो-तीन कन्टेन्ट पढ़ दूं। हरिभाई साहब ने मना कर दिया। "अगर तुम चले जाओगे तो केस इधर उल्टा हो सकता है।..."

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस लैटर को पढ़ने की अनुमति ले ली गई है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हां, हां ले ली है। तसल्ली करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

दूसरी बात उन्होंने यह लिखी है 'इसलिये हमको नहीं जाने दिया।' तीसरी मुसीबत थी. . तो...

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले रहे हैं, इस तरह से चर्चा का कोई अन्त नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 'मुसीबत तो आ गई है। अब क्या करें। जो एक बार गलती हो जाती है वह बारबार नहीं होती।' इसके साथ में जो उन्होने लास्ट में पैरा लिखा हैं. .

श्री उपाध्यक्ष : आप चर्चा दूसरे मुद्दे पर उठावें।. .

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। क्योंकि मेरा नाम इस संदर्भ में आया है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे समय दिया जाय ताकि अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ये चर्चा समाप्त कर लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 'यह लिखा है, हम सब लोग एक ही जगह पर हैं।' उन्होंने इस बात का रेफरेन्स दिया है कि हम सब लोग एक साथ हैं, याने भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दंड-संहिता की धारा 212 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो मुलजिम फरार घोषित किया गया है उसको जिसने शरण दी हो, वह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है और उसको पांच साल की सजा देने का प्रावधान है।

मैं कहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से, आप पार्टी का ध्यान नहीं रखें। अगर दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता, तो क्या करते? अगर बी. एम. एस का नहीं होता तो क्या करते? दाऊ दयाल जी ने झगड़ा किया...

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह सरासर झूठ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : डायरी मंगवा लीजिये आप। पत्र है मेरे पास। सदन की मेज पर रख सकता हूं। तीन मुलजिम आपके फ्लेट से पकड़े गये। बाकी को भगाने का इल्जाम है वे बी. एम. एस. के हैं। मैं संजीदगी के साथ कहता हूं मंत्री महोदय भी इससे अछूते नहीं हैं। उनके आशीर्वाद से ही यह हुआ है, अध्यक्ष महोदय। मैंने जिम्मेवारी से कहा था उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। जिस तरह मोरारजी देसाई कहते हैं कोई भी बात होगी वह कानून के अनुसार होगी। जिन लोगों ने उन्हें छिपाया है उनके खिलाफ कानून के जरिये कार्यवाही करें। कौशल किशोर जी बढ़ बढ़ कर कह रहे हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन. आप मेरा नाम मत लीजिए। श्रीमान्, आप बोल रहे हैं मैं उसका पूरा उत्तर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कहना चाहता हूं आप जवाब दें कि क्यों नहीं कार्यवाही हुई? आप जवाब दें कि क्या वजह है? मैं सारा का सारा षड़यंत्र आपके सामने पेश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी का नाम लेकर पुकारिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। वे स्पष्टीकरण दें कि 3 मुलजिमों को किस जगह अरेस्ट किया गया ? आप यह बता दें कि क्या 3 मुलजिमों को 7 विधायक-पुरी में से अरेस्ट किया गया ? इन्होंने निश्चित तौर से यह आरोप लगाया है, मैं समझता हूं बड़ी-बड़ी हैड लाइन्स में यह समाचार छपा है कि जनता पार्टी के विधायकों के यहां से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। बाद में छोटी सी लाइन में छपा है कि यह आरोप गलत है। मैं समझता हूं कि अगर तीन मुलजिमों को जनता पार्टी के विधायकों के यहां गिरफ्तार किया गया तो निश्चित रूप से गृह मंत्री का दायित्व है कि····

श्री दाऊदयाल जोशी : विद्युत् मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। क्या सदन में इस पर चर्चा करने के आपने आदेश दे दिये हैं ? तब तो इस सदन की कार्यवाही आज शाम तक चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंह जी, जो चर्चा उठाई गई उसमें कौशल किशोर जी का नाम आया है। वे स्पस्टीकरण दे सकते हैं।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

श्री कौशल किशोर जैन : 20 अगस्त की यह घटना बताई गई है···

एक माननीय सदस्य : 28 अगस्त की।

श्री कौशल किशोर जैन : 28 अगस्त की सही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि मैंने 7-विधायकपुरी 18 जून, 78 को खाली कर दिया था। माननीय सदस्य, सुनिये मेरी बात····

श्री श्योपतसिंह मकासर : 14-3 का है और आप कह रहे हैं·····

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हू कि आप झूठ का महल खड़ा कर रहे हैं। 18 जून को मैंने 7 विधायकपुरी खाली कर दिया था। मैं मोहनबाड़ी में रहता हूं। मैंने सूचना दे दी थी। बाहर जो नाम पट्टिका लिखी है उस पर भी मेरा नाम बदल दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता, इस काण्ड में मुझे क्यों घसीटा गया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के सिंचाई मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी पर आरोप लगाया गया, यह भी एक षड़यंत्र है। 7 विधायक पुरी मैंने 18 जून को खाली कर दिया था। 29 अगस्त को गिरफ्तारी हुई और हत्यारे पकड़े गये। मैं पूछना चाहता हूं किस तारीख की आप चर्चा करना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीट्र के सह. मंत्री, जो भीलवाड़ा से आये थे, को भीलवाड़ा के मजदूरों ने नहीं सुना। इसी का परिणाम हुआ कि वे रात्रि को शराब पीकर मेरे घर पर आये और मुझे धमकियां देने लगे। इस पर मुझे कहना पड़ा कि चले जाइये। इस प्रकार का षडयंत्र वे करना चाहते हैं। इसी प्रकार जिस दिन गिरफ्तारी हुई दाऊ दयाल जी वहां नहीं थे। मुझे बड़ा दुःख है कि अब भी माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। मैंने वह मकान

(48)

(श्री कौशल किशोर जैन)

खाली कर दिया था। आप चर्चा करना चाहते हैं कि वे वहां पहले छिपे हुए थे। मैं नहीं जानता कि अपराधी कौन है। अगर हत्या की है तो अपराधी पकड़े जाने चाहिये। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात नहीं होनी चाहिये। ऐसी बातें अखबारों की लाइन बन सकती हैं लेकिन इस सदन के समाचार नहीं बन सकते।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक चिट्ठी का हवाला देते हुए मुझ पर आरोप लगाने का प्रयास किया गया। माननीय सदस्य ने वह चिट्ठी किससे प्राप्त की, कहां से प्राप्त की, कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है ? मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कोटा में सीटू की योजनाबद्ध तरीके से राजनैतिक हत्या करने का दुष्ट प्रयास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक प्रकार का षड़यंत्र मेरे साथ किया गया है। मैं चैलेन्ज देकर कहता हूं कि जनता पार्टी का नेता या कांग्रेस पार्टी का नेता कोई भी कोटा में जाकर सुन लें कि दाऊदयाल का क्या चरित्र है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो स्टेटमेन्ट पुलिस में दिये, अदालत में दिये, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने छिपे छिपे जांच करवाई, उनके स्टेटमेन्ट आप पढ़ें तभी पता चलेगा। मैं चेलेन्ज करता हूं कि अगर मेरे कमरे में से किसी प्रकार के अपराधी पकड़े गये, यह सिद्ध हो जाय तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आपका बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता कोई क्यों न हो मैं चुनाव में बता दूंगा। मेरा यह दावा है इस प्रकार से दाऊदयाल को आप बदनाम नहीं कर सकते। भवानीपुर की हत्या के मामले में इनके 7 व्यक्ति आज भी जेलों में आजन्म कारावास में सड़ रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : दाऊदयालजी ने अभी कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जांच की है। जब ऐसे गम्भीर आरोप हैं तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे उस जांच रिपोर्ट को सदन में पेश करें।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह डागाजी बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 272 में जो लिखा है वह पढ़िये। उसमें कहा गया है कि कोई भी मैम्बर किसी भी मैम्बर पर आरोप न लगाये। यहां पर यह आरोप लगाये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

यहां पर एक मैम्बर के खिलाफ चार्ज लगाया है। 272 (2) में यह लिखा है कि कोई मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर पर चार्ज नहीं लगा सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी दो मसले उठाये गये हैं। उन पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह आश्वासन दिया है कि एक दिन तो हरिजनों के बारे में और दूसरे दिन ...

श्री मदनसिंह दांता : अभी कह रहे थे कि देंगे।

श्री मूलचंद डागा : यह वुड बी मंत्री हैं। यह होने वाले मंत्री हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : यह किस पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दें।

श्री मदनसिंह दांता : यह क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सुनने तो दें कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दो बातें बताई हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सदन की भावनाओं के अनुकूल कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट सदन मे अभी तक डिस्कस नहीं हुई है उसे इसी सत्र में रखा जाय और उस पर तीन दिन तक डिस्कशन हो जिससे जो लोग हरिजनों के सम्बन्ध में बात बताना चाहते हैं उनको मौका मिले। इस तरह से दबाने से और टाइम कम मिलने से सदन का वातावरण इस तरह का हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयनारायण जी, आप बैठिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमने यह कसम नहीं खाई है कि सदन 13 तारीख तक ही चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराज जाइये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के मामले में रोज रोज इस तरह की बातें होती हैं इसलिये इस पर पूरे टाइम से विचार होना चाहिये। इसके बारे में सरकार की नीति भी सामने आनी चाहिए और सदन की भावनाएं भी सामने आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसको इस तरह से दबा दिया तो बहुत बुरा परिणाम होगा। इसमें जनता पार्टी की और सरकार की इज्जत निहित है। हरिजनों को लेकर विरोधी लोग जनता सरकार की इमेज खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जयनारायणजी, आप बैठ जाइये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में विचार करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कोई समय निश्चित कर लिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप डिस्कस करना चाहते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट को 13 तारीख के बाद डिस्कस कर लें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष, लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। मेरा कतई मतलब यह नहीं है जैसा कि और पार्टियों का है। क्या कारण है कि लॉ एण्ड आर्डर जैसी बड़ी चीज पर चर्चा नहीं हो। इससे गवर्नमेंट चेन्ज नहीं हो सकती। लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम देश में और राजस्थान में है। इसके लिए कोई व्यवस्था, कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मैं आज तीन महीने से इसके बारे में सुझाव दे रहा हूं। मैंने भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, राजस्थान के होम मिनिस्टर को पत्र लिखा है जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं। सन् 1868 का एक एक्ट है जिसको माननीय शेखावत साहब भी जानते हैं। लॉ एण्ड आर्डर के लिए उसमें जो धाराएं हैं उनके अ. पूरा प्रबन्ध हो सकता है। इस पर आपके माध्यम से श्रीमान् भैरोंसिंहजी साहब से यह कहना चाहता हूं कि कल कहीं चोरी हो गई; परसों कहीं चोरी हो गयी; खाचरियावास में चोरी हो गई, यह चोरी आखिर कौन कर रहा है? यह महाजनों के लड़के और सुनारों के लड़के कर रहे हैं। अगर कोई मीणा करता तो प्रबन्ध की बात होती। यह चोरी क्यों हो रही हैं? इस गवर्नमेंट को अपने दोस्त की गवर्नमेंट समझते हैं इसलिये वे अपना अधिकार समझते हैं। जब मुझे चोरियों के बारे में मालूम हुआ तो मैंने सुझाव दिये, होम मिनिस्टर को दिये, गवर्नर महोदय को मैंने सुझाव दिये तो उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने ऐसे सुझाव नहीं दिये। पुलिस एक्ट की धारा 12 को ले लें, 14, 15, 21, 29 और 44 के ले लें। उनके अन्दर चौकीदारी सिस्टम के बारे में प्रावधान है। अभी मुख्य मंत्री ने कहा कि आप हमें अधिकार दे दें। अंग्रेजों के इस एक्ट में क्या अधिकार थे? वह आज राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में नहीं हैं, और प्रदेशों में नहीं हैं। इसलिए मैंने सुझाव दिये हैं। इन धाराओं के अन्दर यह है कि ग्राम चौकीदार हो, और शहरों के अन्दर भी चौकीदार हों। उसमें यह भी प्रावधान है कि आप थानेदार नियुक्त कर सकते हैं। अगर आप यह समझते हों कि मथुरादासजी बहुत अच्छे आदमी हैं तो ···

श्री एच. एन. शर्मा (वेंगू) : सब से बड़े चोर यह हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर माथुर साहब थानेदार बनना चाहते हों तो मैं आज ही नियुक्ति दे दूं।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) : अगर यह चला तो जैसे कल का थानेदार आज चीफ मिनिस्टर है वैसे आज का थानेदार भी कल चीफ मिनिस्टर होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप थानेदार के अपाइंटमेंट का आर्डर यहां पर नहीं दे सकते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है।

श्री मदनसिंह दांता : इस एक्ट के अन्दर टेम्प्रेरी किसी जगह का थानेदार नियुक्त किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने सुझाव माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दें।

श्री मदनसिंह दांता : आप सुन लें या यहां पर गालियां निकलवाना चाहें तो वह कर दूं। मैं यह चाहता हूं कि सदन के सदस्य सुन लें। धारा 21 के अन्दर यह प्रावधान है कि किसी को थानेदार रख सकते हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस एक्ट की सभी धाराओं की व्याख्या की जायेगी तो समय काफी लगेगा। समय इतना नहीं है। आप जो कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं वह सादर आमन्त्रित है। आप मुझको भी सुझाव दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : श्रीमन्, आप को सुझाव भी पसन्द नहीं है तो फिर क्या पसंद है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे भी सुझाव दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आयन्दा मैं बोलूंगा ही नहीं। यहां पर बोलना भी अधर्म है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत पुराने बुजुर्ग सदस्य हैं। इनको बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपके सुझाव मुझे दे दें, माननीय मुख्य मंत्री को दे दें और सभी माननीय सदस्यों को दे दें।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने यह सुझाव माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिया, भारत के प्रधान मंत्री को दिया और यहां पर जो गृह मंत्री बैठे हुए हैं उनको दिया। वह नहीं मानते हैं इसीलिए तो यहां कहते हैं। आप भी नहीं मानते हैं। अगर आप मानते तो सदन में सबसे पहले लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में चर्चा होती। कोई लड़की को ले कर भाग रहे हैं, कोई चमारी को ले जा रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हैं ? यह कैसे रोका जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : ले गये तो ले गये।

श्री मदनसिंह दांता : पुलिस थाने की जो डायरी है वह कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए हफ्ते के हफ्ते।

आज आपके पुलिस कर्मचारी पर कोई मुकदमा नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आई.जी. और होम मिनिस्टर से इजाजत लेनी होती है। धारा 28 में आप चौकीदार लगा सकते हैं। लॉ एण्ड आर्डर के लिए चौकीदार को लगा सकते हैं। उसके द्वारा आपके पास इन्फार्मेशन आ जायेगी कि कितने गुण्डे हैं और कौन-कौन गुण्डे हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपके पुलिस एक्ट में ऐसा प्रावधान है। कांग्रेसियों के पास गुण्डों की लिस्ट है। कांग्रेसी राज में कहां-कहां गुण्डे थे, कौन कौन थे, इसकी पूरी लिस्ट है। वह गुण्डे नीची जाति में नहीं मिलेंगे। सारे के सारे बड़ी जातियों के मिलेंगे। उनको हवाखोरी की जरूरत है। मोटरों की जरूरत है। पैट्रोल की जरूरत है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के लिए बैठकर मजिस्ट्रेट बात करेंगे तभी लॉ एण्ड आर्डर

(श्री मदनसिंह दांता)

की सिचुएशन ठीक हो सकती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को कहूंगा, जैसा उन्होंने रेवेन्यू के लिए अभियान चलाया है, वैसा ही पुलिस के लिए भी अभियान चलायें। इससे यह पता चलेगा कि कौन सा थानेदार रिश्वत खाता है।

दूसरी बात आप कहते हैं कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। अगर ट्रांसफर सजा नहीं है तो एक थानेदार का ट्रांसफर हो जाता है तो वह तीन तीन महीने तक मुख्य मंत्री के बंगले पर क्यों पड़ा रहता है? जिस विधायक को यह महसूस हो गया हो कि उसकी जगह का थानेदार काम नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि उसका ट्रांसफर होना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से मिलता हूं तो कहते हैं, हमारा राज कैसे चल रहा है? फिर बताते हैं कि तीन डाकू पकड़े हैं। मैंने इस बारे में जो चिट्ठी लिखी है, वह मैं बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : आपको कुछ लग रहा है। मैं ऐसी पार्टी का हूं कि आप मुझे कम ही छेड़ा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मेरा अधिकार है।

श्री मदनसिंह दांता : आनन्द सिंह पर अत्याचार हो रहा है। छः महीने बाद...

(व्यवधान)

सभा का सत्र बुलाया है इसलिये लॉ एण्ड आर्डर पर कोई न कोई दिन रख कर गम्भीरतापूर्वक विचार करें अन्यथा विधान सभा को चला कर चले जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको पता है, सुरक्षा कैसी होनी चाहिये? नहीं होगी तो आप जहां 6 महीने में जायेंगे वहां 5 महीने में ही चले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

श्री मदनसिंह दांता : बहन बेटियों की इज्जत गयी है. यह जरूर हो रहा है। इसी लिये लोगों को कह रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : यह अदालत नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : यह अदालत नहीं है। भंवरलाल जी के घर पर पहलवान के लड़के ने किस को छुरा घोंप दिया। उनको प्रोटेक्शन दे रखा है।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

श्री मदन सिंह दांता : पहलवान का लड़का है। आपके संघ का सदस्य है।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य जो कह रहे है.......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने आरोप को स्पष्ट नहीं किया है। वह स्पष्ट होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन सिंह दांता, कृपया आप विराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सारा भाषण उन्होंने किया है उसमें लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा करते हुए जिस प्रकार उन्होंने चर्चा की है इससे लगता है कि चूंकि ललित किशोर चतुर्वेदी कोटा का विधायक है इसलिये इस नाम को घसीट लेने की उन्होंने एक प्रथा बना ली है। अगर उनकी पार्टी के लोगों की साख गिर रही है तो राजनैतिक गोटियां फेंकने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपको बढ़ा रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिन लोगों की बात करते हैं वह इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उन्होंने ही सभी प्रकार का आतंक फैलाने की कोशिश की है। इसके बाद जब जमानत जब्त होती है तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मैं इनके आरोप को गलत मानता हूं। यह अगर सही साबित हो जायें तो ललित किशोर चतुर्वेदी न केवल मंत्री पद से ही इस्तीफा दे देगा अपितु विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : किस प्रकार से यह कहते हैं, पता नहीं है।...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जमानत जब्त होती है...

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : मैं क्या जवाब दूंगा। जवाब तो जनता देगी।

श्री मदनसिंह दांता : जनता तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती है। तुमने जनता को धोखा दिया है। गांधीजी की समाधि पर शपथ लेकर × × × लड़ते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराज जायें।

श्री करतार सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य दांता जी ने जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि × × × लड़ रहे हो।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने नहीं कहा है।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : कहा है।

श्री करतार सिंह : मेरा निवेदन है कि वह कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा, उसके बाद निर्णय ले लूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

×××अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री करतारसिंह : माननीय सदस्य ने XXX लड़ रहे हैं कहा है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी कारण के कहा है। जब मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : दाऊदयाल जी ने कहा, कि माननीय मन्त्री जी पर झूठा आरोप सदन के अन्दर लगाते हैं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : यह क्यों नहीं कह देते कि घासीलाल मरा ही नहीं है।

जोर से बोलकर आप दबा नहीं सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। दो गावों, ग्राम भूतला एवं जैरण, जिला जालौर की कुछ जमीन, जो गोचर जमीन थी, नियमों के विरुद्ध पाक शरणार्थियों को आवंटित कर दी इसके लिए वहां पर तीन तीन हजार आदमी पीसफुल सत्याग्रह कर रहे हैं। एक गांव में यह बताया गया कि गोचर जमीन ज्यादा है इसलिए पाक शरणार्थियों को दे दी है, दूसरे गांव में मवेशियों की संख्या ज्यादा बताई गई है। इसको अलाट करने के लिये सरपंच या पंचायत का कोई प्रस्ताव नहीं है, गांव वाले कोई प्रस्ताव नहीं लाये हैं। गांव की गोचर जमीन है इसको? प्रति मवेशी के हिसाब से छोड़ा जाय, एक तरफ आप यह कहते हैं और दूसरी तरफ गोचर जमीन आवंटित करते हैं। अगर गोचर जमीन सरकार देना चाहती है तो पंचायतों से प्रस्ताव मांगना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उसको शाया करना चाहिए ताकि लोग अपने एतराज पेश कर सकें। हालांकि दूसरी जमीन बहुत पड़ी हुई है लेकिन गोचर जमीन, जहां पर रामदेवजी का, हनुमानजी का स्थान है, थोड़ी सी है। बड़े बड़े, सौ सौ वर्षों के दरख्त थे उनको काट दिया गया है। तीन महीने से वहां पर लोगों का संघर्ष चल रहा है और हजारों आदमी वहां पर बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें कोई पार्टीबाजी का प्रश्न नहीं है, किसी का कोई मतभेद नहीं है। कलेक्टर से भी रिपोर्ट आ चुकी है कि अलॉटमेन्ट गलत हो गया है। सरपंच को कान्फीडेन्स में लेना चाहिए था उसको कान्फीडेंस में नहीं लिया। एम.एल.ए. को नहीं पूछा और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकार ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की। वहां के लोग हाई कोर्ट में चले गये, वहां से स्टे आर्डर जारी हो गया। आप लोगों को क्यों परेशान करते हैं? सैंकड़ों लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जनता के हित में लॉ एण्ड आर्डर के हित में, आपने कुछ आदमियों को जेल में भेज दिया धारा 107 में तो भी लोग दबे नहीं हैं। कलेक्टर ने रिपोर्ट दी कि हजारों आदमी आ रहे हैं और यह मामला गम्भीर बन गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि यह एक सार्वजनिक मसला है, आप इन्दिराजी को बदनाम करते हैं फिर आप गांव वालों को परेशान क्यों करते हो?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

XXX अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोकित की गई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वहां पर गोचर की जमीन बहुत कम है, इसलिए आप उस आवटन को खारिज करिये। इसे प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनावें। इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। पुलिस के जरिये। क्यों रिफ्यूजीज को वहां पर फंसा दिया? आप उनको राजस्थान कैनाल में जमीन दें, हमको भी आप कान्फीडेन्स में लें। कलेक्टर की आप रिपोर्ट मांगें, पुलिस की रिपोर्ट मांगें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चारों तरफ जमीन पड़ी है। मैं यह कहना चाहूंगा, राजस्व मन्त्रीजी, तीन महीने से वहां पर संघर्ष चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर यह कहा जाता है कि जानकारी आ जायगी। मैं यह चाहूंगा कि इसे प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनायें और आप जल्दी ही इसका फैसला करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उठाया था। उस प्रश्न का इस सदन, राजस्थान की जनता और भारत के आम अवाम से बहुत गहरा सम्बन्ध है लेकिन आपने कृपापूर्वक उसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह राज्य सरकार के परव्यू में नहीं आता है। पिछली 10 अगस्त, 1978 को हमारे देश की ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। आपने इस पर व्यवस्था दे दी है। राज्य सभा और लोक सभा में इस पर चर्चा हो गई है। क्या आप यह उचित समझेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री, जो इस सदन में नहीं हैं, के सम्बन्ध में चर्चा की जाय?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरीजी, स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या किसी और विधान सभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है, कर्नाटक में, केरल में या आन्ध्र में? मेरे खयाल से कहीं इस पर चर्चा नहीं हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन लेजिस्लेटिव बिजनेस को डिस्कस करने के लिए ही नहीं है, यह सदन राजस्थान की तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व का एक स्वरूप है, एक फोरम है। आज जो पाइन्ट्स और प्राब्लम्स देश और प्रदेशों के सामने हैं जिनसे देश का अस्तित्व खतरे में है, उन प्रश्नों को अगर राजस्थान के इस फोरम पर डिस्कस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसी सदन में बंगला देश की वार का प्रश्न उठाया था, इसी सदन में आपने चाइना बोर्डर का इश्यू उठाया था और इसी सदन में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के अनेक मामले उठाये गये थे। इसी सदन में पूर्वी पाकिस्तान, जब वह पाकिस्तान का हिस्सा था, का मामला भी उठाया गया था। उस जमाने के कांग्रेसी सरकार के मुख्य मंत्री ने आपको सुना और जवाब दिया था, यह सब प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। आपके स्थगन प्रस्ताव का माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उत्तर दिया, आप प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लीजिये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

कान्ति भाई देसाई पर जो चार्जेज लगाये गये हैं, मान्यवर, उनके सम्बन्ध में राज्य सभा और संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि I am in limit मैं जुरिस्डिक्शन में हूं। इस सदन को अधिकार है कि जो प्रस्ताव राज्य सभा में पारित हुआ है उस पर चर्चा करे। राज्य सभा राजस्थान के तीन करोड़ लोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है। वहां पर पक्ष-विपक्ष में मत देकर उसको पास किया गया है और वह मांग की गई है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री पर तत्कालीन गृह मन्त्री ने जो इल्जाम लगाये हैं और प्रधान मंत्री ने तत्कालीन गृह मन्त्री जी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो इल्जाम लगाये हैं और दूसरे जो 24 आरोप लगाये हैं उनके सम्बन्ध में अलग-अलग कमीशन मुकर्रर करें। मैं प्रधान मंत्री के विरुद्ध इल्जाम नहीं लगाना चाहता लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था पालियामेंट में जो प्रस्ताव पास हुआ जिसका समर्थन कांग्रेस (आई), सी.पी.आई., प्रोग्रेसिव फ्रंट और निर्दलीय सदस्यों ने किया, उसका जिक्र यहां होना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी, जिस दिन आप मुख्य मंत्री बने थे, आपने कहा था कि आज से राजस्थान से भ्रष्टाचार दूर हो गया, समाप्त हो गया। पत्रकारों ने आपसे पूछा कि हम यह खबर छाप दें? आपने उनसे कहा, हां छाप दीजिए। मैं उसी संदर्भ में अपनी बात रखता हूं कि आपकी जनता पार्टी के संस्थापक श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटना तो दूर रहा, भ्रष्टाचार बढ़ गया और बढ़ गया। उन्होंने कहा है उच्च राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार भयंकर रूप से बढ़ा है। आपकी जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव, जिसके आप सदस्य हैं, की बैठक में आप क्यों नहीं गए? आप कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते जिससे आपका एक पैर चरण सिंह के पास, एक पैर चंद्रशेखर के पास, एक पैर मोरारजी देसाई की ड्योढ़ी पर रहे . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पालियामेन्ट्री पार्टी की मीटिंग पर बहस नहीं हो रही है जिस पर आप अपना भाषण दे रहे हैं। यह विधान सभा की बैठक चल रही है।

श्री राम नारायण चौधरी : मुझे प्रसन्नता नहीं होती आपकी पार्टी का जिक्र करते हुए।

(व्यवधान)

आज एक अहम प्रश्न है देश के सामने। आपके तत्कालीन गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। चरण सिंह ने आरोप लगाया है कांति देसाई के खिलाफ।

भूतपूर्व गृह मंत्री चरण सिंह ने आज कहा . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : मेरे सुझाव से श्री देसाई . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड न किया जाए

श्री राम नारायण चौधरी : × × ×

श्री दुलाराम : जब इन्दिरा गांधी के बेटे के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है तब तो ठीक है, तो मोरारजी के बेटे के खिलाफ चार्ज क्यों न लगाया जाए जिसने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है ? वह भी सदन में आना चाहिए, और आपको सुनना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन में जो विषय नहीं ला सकते उसके ऊपर चर्चा करके सदन का समय अनावश्यक रूप से लिया जा रहा है। इस पर यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी, जो परम्परा रही है स्थगन प्रस्तावों के बारे में उसके अनुसार जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं उन पर चर्चा के लिए कुछ समय अवश्य दिया जाता है। आप अपनी चर्चा को अपने विषय तक ही सीमित रखें और संक्षेप में कहें ।

श्री रामनारायण चौधरी: मैं नम्रतापूर्वक आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। मैं सीमा में रहूंगा और आपके सुझाव को पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, इतना ही नहीं जनता पार्टी के संस्थापक श्री जे. पी. ने कहा कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जे. पी. से पूछा गया कि आपने हाल ही में कहा था कि अपने बेटे पर लगाए गए आरोपों के बारे में प्रधान मंत्री का रवैया गलत है। क्या आप अब भी इस बात को सही मानते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा, "हां, अगर ये आरोप किसी मामूली आदमी ने लगाये होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये आरोप . . .

(व्यवधान)

आप सुनने की हिम्मत रखें ।

एक माननीय सदस्य : आप आरोप लगायें, अखबार क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने कहा, अगर ये आरोप किसी मामूली आदमी ने लगाए होते तो कोई बात नहीं थी लेकिन ये आरोप श्री चरण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने लगाए हैं। हमने श्री मोरारजी देसाई का प्रधान मंत्री के रूप में चुनाव इसलिए किया था कि वह एक आदर्शवादी और गांधीवादी हैं। उन्हें इन आशाओं के अनुरूप उतरना चाहिये।" ये शब्द जनता पार्टी के संस्थापक ने कहे जिनके लिएं सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों में से 90 प्रतिशत ने कहा कि हम जे. पी. की हालत गांधीजी जैसी नहीं होने देंगे। जे. पी. रो रहा है और कह रहा है कि आपने भ्रष्टाचार में सारे देश को डुबो दिया। 29 इन्क्वायरी कमीशन्स काम कर रहे हैं और राष्ट्र के 900 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। राजस्थान के लोगों की कमाई इस तरह खर्च की जा रही है। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका समर्थन करने वाले मुख्य मन्त्री, जो पोलीटिकल आइडियोलोजी के आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं, के खिलाफ यह इन्क्वायरी कमीशन्स बैठाये हैं। उनके खिलाफ नहीं बिठा रहे हैं जो रेड्डी कांग्रेस में चले गए,

× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात पर आयें।

श्री रामनारायण चौधरी : ताकि इंदिरा गांधी की तस्वीर को धूमिल किया जा सके। मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा अमल करने से इन्कार करने के विषय में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है उसको आप स्वीकार करें और स्वीकार करके इस सदन की भावनाओं को प्रधान मन्त्री तक पहुँचायें। सदन की भावना है कि राज्य सभा द्वारा भारी बहुमत से जो प्रस्ताव पास किया गया है कि मोरारजी देसाई के पुत्र श्री कांति देसाई के खिलाफ चरण सिंह द्वारा लगाए गए आरोप और प्रधान मन्त्री द्वारा चरण सिंह के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच के लिए अलग अलग दो कमीशन्स नियुक्त किए जायं, एक नहीं, उस प्रस्ताव से यह सदन सहमति प्रकट करता है। आप प्रधान मन्त्री को सदन की भावनाओं से अवगत करायें तभी आप 3 करोड़ लोगों की भावनाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे अन्यथा महज दबाव में आकर नेशनल लेवल पर जो पोलिटिक्स है उसमें अपने आप को इन्वाल्व करके प्रधान मन्त्री को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान की जनता की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट।

मेरे प्रस्ताव का समर्थन मुख्य मन्त्री नहीं कर रहे हैं। इसको जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री मधु लिमये ने स्वयं मीटिंग में समर्थन दिया है लेकिन वहां पर निर्णय नहीं हो सका। उसमें झगड़ा है कि इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाए। मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आप साहस जुटायें, हिम्मत करें, आप की जगह पर बहुत आए और आप आए, आप एक उदाहरण पेश कीजिए। समय की जो पुकार है, देश को जिसकी आवश्यकता है, उस चीज को आपको वहां पहुंचाना चाहिए। और 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सदन है इसकी भावनाओं को प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको इसके लिए अवसर नहीं दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं। यह मेरा डिस्क्रिशन है आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इस पर दो मिनट के लिए बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट ही लें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं आपको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल दो ही मिनट लें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो मिनट ही लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस पार्टी का राज्य बना जिसे जनता पार्टी का राज्य न कह कर जनता का राज्य कहते थे उस समय

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

श्री मोरारजी भाई ने रामलीला मैदान में यह बात कही थी कि यदि मैं कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़ लो। आज कान पकड़ने की बात तो दूर रही जब पार्लियामेंट ने उनका कान पकड़ा तो वह उससे भी मुकर गये। जो भाई मेरे सामने बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या हक है आज आपको इन्दिरा गांधी और उनके बेटे संजय की बात करने का? कान्ति भाई को लूटने का और जगजीवन राम जी के बेटे सुरेश को हमारी बहिन-बेटियों का अपहरण करने का अधिकार दे दिया। आज यदि वह भ्रष्टाचार फैलाते हैं, व्यभिचार फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं तो आपकी पार्टी चुप बैठी रहती है और आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। एक देश में पैदा हुए लोग जैसे इन्दिरा गांधी के बेटे संजय के लिए कहते हैं वैसे ही मोरारजी भाई के लड़के कांतिभाई के लिए कहें और वैसे ही श्री जगजीवनराम के लड़के सुरेश के लिए कहें। आप क्यों सो रहे हैं? राज्य जाते रहते हैं। कांग्रेस ने आजादी दिलाई और जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं छिपता था उनसे आजादी प्राप्त की, आज उसके राज्य की भी कोई बात नहीं रही। आज आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ रहे हैं और क्या तुम्हारी स्थिति है? अपनी आत्माओं को तो जिंदा रखो। भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर अपनी आत्माओं को तो मत गिराओ। मंत्रियों को रहने दो लेकिन विधायकों की आत्माओं को तो जीवित रखो। भ्रष्टाचार के लिए माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने पहले ही दिन कहा था कि इस राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। राजस्थान से भ्रष्टाचार, श्री भैरोंसिंह जी, समाप्त नहीं हुआ बल्कि सेन्टर से लेकर हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैल गया। 80 लाख रुपये का चन्दा कांति भाई ले लें और आप चुपचाप रहें। सी. बी. गुप्ता के लिए इतना कुछ कहा जाये और श्री जगजीवन राम जी के लड़के सुरेश को पकड़ा जाये व्यभिचार करते हुए फिर भी आप उसके बारे में कुछ नहीं कहें। क्या आपकी आत्मायें थोड़े ही दिनों में मर गयीं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तुम्हारी आत्माओं ने गांधी जी की समाधि पर झूठे आंसू बहाये हैं। जिस समय गांधीजी मरे उस समय जो आप थे आज भी वही हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया बिराजिये।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास जो सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : मूल प्रस्ताव में दुला राम जी का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराज जाइये।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं इसकी जानकारी कर लूंगा उसके बाद ही अवसर दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें नाम है : का।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बारे में जानकारी कर लूं तब तक आप बिराज जाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोलें उ के पहिले हमारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप बोल लिये, राम नारायण जी।

उपाध्यक्ष महोदय····

श्री मथुरादास माथुर : यह क्या सरकार का जवाब है? एडजोर्नमेंट मोशन मूव करने वालों को आप ने इजाजत दे दी। हम जानना चाहते हैं कि यह राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उनको सुन तो लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : अगर सरकार जवाब दे रही है तो मेरा निवेदन है कि आप क्यों एतराज करते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है? यह राजस्थान सरकार का उत्तर है तो हम मानते है कि हमारा भी हक है बोलने का, हम बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो बात कही यदि यह बात इनको कहनी ही थी तो अच्छा होता कि नियमों के अनुसार जिस प्रकार से इसे रखा जा सकता है उस प्रकार वह रखते लेकिन सारे मसले को एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में इन्होंने रखा है। माननीय माथुर साहब इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में कोई बात कह दी जाये...

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी ही परम्परा डाली हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और उसमें ऐसी बातों का उत्तर नहीं दिया जाय···

श्री मथुरादास माथुर : न आपकी पसन्द है न हमारी है। आपने इजाजत ले ली है तो अब जनरल इश्यू बन गया है। अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलते हैं तो हमको भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। उनकी भी वही हैसियत है जो कि हमारी है। हमें बताया जाय कि आप इस पर जनरल डिबेट करवाना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, आप नियम जानते हैं। नियमों के अनुसार मूव करना चाहिये और अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो आप उस प्रकार से आइये। ऐसे मसले एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में उठा कर एक चर्चा छेड़ दें और वह चर्चा अनगिल्लाइड जाये यह तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है।...

श्री मथुरादास माथुर : क्या करें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या करें क्या नहीं, मैं अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं।

राज्य सभा में क्या हुआ, माननीय सदस्यों ने इस संबंध में एक प्रश्न उठाया और मुझसे यह चाहा कि सदन की भावनाओं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को मैं प्रधान मंत्री तक पहुंचाऊं। इन्क्वायरी के संबंध में उन्होंने मांग की। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि राज्य सभा में ही जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तब आपकी ही पार्टी के नेता श्री बसंत साठे ने लोक सभा में उसी प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त करने के लिए रखा था लेकिन उन्होंने उसको वापस ले लिया। सदन के विरोध के बावजूद वापस ले लिय···

श्री रघुनाथ विश्नोई : जरूरत ही नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लोक सभा में कुछ नहीं कर सके जो कि राज्य से बिलकुल संबंधित है तो यहां राजस्थान विधान सभा में इस प्रकार की चर्चा क्यों उठाते हैं ? मैं समझता हूं कि इसका राजनैतिक षड्यंत्र है। आप का षड्यंत्र पूरा हुआ, जो भी आपको कहना था कह दिया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। मैं यही समझता था कि हाउस में इस प्रकार की चर्चा नहीं आनी चाहिए जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाये जो यहां डिफेण्ड करने लिए उपस्थित नहीं हो। इस प्रकार की परम्परा यहां रही है। यदि परम्परा तोड़ते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है....

श्री मथुरा दास माथुर : यह आरोप नहीं है प्रस्ताव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप साठे साहब से या उनसे कहते कि लोक सभा में क्यों नहीं रखा ? लोक सभा में यह कर चले गये कि हम प्रस्तुत नहीं करना चाहते।

(व्यवधान)

मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। आपने कई अप्रिय बातें सुनाई हैं। आपको सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये।

इसलिये जो कुछ आपने कहा इसका यही केवल एक षड्यंत्र था कि जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जाये, जिस तरह से भी बदनाम किया जा सके, उस तरह से किया जाये। राम नारायण जी, एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता पार्टी की लड़ाई से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है ...

श्री राम नारायण चौधरी : हम नहीं चाहते हैं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपने यहां तो कह दिया कि चौधरी चरणसिंह ने आरोप लगाया है। आपने उनका पत्र पढ़ा होगा। उन्होंने क्या कहा, यह भी देखा होगा। उन्होंने आरोप नहीं लगाया। वे स्वयं अपने पत्रों में उस बात का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। इसलिये चौधरी साहब का नाम लेकर जनता पार्टी की तस्वीर के ऊपर कुछ लांछन लगाने से आपका षड्यंत्र सर्व नहीं होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैंने पता लगाया, नाराज क्यों है ? उन्होंने कहा, 29 कमीशन नियुक्त किये गये और 900 करोड रुपये का खर्चा हुआ। 900 करोड रुपये की फिक्र नहीं है। फिक्र कमीशन की है जो इनकी पार्टी के नेताओं की जांच कर रहा है। यह चाहते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मोरारजी का नाम ज्यादा लिया जाये ताकि इनके नेताओं के खिलाफ जो कमीशन बैठा उसका सारा काम बन्द हो जाये। इन्क्वायरीज की रिपोर्ट्स आयेंगी, जिन्होंने जनता का शोषण किया है, उन्हें अदालत के कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा। सदन का एक स्तर है, कुछ मर्यादायें हैं हम उन मर्यादाओं के अनुसार उस स्तर को कायम रखें जिसके लिये हम जिम्मेदार हैं और जिनका जवाब हमको देना है। आप यहां विरोधी दल में बैठे हैं। लोक सभा में आप विरोधी दल में बैठे हैं। आप उस स्तर पर चर्चा उठाइये जिस स्तर पर चर्चा होनी चाहिये। आंध्र प्रदेश में हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ क्या हाउस इजाजत देगा कि वह मामला राजस्थान विधान सभा में उठाया जाये? आन्ध्र प्रदेश में छात्रों पर अन्याय हुआ। क्या सदन इस बात की इजाजत देगा कि उस मामले को राजस्थान विधान सभा में उठाया जाये?..

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय नेता महोदय..

(व्यवधान)

हल्ला मत कीजिये, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा।

श्री मदनसिंह दांता : रामनारायण जी...

एक माननीय सदस्य : आपकी जनता की बात कहना चाहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : क्या नेता महोदय को जानकारी है....

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता इन्दिरा गांधी के और नजदीक आना चाहते हैं।

श्री राम नारायण चौधरी : मान्यवर, दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ और संसोपा के माननीय सदस्य रामकिशनजी, जो आपकी पार्टी के लीडर हैं, श्री नाथू सिंह, जो आपकी पार्टी के लीडर हैं, इन दोनों ने लाठी चार्ज के प्रश्न को उठाया है और राज्य सरकार ने जवाब दिया है। आप दूसरी विधान सभा की बात कहते हैं। पंजाब की विधान सभा में स्पीकर ने जो फैसला दिया....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

वह मामला भी आपके दल के उस जमाने के चीफ व्हिप, जो केन्द्र में मंत्री हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया वह चर्चा मत कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आसाम में जो रायट्स हुए, उसके लिये वहां की सरकार रेस्पांसिबल थी। वह मामला यहां पर उठाया गया। इस सदन का राज्य सभा से संबंध है। संबंध इसलिये है कि उसमें इस सदन का योगदान है...

श्री एच. एन. शर्मा : इन्दिरा गांधी···

श्री राम नारायण चौधरी : जिन्दाबाद! इन्दिरा गांधी तो जिन्दाबाद है, जिन्दाबाद रहेगी। देश की नेता रहेगी। आपके कहने से····

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

इन्दिरा गांधी ! जिन्दाबाद !

मान्यवर, यह जानकारी देना चाहता था। इसलिये आप यह मत कहिये कि जो मामला उठाया है वह आउट आफ आर्डर है या परम्पराओं के विपरीत है। यह नहीं है। इस सदन में और भी बड़े बड़े विचार हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये कहते हैं इनको मन्त्री बनाओ, इनकी योग्यता तो देख लो।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रसंग पर यहीं चर्चा समाप्त करूंगा। ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य का पर्पज यों ही सर्व हो गया।

मैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, आपकी आज्ञा हो तो, 2 मिनट के लिये कहना चाहता हूं।

लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के संबध में हम इस भावना के आधार पर डिबेट करने के लिये तैयार हैं कि डिबेट में जो प्रश्न उठाये जायेंगे सरकार उनका स्पष्टीकरण करेगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुद्दे उठाये गये, उन मुद्दों के आधार पर पिक्चर देने की कोशिश की गई है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : क्या डिबेट नहीं होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट होगी। आज जो मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब चार दिन बाद दूंगा ?

श्री मथुरादास माथुर : वह एडजोर्नमेंट मोशन है, भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं। क्या आप चाहते हैं, वन साइडेड पिक्चर रखी जाये।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स आफ प्रोसीजर में कहीं नहीं है कि आप जवाब दें। श्रीमान, यह किताब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की स्थिति क्या है वह भी बतायेंगे। आपने जो आरोप लगाये हैं उनका विस्तार से उत्तर उस दिन दूंगा। संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की पिक्चर फ्रेम की जा रही है, हरिजनों के साथ में अत्याचार किये जा रहे हैं। जो घटनायें हुई हैं उन घटनाओं के लिए खेद प्रकट करना चाहता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जितना कमजोर वर्ग है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाये, यह हमारी सरकार की मन्शा है। आपसे यही बात कहना चाहता हूं जो आप सुझाव देंगे उनको स्वीकार करूंगा। आपका दोषारोपण होगा उसका सही रिप्लाई देने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रचार से किन आदमियों को लाभ हो रहा है ? लाभ हो रहा है एनसोशल एलीमेंट को। लाभ न हम लोगों को होगा न आपको होगा। एनसोशल एलीमेंट लाभ उठायेंगे। जो यह समझते हैं कि शासन नहीं है जिस को लूटना है लूट लो, जिसके साथ बलात्कार करना है कर लो, जिसकी चोरी करनी है, कर लो। ऐसे एनसोशियल एलीमेंट्स किसी प्रकार प्रोटेक्शन न पा सके, केवल मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कमजोर वर्ग की आप वकालत करना चाहते हैं, उस कमजोर वर्ग को राजनैतिक रूप में घसीट कर लाभ उठाने की चेष्टा न करें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : लॉ एण्ड आर्डर की बात बताना राजनैतिक आधार पर नहीं है···

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में···

(व्यवधान)

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पूछना चाहता हूं, चण्डीगढ़ में कितना अपमान किया···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी ने अपमान नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं···

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रेस ने रिपोर्ट किया है इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, कृपया आप विराजें।

माननीय रामनारायण जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे है और जिसके लिए आपने कहा है कि माननीय दुलाराम जी के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं, मैंने उसे देख लिया है। उस पर दुलाराम जी के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए भविष्य में जो बात कहें वह पूरी जानकारी करके ही कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने बाढ़ के बारे में एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा बहुत हो चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, जो मेरा प्रस्ताव है, मेरा निवेदन है कि उस पर दुलाराम जी के हस्ताक्षर हैं, ऐसा मुझे भरोसा था, हो सकता है यह मेरी भ्रान्ति रह गई हो। जानकारी के लिए आपने कहा है, वह अच्छा है।

माननीय नेता महोदय ने राज्य सभा में जो प्रस्ताव पास किया है उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है जिसकी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग कर रहा था। जो सदन में हरिजनों के अत्याचार के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं उन पर मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रकट किया है इसलिए उस बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में, ज्यादतियों के बारे में भी खेद व्यक्त किया है तो मेरा निवेदन है कि इस पर भी खेद व्यक्त कीजिए कि राज्य सभा के प्रस्ताव को प्रधान मंत्री ने अस्वीकार करा है··

(व्यवधान)

(श्री रामनारायण चौधरी)

और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में नेता बने हैं, जनता की भावना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बाढ़ के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन था उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा है। मैंने सुझाव के रूप में यह बात कही थी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर डिबेट हो। मैंने तथ्य भी रखे हैं। वह गहन विचार करने का प्रस्ताव है। बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या-क्या बात हो सकती है उसकी राजस्थान सरकार जानकारी प्राप्त कर ले और जानकारी करके यहां बताये। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। यदि उस पर पूरी डिबेट हो रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और यदि पूरी डिबेट नहीं होती है तो मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बारे में निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रख दिया जायेगा। वह जल्दी से जल्दी इसको तय कर लेगी।

साथ ही में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय श्री मदनसिंह जी ने यह कहा कि गान्धी जी की समाधि पर शपथ लेकर × × × लड़ते हैं। × × × × × × लड़ने" यह जो शब्द हैं, इन्हें मैं एक्सपंज करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : एक व्यवस्था और फर्मा दीजिये। जो लड़ाई, मान्यवर....

(व्यवधान)

जो लड़ाई × × × होती है, उसको किस तरह कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : आपने यह कैसे मान लिया कि × × × लड़ना खराब है। यह तो × × × का अपमान हुआ। × × × बड़े वफादार होते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप भी वफादार रहिये।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सचिव महोदय उन विधेयकों के विवरण को सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978

×××अभिव्यक्ति एवं शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 64

(64)

(श्री सचिव)

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1978.

(4) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा-अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978

(5) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

(6) राजस्थान वित्त विधेयक, 1978

(7) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेशों का औचित्य

श्री रामनारायण चौधरी : I have a point to raise.

मैं एक पाइन्ट उठाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी नियमों के तहत लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन की मेज पर रखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जब इधर बैठते थे सन् 1952 से लेकर 1972 तक, तब उन्होंने बराबर अध्यादेशों का विरोध किया था और विरोध ही नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि यह राज्य सरकार अध्यादेशों के सहारे चल रही है। अब या तो मुख्य मंत्री जी यह कहें कि सदन में जो कुछ उस समय कहते थे, वे भूल से कहते थे, निष्ठा से नहीं कहते थे और इस सदन के प्रति वे अनादर प्रकट करते थे या अध्यादेश सदन की मेज पर नहीं रखें। आज यह कहें कि कौनसी बात सही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अब आर्डिनेन्स निकाल कर मुख्य मंत्री जी कौनसी अच्छी बात कर रहे हैं? कांग्रेस के तीस साल के शासन में ऐसा नहीं हुआ। यह सैशन 16 तारीख को आहूत करने के बाद आर्डिनेन्स निकाला। मैं आपके कथन को दोहराता हूं जो आपने कृपापूर्वक इस सदन में फर्माया था···

एक माननीय सदस्य : प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

मैं मुख्य मंत्री जी के कथन को दोहरा रहा हूं। जिस समय जनसंघ के नेता थे और पंचायत समिति और जिला परिषद् के बारे में अध्यादेश पेश हुआ था उस समय आपने कहा था···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज तो मुख्य मंत्री हैं, उस समय भैरोंसिंह शेखावत थे।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय बात दूसरी थी और आज बात दूसरी है। आज इनकी भी हालत वही है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार को आर्डिनेन्स जारी करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई, जुलाई में आर्डिनेन्स निकाला और अगस्त में सदन की बैठक होने वाली थी तो विधान सभा की बैठक होने तक ऐसा कौनसा आसमान टूट रहा था कि 25 दिन में ही

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरकार को आर्डिनेन्स निकालने के लिये मजबूर होना पड़ा ? मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह आर्डिनेन्स निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त ने क्या फैसले किये ? एक इन्क्वायरी नहीं की, महज चार्ज हैन्ड ओवर की बात थी तो वह किसी सेक्रेटरी को चार्ज दे सकते थे। उस पर कोई आकाश पड़ने वाला नहीं था। आप जो कुछ 25 साल तक कहते रहे हैं उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। आज जो भी आर्डिनेन्स पेश कर रहे हैं वह उस परम्परा के खिलाफ पेश कर रहे हैं। आज सदन के पटल पर अनगिनत अध्यादेश रखे जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन अध्यादेशों को मुख्य मन्त्री जी को सदन के पटल पर रखने की इजाजत नहीं दें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्योंकि रामनारायणजी ने प्रश्न उठा दिया है······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस समय इस की स्टेज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेज तो नहीं है···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह कौनसी व्यवस्था है कि यह हर वक्त बोलते रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह स्टेज तो नहीं है लेकिन स्टेज दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस वक्त इन्ट्रोडक्शन की स्टेज आए तब कहें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बात को मानता हूं कि यह प्रश्न उठाने का सदन में यह अवसर नहीं है लेकिन इन्होंने कह दिया और स्टेज दे दी गई तो मैं भी निवेदन कर देना चाहता हूं। आर्डिनेन्स के बारे में तो उस समय बहस करेंगे जब इसको रखेंगे पर जनरली हम यह महसूस करते हैं कि छः महीने में करीब-करीब सोलह आर्डिनेंसेज इश्यू किये गये हैं। कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन में 117 आर्डिनेन्सेज इश्यू हुए। मैंने 62 से केलकुलेट किये हैं, 115 आर्डिनेन्सेज निकले, यानि एक आर्डिनेंस एक महीने में निकला है। इस जनता पार्टी के राज में जब से भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री बने हैं, भैरोंसिंहजी आर्डिनेंसेज के विरोध में बहुत ज्ञान देते थे, तब से एक महीने में इन्होंने तीन आर्डिनेंस निकाले हैं। कहां तो पहले एक महीने में एक आर्डिनेंस निकलता था, अब इनके मुख्य मंत्री बनने के बाद एक महीने में तीन आर्डिनेन्स निकलते हैं। यह आर्डिनेंस का राज चलाना है, आज यह जनरल प्रश्न है। आर्डिनेंस की वेलिडिटी के बारे में तो जब आर्डिनेंस आएगा तब बहस करेंगे....

श्री सुरेश कुमार : पन्द्रह साल हो जावें तब एवरेज निकालना।

श्री मथुरादास माथुर : आपके राज के पन्द्रह साल न तो होने वाले हैं और न एवरेज निकलने वाला है।

आज एक महीने में तीन आर्डिनेंस निकलने हैं इसलिए मेरा कहना है कि यह आर्डिनेंसेज का राज है। लॉ मिनिस्टर, आपकी बड़ी जवाबदारी है। भैरोंसिंह जी की

(श्री मथुरादास माथुर)
तो, जैसा आपने कहा, बड़ी हालत नाजुक है। एक पग दिल्ली में तो एक पग जयपुर में है। पांच मिनट पहले यहां और फिर पूछो पांच मिनट बाद तो मालूम होता है कि दिल्ली चले गए। इनकी हालत तो दिल्ली और राजस्थान के बीच बड़ी नाजुक है। साफा सम्भालते हैं बीच में, दिल्ली और जयपुर के बीच में तो धोती खुलती है और धोती पकड़ते हैं तो साफा गिर जाता है। इनको समय नहीं मिलता है कि इसको चेक कर सकें। पहले बहुत कहा करते थे लेकिन अब समय नहीं मिलता है। मैं इनके साथ में हमदर्दी रखता हूं कि इनको समय नहीं है। इनका समय तो मोरारजी को और लोगों को आपस में मिलाने में चला जाता है। ये बड़े कुशल खिलाड़ी हैं। बराबर अच्छा खेल खेल रहे हैं और अपना दामन बचा रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि इस झगड़े में राजस्थान का भी भला करा लो, जितना पैसा ला सकते हो ले आओ फलड वगैरह के नाम पर। अभी आर्डिनेंसेज की बात करते हुए यही निवेदन करता हूं कि यह बहुत सवाब का काम है। जहां तक आर्डिनेंसेज का सवाल है मिसाल के तौर पर कहता हूं, बाकी तो उस वक्त कहूंगा जब ये सामने आयेंगे, एक खादी बोर्ड में किसी को पार्ट टाइम सेक्रेटरी बनाना था, उसके लिए ऐसी क्या जल्दी थी कि आर्डिनेंस निकालना पड़ा? किसी को बना देते, बिल आ जाता। आर्डिनेंस निकालने की क्या आवश्यकता थी? सेक्रेटरी है, चेयरमेन हैं, नोन आफिशियल्स है, खादी का काम बढ़े यह अच्छी बात है लेकिन इसके लिए आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? छः छः महीने तक असेम्बली बुलाते नहीं, आर्डिनेंस निकाल कर राज चलाना चाहते हैं। बिल में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर देते, क्या जरूरत थी आर्डिनेंस की? यह ऐसा निकम्मा आर्डिनेंस है कि मैं कहता हूं कि इसका अमल भी नहीं हुआ है। मैं यह उस समय बता दूंगा जब इस पर बहस होगी। लेकिन इस तरह के आर्डिनेंस लागू करके आपने राजस्थान की इस धारा सभा, जो कि वैधानिक तरीके से कानून बनाने का अधिकार सुरक्षित रखती है, को ठुकरा कर आर्डिनेंसेज का राज कायम किया है। जनता पार्टी ने छः महीने में क्या किया है? मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप इस तरह से सदन के हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं तो सदन के माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा। भैरोंसिंहजी, आप सदन में बहुत पुराने आदमी हैं। यह इत्तफाक की बात है कि आप मुख्य मंत्री हैं और मैं इधर हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा हक है, उधर बैठने वालों का भी वही हक है। आप इस तरह से आर्डिनेंसेज निकालें, एक महीने में तीन तीन आर्डिनेंसेज निकालें, जल्दी असेम्बली बुलावें नहीं, उसके बाद लॉ मिनिस्टर परवाह करें नहीं, दूसरे मिनिस्टर नए आए हैं, उनको हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने नोट लिख कर भेज दिया और आर्डिनेंस निकाल दिया। इस तरह का आर्डिनेंस का राज खतम किया जावे ताकि सही अर्थों में डेमोक्रेसी कायम रहे। संविधान में भी आर्डिनेंस निकालने का अधिकार दिया है वह बहुत सीमित है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हुई हैं, हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स हुई हैं, उनका, लॉ मिनिस्टर, अध्ययन कर लीजिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं और आशा रखता हूं कि खास तौर से, मुख्य मंत्रीजी, आपसे कि अगर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जम्हूरियत में विश्वास रखते हैं, सदन की

(श्री मथुरादास माथुर)
प्रतिष्ठा में विश्वास है, कानून में विश्वास है, संविधान की शपथ में विश्वास है तो यह आर्डिनेंसेज का राज्य राजस्थान से खतम कीजिए और सदन को विश्वास दिलाइये कि जब तक सरकार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला हो, आमदनी नहीं गिरती हो, कोई बला नहीं आ गई हो तब तक इस तरह से आर्डिनेंसेज नहीं निकालेंगे। इस आर्डिनेंस को आपने ऐसा बना दिया जैसे कि कोई सबोर्डिनेट तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि मुख्य मंत्रीजी हमें विश्वास दिलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो बातें मैं आज से दस साल पहले कहता था और माननीय मथुरादासजी माथुर और रामनारायणजी उस समय सही नहीं मानते थे आज उन बातों को स्वीकार करते हैं। आज इस बात को स्वीकार किया है कि दस वर्ष पहले जो बात मैं कहता था वह सही थी···

श्री रामनारायण चौधरी: अब आप भी वही गलती करने लगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं ऐसा समझता हूँ कि जब हम सुनते हैं जो कुछ आप कहते हैं तो जब दूसरा बोलता है तो उसको डिस्टर्ब करने की आदत तो नहीं आनी चाहिए। मेरे से आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी और अब भी सीख लें तो शायद इस तरह की बातें करने की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय रामनारायणजी ने इस सम्बन्ध में कहा और मैंने जो आपत्ति उठाई थी इसका सारा उल्लेख भी किया। उस आपत्ति में यह बात है कि पहले आर्डिनेंसेज के कारण, आर्डिनेंस इश्यू करने के कारण सदन की मेज पर रखा करते थे। इस कारण से आपत्ति उठाई जाती थी कि आर्डिनेंस इश्यू करने के कारण क्या है। अब आप देखेंगे कि जो भी आर्डिनेंस इश्यू किये गये हैं, सबके कारण आर्डिनेंस के साथ लिखे गये हैं। यदि कारणों को पढ़ लेते तो शायद आपको····

श्री रामनारायण चौधरी: पढ़ लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: औपचारिक रूप से आपत्ति करनी थी तो कर लेते···

श्री मथुरादास माथुर: यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप, माथुर साहब, आर्डिनेंसेज के राज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इमर्जेंसी लागू करके राज किया··

श्री मथुरादास माथुर: इसका ये जवाब देंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: जिन्होने जनता के मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया, जिन्होंने इमर्जेन्सी लगा कर जेलों के दरवाजे खोल दिए और अदालतों के दरवाजे बन्द कर दिये····

श्री मथुरादास माथुर: आप भी वही कर रहे हो।

(व्यवधान)

(68)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब दूसरा बोल रहा है तो सुनने की सहन शक्ति भी होनी चाहिए। आरोप लगाते वक्त तो बेरोक टोक आरोप लगा दिए और अब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं···

श्री मथुरादास माथुर : यह आरोप हम पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन्होंने इमर्जेंसी लागू की, उस समय जिन्होंने लोकतंत्र को समाप्त किया, संविधान की पुस्तक को बन्द कर दिया, लोगों को जेलों में रख दिया, जेलों के बन्द दरवाजे खोल दिए और अदालतों के दरवाजे बन्द कर दिये, वही लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं इसकी मुझे खुशी है। मुझे खुशी है इस बात की कि आखिर जनता पार्टी के राज का इतना प्रभाव तो हुआ कि लोकतंत्र की जय जय कार करने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आर्डिनेंस जिस परिस्थिति में लागू किए गए हैं, उसके कारण दिये हैं। मैं एक बात सारे आर्डिनेंसेज के सम्बन्ध में आपको बता दूं कि कोई भी आर्डिनेंस इश्यू करने में सरकार को खुशी नहीं है। मैं मानता हूं कि आर्डिनेंस जितना हो सके कम से कम इश्यू किए जावें। बिल्कुल नहीं किए जावें ऐसा नहीं है लेकिन जो पुराने कानून हैं ये जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाए, ये कानून बनाए थे भूतपूर्व सरकार ने। उन कानूनों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। इसके लिए जिस समय कानून बना था, रामनारायण जी शायद सदस्य थे या नहीं, पता नहीं···

श्री रामनारायण चौधरी : था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने उसी समय कहा था कि इस कानून में कई खामियां हैं, इन खामियों के रहते यदि विधान सभा पारित करेगी तो इस कानून का कोई उपयोग नहीं होगा। मेरी बात को उस समय नहीं स्वीकारा गया और आज आप कह रहे हैं कि आर्डिनेंस क्यों निकाला? उस वक्त भी मैं कह रहा था कि इसमें खामी है। मैं निवेदन करता हूं कि पार्लियामेंट के अन्दर लोकपाल विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है और उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा होने के बाद इस कानून में जितने भी आवश्यक परिवर्तन हों, किये जावें। लेकिन इस समय एक नई परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी गलती मेरी नहीं है। जिस समय लोकायुक्त चला जाय तो उनका चार्ज कौन लेगा? आप बता दीजिए। एक तरफ तो लोकायुक्त की व्यवस्था को रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोकायुक्त चला जाय तो वह चार्ज किसको देगा? यह कानून किसने बनाया था? गलती किसने की थी? रामनारायणजी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी गलती को मैंने दुरुस्त किया है। आपने जो खामी रखी थी उसको दूर किया है। यदि उस समय आर्डिनेन्स जारी नहीं करते तो आप यहां पर यह कहते कि यह जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो कि लोकायुक्त जैसी इन्स्टीट्यूशन को बेकार करके बैठ गई है। मैं आपको मौका देना नहीं चाहता था इसलिए आर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा क्योंकि कानून में खामी थी।

माथुर साहब ने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूं। मेरी धोती कभी नीचे गिरती है और कभी मेरा साफा नीचे पड़ता है। माथुर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साहब, आपसे तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता था। दिल्ली तो वह जाता है जिसको राजस्थान में जगह नहीं होती है। मैं दिल्ली जाता हूं तो राजस्थान के हित में जाता हूं। माथुर साहब, आपसे मैं इस प्रकार की उम्मीद नहीं करता था कि आप इस तरह की बात कहेंगे कि मेरी धोती खुलती है, या साफा गिरता है। जो दायित्व मेरा है, उसके निर्वहन में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। राजस्थान के बाहर भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। इसमें आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आपने कहा, मिलाने में चतुराई की जा रही है। मैं मानता हूं, हम अपनी पार्टी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हो तो दोनों में बेसिक डिफरेन्स है। आज आप दोनों आपस में नहीं मिल कर बैठते हैं। आज आप इन्दिरा गांधी की जय जय कार अपने मुंह से नहीं कर सकते। उनकी जय जय कार आपके मुंह से निकलती है तो बोल कर के बता दें। आज से दो वर्ष पूर्व आप उसकी जय-जय कार करते थे। हमारे जो नेता हैं, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, उनको मिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, परन्तु उसकी मिसाल इस मंच के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्दर क्या हो रहा है। यह सबको मालूम है, कांग्रेस पार्टी में कौन क्या कर रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इन चीजों को, पार्टी के प्रश्न को यहां न लावें। और भी बहुत प्रश्न हैं, उन पर हम यहां पर चर्चा करें।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए निवेदन करूंगा जिन परिस्थितियों के अन्दर आर्डिनेन्स इश्यू किए हैं उनका उल्लेख इनमें किया गया है। आर्डिनेन्स को इश्यू करने से हम खुश नहीं हैं। मैं तो इस पक्ष में हूं कि आर्डिनेंस को इश्यू करने की आवश्यकता न पड़े। परन्तु हमारी मजबूरी है, कानून में खामियां रही हैं, उन खामियों को दुरुस्त नहीं करते तो मुश्किल हो जाती। कानून में संशोधन विधान सभा के द्वारा किया जाए, यह मैं मानता हूं। माथुर साहब, आप तो राजस्थान के वित्त-मन्त्री, गृह मंत्री रहे हैं। बीस वर्ष तक आपने मंत्रित्व किया है। आपको सब जानकारी है। कई बार अदालतों के फैसलों के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि आर्डिनेन्स के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता है। आप पहले की प्रोसिडिंग्स को उठाकर देख लीजिये। मैंने कभी भी आर्डिनेन्स इश्यू करने को सिद्धान्ततः गलत नहीं माना है। हमेशा एक बात कही है, आर्डिनेन्स किस स्थिति में, किस कारण से जारी किया जा रहा है, उस स्थिति व कारण से अवगत कराया जाए। मेरा विरोध करने का यही पर्पज रहा था। उस वक्त आर्डिनेन्स जारी कर दिया जाता था और कोई कारण नहीं बताये जाते थे। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हमने जो आर्डिनेन्स जारी किये हैं, उनके कारण आपके सामने नहीं रखे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स इश्यू करने का प्रश्न आपने यहां पर उठाया, आप बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, परन्तु इस स्टेज पर आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर आपको आपत्ति हो सकती थी। इस प्रकार की परम्परा नहीं होनी चाहिये वरना इन चीजों का किस तरह से निपटारा होगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1978) तथा उसके प्रख्यापित करने के कारण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्र, वित्त मंत्री, तीन अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :--

(1) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1978)

(2) राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 14, सन् 1978)

(3) राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 15 सन् 1978)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री, पांच अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :--

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1978)

(2) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978)

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1978)

(4) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1978)

(5) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978, (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1978)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम मंत्री, राजस्व मंत्री, दो अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :--

(1) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978)

(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1978)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य नारायण चौधरी, विधि मंत्री।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :--

(1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1978)

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978)

अधिसूचनायें

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्र, वित्त मंत्री, 6 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाओं की विलम्ब से प्रस्तुति

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जा रही है, उनमें पहली अधिसूचना 6 मार्च, 1978 की है और दूसरी अधिसूचना भी 6 मार्च, 78 की है। इस बार सदन की कार्यवाही अप्रेल तक चली थी। इस संबंध में रूल 169 यह कहता है....

"Laying of regulation, rule etc. on the Table.—(1) Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution of the legislative functions delegated by Legislature to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned sine die"... तो मैं यह अर्ज करूंगा कि देर से रखने के न तो कोई रीजन्स दिए गए हैं, न कोई कारण बताये गये हैं। पहले भी इस आसन से आज्ञा हो चुकी है कि कोई भी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, नोटिफिकेशन, रूल्स, सब-रूल हो, वह सदन में टाइम पर रखे जावें, परन्तु टाइम पर नहीं रखे गये हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनको रखने की इजाजत नहीं दें और रखें तो कारण बतावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जो आपत्ति उठाई है, वह आपत्ति पहले भी उठाई गई थी। इस सदन को अच्छी तरह से जानकारी है कि हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं रह जावे जिसको कि समय पर सदन की मेज पर न रखा जावे। इसी कारण से आज से कुछ दिन पहले मैंने इस बात का प्रयत्न किया था कि जितने भी नोटिफिकेशन इश्यू हों वे सदन की मेज पर रखने से बाकी न रहें, या नोटिफिकेशन किसी पीरियड में इश्यू हुए हों तो वह सदन की मेज पर सत्र के पहले दिन ही रख दिये जाएं। आप देखते होंगे एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट अधिसूचनाओं की सदन की मेज पर रखने के लिए जारी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : पहले भी राजस्व मंत्री जी ने जो अधिसूचनाएं रखी हैं उन पर

(श्री मूलचन्द डागा)
मैं आपत्ति करता रहा हूं, यह आप जानते हैं। मैं यह कहूंगा कि 6 मार्च की जो अधिसूचनाएं थीं वे इन्होंने अप्रेल तक नहीं रखीं, एक महीने तक नहीं रखी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि 6 महीने के दौरान जारी हुए नोटिफिकेशन्स तुरन्त हाउस में रखे जाने चाहिये। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता।

श्री मूलचन्द डागा : आप रीजन्स दे दीजिये। कुछ तो बताइये। बीमार हो गये या क्या कारण थे?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मै तो स्वस्थ था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिह : हर एक बात में मुख्य मंत्री जी खड़े हो जायेंगे. . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो समय पर पेश करने चाहिये थे वे समय पर पेश नहीं हों। यह कोई ऐसी बात नहीं है, समय पर पेश होने चाहिये थे। इस सैशन से पहले मैंने इसी बात का प्रयत्न किया कि कोई नोटिफिकेशन बाकी नहीं रहना चाहिये लेकिन सारी कोशिश करने के बावजूद मुझे पता लगा कि कुछ बाकी हैं। आज तक भी सैशन में ऐसा होता आ रहा है। हमने भी इस प्रकार की आपत्तियां उठायी हैं, इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ है। मैं समझता हूं कि डागाजी इस प्रश्न को गंभीरता से नहीं लेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी सत्र में नोटिफिकेशन पेश किये जायं।

श्री मथुरादास माथुर : यह आपका दोष नहीं है। यह तो आफिसर्स का दोष है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसी का परिणाम है कि लम्बी चौड़ी लिस्ट निकली।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित सूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं, क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे विचार से इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(निम्नांकित अधिसूचनाएं श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) ने सदन पटल पर रखीं)

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(21) वि.वि./ग्रु.प–4/78–9 (जी.एस.आर. 89 दिनांक 6 मार्च, 1978

(श्री आदित्येन्द्र)

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (21) वि.वि./ग्रुप–4/78–10 (जी एस आर. 90) दिनांक 6 मार्च, 1978

(3) अधिसूचना संख्या प. 4(21) वि.वि./ग्रुप–4/78–11 (जी.एस.आर 91) दिनांक 6 मार्च, 1978

(4) अधिसूचना संख्या प. 4(21) वि.वि./ग्रुप–4/78–12 (जी.एस.आर. 92) दिनांक 6 मार्च, 1978

(5) अधिसूचना संख्या प. 6(23) वि.वि./ग्रुप–4/75–5 (जी.एस.आर. 21) दिनांक 23 अप्रेल, 1977

(6) अधिसूचना संख्या प. 4(81) वि.वि./ग्रुप–4/76–13 (जी.एस.आर. 9) दिनांक 13 जून, 1978

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित विभागों की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(निम्नांकित अधिसूचनाएं श्री केदारनाथ ने सदन पटल पर रखीं)

(1) राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(16) राज/उप/77, दिनांक 7 नवम्बर, 1977
(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(19) राज/उप/77, दिनांक 30 नवम्बर, 1977
(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(9) राज/उप/76, दिनांक 26 अप्रेल, 1978
(4) अधिसूचना संख्या एफ 4(25) राज/उप/77, दिनांक 31 जनवरी, 1978
(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4(4) राज/उप/78, दिनांक 29 मई, 1978
(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4(4) राज/उप/78, दिनांक 29 मई, 1978
(7) अधिसूचना संख्या एफ. 5(5) राज/उप/69, दिनांक 30 मई, 1978
(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) राज/उप/75, दिनांक 9 जून, 1978
(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2) राज/उप/76, दिनांक 27 जून, 1978
(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4(16) राज/उप/77, दिनांक 12 जुलाई, 1978
(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4(31) राज/उप/77, दिनांक 16 अगस्त, 1978
(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) राज/उप/78, दिनांक 7 जुलाई, 1978
(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4(16) राज/उप/77, दिनांक 18 जुलाई, 1978

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना पुनः सदन पटल पर रखने का कारण

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह आपत्ति कर रहा हूं कि इन्होंने रीजन्स दिये हैं उनके द्वारा हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आपने रीजन दिया है कि "उपरोक्त अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं।"

आप जांच करवा लीजिये। आपने लिखा है, "उपरोक्त सूचनाएं गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं"। वे कौन-कौन-सी अधिसूचनाएं थीं जो आपको रखनी थीं और आपको समय नहीं मिला।

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री) : आपने 169 का हवाला दिया उसमें यह भी है कि ऐसा हम कर सकते हैं · · ·

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह मान रहा हूं।

श्री केदारनाथ : अगर ऐसा है ·

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा हूं कि कौन-सी कौन-सी अधिसूचनाएं हैं जिनको आपने सदन की मेज पर रखा था और 14 दिन का समय पूरा नहीं होने के कारण पुनः रख रहे हैं। वह लिस्ट दे दीजिये।

श्री केदारनाथ : 14 दिन का पीरियड इसलिये दे देते हैं ताकि माननीय सदस्य पढ़ लें और अगर कोई अमेन्डमेन्ट हो तो हमें बता दें, जानकारी दे दें · · ·

श्री मथुरादास माथुर : हमें यह समझा दीजिये कि ये ले कर दी गई या री-ले कर रहे हो।

श्री केदारनाथ : इसमें 4-5 हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री केदारनाथ : मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित 1 से 46 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

---

(11) परिवहन विभाग

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3)(10)परि/70, दिनांक 28 मार्च, 1977
(2) अधिसूचना संख्या प. 5(4)गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 24 फरवरी, 1978
(3) अधिसूचना संख्या प. 5(31)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 11 अक्टूबर, 1977
(4) अधिसूचना संख्या प. 5(35)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 22 अक्टूबर, 1977
(5) अधिसूचना संख्या प. 5(36)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 23 सितम्बर, 1977
(6) अधिसूचना संख्या प. 5(43)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 8 नवम्बर, 1977
(7) अधिसूचना संख्या प. 5(49)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 20 अक्टूबर, 1977
(8) अधिसूचना संख्या प. 5(50)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 20 अक्टूबर, 1977
(9) अधिसूचना संख्या प. 5(61)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977
(10) अधिसूचना संख्या प. 5(62)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 27 अक्टूबर, 1977
(11) अधिसूचना संख्या प. 5(70)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 5 नवम्बर, 1977
(12) अधिसूचना संख्या प. 5(80)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977

(श्री केदारनाथ)

(13) अधिसूचना संख्या प. 1(22) गृह-7/77, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977
(14) अधिसूचना संख्या प. 1(3)(41) परि/72, दिनांक 5 नवम्बर, 1977
(15) अधिसूचना संख्या प. 1(8) गृह-7/77, दिनांक 12 मई, 1977
(16) अधिसूचना संख्या प. 5(15) गृह-7/77, दिनांक 22 अप्रेल, 1977
(17) अधिसूचना संख्या प. 9(4) गृह/7/76, दिनांक 23 अप्रेल, 1977
(18) अधिसूचना संख्या प. 5(73) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977
(19) अधिसूचना संख्या प. 5(51) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 9 नवम्बर, 1977
(20) अधिसूचना संख्या प. 5(39) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 1 नवम्बर, 1977
(21) अधिसूचना संख्या प. 5(39) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977
(22) अधिसूचना संख्या प. 5(82) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 3 जनवरी, 1978
(23) अधिसूचना संख्या प. 5(1) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 5 जनवरी, 1978
(24) अधिसूचना संख्या प. 5(77) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977
(25) अधिसूचना संख्या प. 5(42) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 1 नवम्बर, 1977
(26) अधिसूचना संख्या प. 5(79) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 24 दिसम्बर, 1977
(27) अधिसूचना संख्या प. 5/12/गृह-7/77, दिनांक 23 मार्च, 1977
(28) अधिसूचना संख्या प. 5/13/गृह-7/77, दिनांक 11 मार्च, 1977
(29) अधिसूचना संख्या प. 5/15/गृह-7/77, दिनांक 22 अप्रेल, 1977
(30) अधिसूचना संख्या प. 5/21/गृह-7/77, दिनांक 30 नवम्बर, 1977
(31) अधिसूचना संख्या प. 5/32/गृह-7/77, दिनांक 22 अक्टूबर, 1977
(32) अधिसूचना संख्या प. 5(47) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 26 अक्टूबर, 1977
(33) अधिसूचना संख्या प. 5(52) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 17 नवम्बर, 1977
(34) अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7/77, 22 अक्टूबर, 1977
(35) अधिसूचना संख्या एफ 5(56) गृह-7/77, दिनांक 24/25 अक्टूबर, 1977
(36) अधिसूचना संख्या 5(57) गृह (ग्रुप-7)/77, दिनांक 24/26 अक्टूबर, 1977
(37) अधिसूचना संख्या प. 5(58) गृह-7/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977
(38) अधिसूचना संख्या प. 5(60) गृह-7/77, दिनांक 2 नवम्बर, 1977
(39) अधिसूचना संख्या प. 5/74/गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977
(40) अधिसूचना संख्या प. 5/74/गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 4 जनवरी, 1978
(41) अधिसूचना संख्या प. 5/76/गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 23 जनवरी, 1978
(42) अधिसूचना संख्या प. 9(21) गृह/7/76, दिनांक 30 अगस्त, 1976

(उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।)

(श्री केदारनाथ)

(43) अधिसूचना संख्या प. 5(17)गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 29 जुलाई, 1978
(44) अधिसूचना संख्या प. 2(1)(5) परिवहन/74, दिनांक 31 मार्च, 1976
(45) अधिसूचना संख्या प. 5(24)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 1 सितम्बर, 1978
(46) अधिसूचना संख्या प. 5(23) गृह/ग्रुप-7/78, दिनांक 21 अगस्त, 1978

व्यवस्था का प्रश्न वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर, सर। जो ललितकिशोर चतुर्वेदी पढ़ने जा रहे है, 1976-77 का प्रतिवेदन एक साल के बाद अब ग्राप पेश कर रहे है। मैं ग्राप से कहना चाहूंगा कि क्या ग्राप इसको सही मानेंगे? 1977 के बाद 1978 ग्रा गया ग्रौर 1978 का अब ग्रक्टूबर का महीना चल रहा है। ग्राप देर से रखने के कोई रीजन्स नहीं दे रहे हैं। श्रीमान, यह तो बिल्कुल ग्राप रख ही नहीं सकते। आप रूल 613 देख लीजिये, इसके अनुसार ग्राप इसको नहीं रख सकते। इसमें लिखा है, as soon as possible. ग्राप को इस साल में मार्च-ग्रप्रेल में पेश करने थे। ग्राप बताइये, बोर्ड की मीटिंग ने कब डिस्कशन कर लिया ग्रौर कब निर्णय ले लिया? यह रूल 613 कहता है कम्पनी लॉ का। ग्राप रख रहे हैं 1-1 साल बाद और कहते हैं हमारा हक है, हमारा हक है यह क्या बात हुई?

श्री कौशलकिशोर जैन : ये सेठ जी मुनीम को ताना दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाग्रों का ग्रादर करता हूं। भविष्य में जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। हमने जल्दी से जल्दी पेश करने की कोशिश की है ग्रागे से ग्रौर जल्दी पेश करने की कोशिश की जाएगी।

मैं कम्पनीज ग्रधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स - कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 का सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। मेरा पाइन्ट ऑफ ग्रार्डर है कि यह रिपोर्ट हमारी पी.यू.सी. में पहले कैसे ग्रा गई? मैं ग्राप से जानना चाहता हूं कि यह तो ग्रब ग्राप सदन की मेज पर रख रहे हैं, इससे पहले पी. यू. सी. के सामने यह रिपोर्ट किस तरह से ग्राई? यह ग्राप मेहरबानी करके बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो ग्राप ग्रपने ग्रधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। ग्राप भी कमाल कर रहे हैं। आपने ग्रपनी समिति में रिपोर्ट पहले मंगाई।

श्री मूलचन्द डागा : ग्ररे साहब, सवाल यह था कि ये ग्रब क्यों पेश कर रहे हैं? ग्राप यह बताइये, बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में कब डिस्कशन किया, कब रिपोर्ट तैयार हुई? एक साल बाद रिपोर्ट रख रहे हैं, श्रीमान्। यह बता नहीं रहे हैं कि कब इन्होंने मीटिंग की बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स की ग्रौर कब उसमें निर्णय लिया? कुछ तो बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप विराजें।

Page No 77

(77)

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : पाली से आने वाले माननीय विधायक अलग से प्रश्न करें तो उनके प्रश्न का जवाब दे दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न काल नहीं है कि अलग से प्रश्न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका उत्तर ठीक है क्या ? माननीय मुख्य मंत्रीजी तो बात को समझते हैं उनका उत्तर तो ठीक है लेकिन यह कहते हैं अलग से प्रश्न करें, तो अलग से प्रश्न क्यों करूं ? मैं तो उस समय हथौड़ा लगा रहा हूं जब कि लोहा गर्म है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह -जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कब विचार किया है। आप उसको देख लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो कहें कि गलती हो गई।

सदन पटल पर रखे गये पत्र वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)की उप-धारा. 3 का भाग(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सूर्यनारायण चौधरी, उद्योग मंत्री 6 प्रतिवेदन व लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : डागाजी।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो कानून मंत्री हैं। मैं आपकी ही तरफ देख रहा हूं। यह जो आप रख रहे है यह तो दो दो साल के हो गये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): मैं जवाब दे देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, 1975 व 1976 के लेखे एवं वार्षिक प्रतिवेदनों को उस वक्त की सरकार ने विधान सभा में नहीं रखा इसलिए उनको अब हमें पेश करना पड़ रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है कि····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बैठिये। मैंने आपको जवाब दे दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि 1975 और 1976 के लेखे आपने 1977 में क्यों नहीं रखे? हमारी सरकार की गलती को हम मानते हैं, लेकिन आपने 1977 में उनको क्यों नहीं रखा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : छपने में टाइम लगता है।

श्री मूलचन्द डागा : 75 की रिपोर्ट 77 तक नहीं छपी ? यह गलत बयानी कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। यह हाउस को मिस लीड कर रहे हैं। यह 75 की रिपोर्ट 77 में छपी है, यह गलत बयानी है। ब्रीच आफ प्रिविलेज आपके खिलाफ लाना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित 6 प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

इनको पढ़ें क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : They are taken as read.

[निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) ने सदन पटल पर रखे]

(क) सांभर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे,

(ख) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे,

(ग) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे,

(घ) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1976-77,

(ङ) दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77,

(च) हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण]

श्री दिग्विजयसिंह, (कृषि मंत्री) प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत —

(1) राजस्थान भूमि विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे,

(2) राजस्थान भूमि विकास निगम का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष जुलाई, 1975–जून, 1976),

(3) राजस्थान भूमि विकास निगम का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1976-77 के लेखे 2,

सदन की मेज पर रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत —

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1972-73,

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (जुलाई, 1975 से जून, 1976),

सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय सवाल यह है कि रीजन्स भी नहीं लिखे हैं कि यह कारण हैं जिनकी वजह से देरी से रख रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री राम नारायण चौधरी : I am raising a point of order, Sir, मैं एक पाइन्ट ऑफ आर्डर आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। विधान सभा के पिछले सत्रावसान और पुनः इस सत्र में मिलने के बीच में राजस्थान के अन्दर पोलिटिकल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, मंत्रिमण्डल के दो माननीय सदस्यों ने····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कम्पलीट हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर रखा जाय तो प्रापर स्टेज पर पाइन्ट ऑफ आर्डर रखा जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने प्रिविलेज मोशन का प्रश्न उठाया था तो मैं समझा कि वह समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल मीणा, राज्य मंत्री, उद्योग राजस्थान वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नंदलाल मीणा (राज्य मंत्री, उद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत —

(1) राजस्थान वित्त निगम का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1976-77 के लेखे,

(2) राजस्थान वित्त निगम का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1977–78 के लेखे, तथा

राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा 7 के अन्तर्गत :—

(1) 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम का संपरीक्षा प्रतिवेदन,

(2) 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम का संपरीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य मंत्री श्री विज्ञान मोदी एवं श्री लाल चन्द, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिये हैं, के वक्तव्य

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहा हूं। मान्यवर, विधान सभा के पिछले सत्रावसान के बाद और अब पुनः मिलने के बीच में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन मंत्रि-मण्डल में हुए हैं। मंत्रिमण्डल के दो माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये हैं। उन्होंने जो कारण बताये हैं, जो कि हमने अखबारों में पढ़े हैं और रेडियो पर सुने हैं, अखबारों की बात पर विश्वास न करें, लेकिन रेडियो पर तो विश्वास किया जा सकता है, आकाशवाणी की बात को मानें तो गम्भीर आरोप माननीय मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ उन्होंने लगाये हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दो भूतपूर्व माननीय मंत्री श्री लाल चन्द जी और श्री विज्ञान मोदी अपने स्टेटमेंट कब दे रहे हैं? यदि वह नहीं दे रहे हैं तो, मान्यवर, मुझे अधिकार है, मैं उनसे स्टेटमेंट देने की मांग कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अधिकार कहां से आ गया ?

श्री राम नारायण चौधरी : प्रिविलेज उनको है। मुझको अधिकार नियमों में दिये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नियम बता दें। आपको नियमों में कोई अधिकार नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह तो बतायें कि वह दे रहे हैं कि नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : लालचन्द जी साहब यहां बैठे हैं। आप कब स्टेटमेंट दे रहे हैं ? आपने तो आदर्श उपस्थित किया है। श्रीमन् लालचन्दजी साहब मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़ा आदर्श उपस्थित किया है। हम चाहते हैं कि वह बतायें कि कब स्टेटमेंट देंगे ?

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि हर माननीय सदस्य, जो मंत्री पद से इस्तीफा दें, का राइट है कि वह हाउस में स्टेटमेंट दें।

श्री मूलचन्द डागा : आपके पास तारीख आई है या उनकी तरफ से इत्तिला आई है कि वह स्टेटमेंट कब देंगे ? लालचन्दजी साहब मौजूद हैं। आप बतला दें कि आप कब बयान देंगे ताकि जब आप बयान दें तो हम भी सदन में उपस्थित रहें और आपके स्टेटमेंट को सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था .....

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य को जबरदस्ती बिठा रहे हैं। वह बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मुझे कहने दें।

श्री शिवचरण सिंह : पिछले जो मंत्री थे श्री विज्ञान मोदी और श्री लालचन्द उन्होंने कहा था कि मुख्य मंत्री महोदय गलत थे, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे किसी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह ऐसी सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपने जो सुझाव दिया है इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा . . .

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें उससे पहले . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था नहीं सुझाव देता हूं। मैंने उनसे पूछा है, वह स्टेटमेण्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं ? देना चाहते हैं तो कब देना चाहते हैं ? उन्होंने कोई नया माइण्ड बनाया है तो उनको दो तीन दिन का समय दे दिया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आप उनसे पूछें, वह अलग बात है। लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया है इसलिये उनसे स्टेटमेन्ट की मांग करना हमारा अधिकार है।

(श्री रामनारायण चौधरी)
मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह नहीं देना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, वह देने के लिए उत्सुक हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह नहीं देना चाहते हैं तो, मान्यवर, हमें अधिकार है कि हम मांग करें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : आपको कहां से अधिकार है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इसमें आप विलम्ब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आरोप लगाये हैं मुख्यमन्त्री के खिलाफ। चन्द्रशेखर जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं··

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम बता दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : नियम 133 है।

"Statement by a Minister who has resigned —A member who has resigned the office of Minister may with the consent of the Speaker, make a personal statement in explanation of his resignation."

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे स्टेटमेंट देने की मांग कर सकते हैं, वह नियम बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर वह देना चाहते हैं तो दें वरना हमें मांग करने का अधिकार है। मैं आपको कन्विन्स करूंगा। नियम 133 है, वह ऐसा है जो कि लोकसभा के नियम 199 के आइडेण्टिकल है। लोक सभा में चरणसिंह के वक्तव्य देने के समय भारी हंगामा हुआ था। जबरदस्त हंगामा हुआ था।

"वर्षाकालीन अधिवेशन के प्रथम दिन आज लोक सभा में प्रश्नोत्तर काल के तत्काल बाद से भोजन विश्राम तक लगातार एक घण्टा केवल इसी बात पर हंगामा होता रहा कि भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री चरणसिंह से वक्तव्य देने की मांग करने के लिए विरोधी दल के नेता श्री सी. एम. स्टीफन को अवसर देना उचित है कि नहीं।"

मेरा निवेदन यह है कि लोक सभा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की मदर इन्स्टीट्यूशन है। उसके कन्वेशन को मानना हमारा धर्म है। यह परम्परा रही है। मान्यवर, मैं कोट करना चाहता हूं।

"अध्यक्ष श्री के. एस. हेगडे ने सदन की आज की कार्यसूची से हटकर श्री स्टीफन को नियम 199 के अन्तर्गत श्री चरणसिंह से वक्तव्य की मांग करने की यह कह कर अनुमति दे दी कि इस प्रकार की व्यवस्था तीन बार पहले भी दी जा चुकी है।"

पर श्री स्टीफन ज्यों ही अपनी मांग पेश करने को उठ खड़े हुए कि जनता पार्टी के तथा अन्य दलों के सदस्यों ने इस पर यह कह कर आपत्ति शुरू की कि नियम 199 के अन्तर्गत केवल इस्तीफा देने वाले मन्त्री का यह अधिकार है कि स्वेच्छा से यदि वह चाहे तो वह वक्तव्य दे सकता है पर उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता और न उनके वक्तव्य पर कोई बहस की जा सकती है।

विभिन्न सदस्यों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने अपने निर्णय में कहा कि इसी प्रकार के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अवसर तीन बार पहले भी आ चुके हैं जब सदस्यों को इस्तीफा देने वाले मन्त्रियों से वक्तव्य देने की मांग करने की अनुमति इस सदन में दी गई। श्री हेगड़े ने कहा जब श्री सी.सुब्रह्मण्यम ने इस्तीफा दिया था उस समय सदस्यों ने उनके वक्तव्य की मांग की थी और तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था श्री सुब्रह्मण्यम चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। या फिर जब श्री कृष्ण मैनन ने इस्तीफा दिया था उस समय भी अध्यक्ष ने श्री नाथ पै को उनसे वक्तव्य देने की मांग करने की अनुमति दी थी। तीसरा इसी प्रकार का मौका श्री अशोक मेहता के इस्तीफे के बाद आया था। श्री हेगड़े ने कहा कि इन तीनों ही अवसरों पर यह बात मान ली गई कि इस्तीफा देने वाले मंत्री से वक्तव्य देने की मांग करने का अधिकार सदस्यों का है, वक्तव्य देने या नहीं नहीं देने का अधिकार मन्त्री का है। विवाद अध्यक्ष के निर्णय के बाद भी खतम नहीं हुआ। और, श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा कि वक्तव्य के बारे में पूछना एक बात है और उस सम्बन्ध में किसी सदस्य का वक्तव्य देना दूसरी बात है। श्री मिश्र के यह पूछने पर कि क्या आपने श्री स्टीफन को वक्तव्य देने की अनुमति दी है या यह पूछने की कि भूतपूर्व गृह मन्त्री वक्तव्य देंगे कि नहीं, श्री हेगड़े ने कहा कि मैंने श्री स्टीफन को 'पूछने' की अनुमति दी है।

मान्यवर, एक अवसर पर अध्यक्ष श्री हेगड़े ने जनता पार्टी के श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के हठ पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप इस प्रकार सदन को मजबूर नहीं कर सकते।

यह परम्परा रही है, श्री चरण सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में मांग करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने छूट दी थी। यह मामला श्री चरणसिंह के मामले से भिन्न है। दूसरे श्री राजनारायण के सम्बन्ध में प्रश्न है। दोनों के यहां अनुयायी हैं। तो लोक सभा में वक्तव्य देने की मांग करने की अनुमति दी गई थी। हमें उनके वक्तव्य की मांग करने का अधिकार है।

श्री मूलचन्द डागा : इसके साथ-साथ उन्होंने जो मुख्य मन्त्री को पत्र लिखे हैं, वह भी सदन की मेज पर रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दोनों ही अपने वक्तव्य दें। मुख्य मन्त्री दिल्ली से वापस आकर उनका साथ देंगे क्या ? परिस्थितियां ऐसी हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सारे माननीय सदस्यों में जो कन्फ्यूजन है, वह दूर कर दें। मुख्य मन्त्री जी उनको रखना चाहते हैं या उनको विदड़ा करना चाहते हैं। यह बड़ा रहस्य है।

श्री शिवचरण सिंह : या मुख्य मन्त्री महोदय कह दें कि हम दुबारा मन्त्री बना देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परम्परा भी रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस के जमाने में मन्त्री पद छोडने वाले मन्त्रियों ने सदन में स्टेटमेंट दिये है। कांग्रेस शासन में मन्त्रियों ने वक्तव्य दिये हैं श्री शिवचरण माथुर ने वक्तव्य दिया है। दूसरे मन्त्री थे, उन्होंने वक्तव्य दिये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान मन्त्रि-मण्डल के दो माननीय सदस्य, श्री लालचन्द

(श्री रामनारायण चौधरी)
और श्री विज्ञान मोदी, मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। राजनैतिक घटना चक्र जो चला··

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि माननीय सदस्य, जो इस्तीफा देने के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं, को माइण्ड बनाने के लिए उचित समय दिया जाय कि वह वक्तव्य देना चाहेंगे या नहीं। एक दो दिन में वापस चर्चा उठायें। मैं आपको जरूर समय दूंगा।

(व्यवधान)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 20 सितम्बर के रोज ज्यों ही राजस्थान पत्रिका का एक लेख पढ़ा हमारे जो मास्टर जी हैं···

(व्यवधान)

इनके सम्बन्ध में सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसे मैंने आदि से अन्त तक पढ़ा। मैंने राजस्थान पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। वह मैंने आपके समक्ष रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने प्रिविलेज मोशन दिया है, उसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं। क्या आप मुझे उसके सम्बन्ध में कुछ और जानकारी देंगे?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसी समय दे दूं। आप बता दें, मैं वही जानकारी दे दूं। इससे सारे सदन का अपमान हुआ है, अध्यक्ष का अपमान हुआ है। राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने सदन का अपमान किया है। इस लेख में यहां तक लिखा कि····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पुनः इसकी चर्चा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कल तक निर्णय दे देंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझसे चेम्बर में मिल लें। मैं आपके अध्ययन से भी लाभान्वित होना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर; जैसा अभी माननीय श्री डागाजी ने कहा, राजस्थान पत्रिका के सम्पादकीय में जो छपा है उसके सम्बन्ध में मैंने और मेरे दल के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है, यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। इससे सदन के सम्मान को क्षति पहुंची है और उसके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए मैंने राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक इन तीनों के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप चेम्बर में मिल कर मुझे जानकारी दे दें। मैं इसको एग्जामिन कर लूंगा। प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : वैसे तो मैंने विस्तार से पेश किया है...

श्री मूलचन्द डागा : रूल 190 और 120 में मैंने मोशन मूव किया था। आपने कहा था कि मैं इसकी इजाजत दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि इसको एग्जामिन कर रहा हूं। मैंने कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दी है।

श्री मूलचन्द डागा : इससे जनता पार्टी की गरिमा खण्डित होती है। इस सदन के नेता जो तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा हमारे विधायक भी डेढ़ लाख और तीन लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे मांग लेकर आये और भूख हड़ताल पर बैठे। तो लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा को कैसे कम कर दिया। यह बड़ा इम्पार्टेन्ट मसला है। यह सदन में लाया जाय। रूल 190 और 120 में दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में जानकारी ले रहा हूं इसकी ग्राह्यता के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको तीन-चार दिन पहले दे दूं और मोशन पेश कर दूं तो आपका सचिवालय मुझको बुलाकर क्यों नहीं पूछ ले कि लॉ बताओ। उनका काम है मुझको कोआपरेट करने का..

श्री उपाध्यक्ष : कारण शायद यह रहा है कि नियम संख्या आपने संशोधित कर दी।

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र : प्रभारी मन्त्रीजी राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्र, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार)

(श्री आदित्येन्द्र)
विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन एवं विस्तार) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन एवं विस्तार) अध्यादेश, 1978 (1978 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 15) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्र, प्रभारी मंत्री राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) अध्यादेश, 1978 (1978 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 14) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री केदारनाथ (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करता हूं।

Page No 86

(86)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोकचन्द जैन, प्रभारी मन्त्री राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री श्री भंवरलाल शर्मा, राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा, नगर सुधार (संशोधन) विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की सहमति प्राप्त हो चुकी है। मंत्री महोदय विधेयक को पुरः स्थापित करें।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य नारायण चौधरी प्रभारी मंत्री, दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की सहमति हो चुकी है। विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक. 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम मंत्री, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की सहमति प्राप्त हो चुकी है। विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक । दंड प्रक्रिया संहिता

(श्री उपाध्यक्ष)

(राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 के बारे में श्री मूलचन्द डागा, श्री परसराम मदेरणा, श्री राम नारायण चौधरी व श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने परिनियत संकल्प दिया है, वे उसको प्रस्तुत करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।

श्रीमान्, थोड़े समय पहले हमारे सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी सदन में थे। मेरा दुर्भाग्य है कि वह इस समय नहीं हैं। वे कह रहे थे हमने जो कुछ अध्यादेश रखे हैं उनके कारण बताए हैं। मैं विधि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी जनता पार्टी के 150 विधायक यहां हैं। क्या आपने अपनी पार्टी मीटिंग बुलाकर इनसे पूछा था कि मैं इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना चाहता हूं? मधुलिमये ने एक बार हिम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा कानून हो, पहले हमारी पार्टी मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। आप समाजवादी हैं और राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। सरकार को वह विधेयक विथड्रा करना पड़ा था क्योंकि यह गलत तरीका है। यहां जितने आपकी पार्टी के विधायक बैठे हैं समझदार लोग हैं, हमारा सौभाग्य है कि जनता के प्रतिनिधि जितने उधर बैठे हैं वे समझदार लोग हैं, सही सुधारवादी लोग गांवों से आए हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। इनमें नई जिंदगी है, नया खून है।

(4.05 म. प.)

(श्री ओंकार लाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

उनको आपने बताया कि अध्यादेश लाने का क्या कारण था? सन् 1950 में मावलंकर ने क्या कहा था? गृह मंत्री समझते हैं :

"The procedure..

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस पर चर्चा हुई है।

श्री मूलचंद डागा : नहीं। हमें इसका आप उत्तर दें। आपसे बड़ी आशा है।

"The procedure of promulgation of Ordinances is inherently undemocratic. Whether an ordinance is justifiable or not, the issue of large number of ordinances has psychologically a bad effect. The people carry an impression that the Government is carried on by ordinances. The House carries a sense of being neglected and the Secretariat perhaps gets into the habit of slackness and an impression is created that it is desired to commit the House to a particular legislation as the House has no alternative but to put its seal on matters that have been legislated upon by ordinances."

आप इन सबको रबड़ स्टाम्प बनाना चाहते हैं? ये 150 सदस्य रबड़ स्टाम्प्स नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)
हैं। इनमें जिंदगी है, इनमें जान है। आपने क्या किया? इस सिद्धांत का क्या किया? आप बड़े लॉ मिनिस्टर हैं। 107, 108, 109 व 110 के मुकदमे होते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत काम हुआ है। आप समाजवादी तरीके की समाज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। गांधीजी ने जो भावना पैदा की थी अन्त्योदय द्वारा समाज की आखिरी पंक्ति का उत्थान करने की, इस नारे का बाजा भी बजाते हैं। भैरोंसिंह शेखावत जी अन्त्योदय का बाजा बजा रहे हैं और त्रिलोकचन्दजी पटना जाकर सर्वोदय नेता का सर्टीफिकेट ले आये हैं। जे.पी. ने कहा, तथास्तु। वे सर्टीफिकेट लेकर आए हैं। क्या वह सरकार आज चाहती है कि गरीब लोग, जिनकी जमानत देने की सामर्थ्य नहीं है, जमानत दें।

यह काला कानून आ रहा है। दो साल पहले पार्लियामेंट में इस कानून पर चर्चा हुई थी। भूखा नंगा राजस्थान है, 52 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे हैं, आपके आंकड़े बतायेंगे कि कितने गरीब लोग हैं...

(व्यवधान)

लड्ढा साहब, आपके चेहरे पर हंसी है लेकिन अंदर दर्द है। गरीब के पास जमानत देने को नहीं होती, मजिस्ट्रेट के पास बहुत काम होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्री व त्रिलोकचन्दजी को 107 में गिरफ्तार किया था।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छा किया। आपको गिरफ्तार नहीं किया, उनकी भूल हो गई। उजला अरोड़ा जैसे लोग दफा 107 से जमानत दे सकते हैं। गांव के गरीब लोग नहीं दे सकते। पुलिस के लिए दफा 107 अच्छा तरीका है कमाने का। वकील बुद्धिजीवी लोग दफा 107 में कमाते हैं। उसमें क्या है? परेशानी, बरबादी। सैकड़ों लोग वहां जाते हैं। जो नया लड़का होता है उसको मजिस्ट्रेट कहता है, अगर जमानत नहीं है तो हलफनामा ले आओ। वह 3) का स्टाम्प लाता है और उसमें लिखता है कि मेरे पास पूंजी है, गाड़ी है। उससे फिर कहा जाता है, नहीं तुमने ठीक हलफनामा नहीं लिखा। वापस लिखकर आओ। वह टाइपिस्ट के पास जाता है, 2–4 रुपये खर्च करता है। जब तक जमानत रहती है वह अपने जमानती का गुलाम रहता है। उस आदमी को उसका मोहताज बनाने का तरीका आपने सीखा है जो उस गरीब आदमी की 107 की जमानत देता है। उस गरीब आदमी पर जो मेहरबानी करता है, उसके नीचे वह झुका रहता है, उसके घर का काम करता रहता है और उसका शोषण होता रहता है। आपने अपने लॉ में अमेंडमेंट क्यों किया? जब पार्लियामेन्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेन्डमेन्ट किया तो उन्होंने कहा कि आदमी की खुद की जमानत ले ली जाये, 107 में उसका मुचलका ले लिया जाये, वह काफी है। उसको रिहा कर दिया जाये। अब आप मुझे यह बतायें कि लॉ डिपार्टमेन्ट और कानून के मंत्री बैठे क्या कर रहे हैं जो कि इसको ला रहे हैं। आपके पास ऐसे आंकड़े हैं कि आप बता सकें, 107 की जमानत पर छूटने के कारण इतने अपराध बढ़ गये हैं? श्रीमान्, कानून लाने के पहले

(श्री मूलचन्द डागा)
यह आंकड़े आप सदन की मेज पर पेश करें कि 107 में छूटने के कारण इतने अपराध बढ़े हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। इस सम्बन्ध में तो मेरा अलग से रिजोल्यूशन आयेगा। इन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट जमानतें ले रही है। यह कहने का उनको अधिकार नही है फिर भी यह उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है।

एक गरीब आदमी गांव से आता है, 15 कोस और 20 कोस से चल कर आता है। धौलपुर से आता है, उसको रास्ते में डाकू मिल जाते हैं। उसको रास्ते में लूट लिया जाता है, उस आदमी के पास आने को कुछ भी नही रहता। वह जमानत देने वाले को लेकर आये, रात को उसे अच्छे कमरे में सुलाये, चाय भी पिलाये और जब कोर्ट पहुंचे तो मालूम होता है, मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पर हैं। मजिस्ट्रेट साहब कहां गये हैं? भरतपुर गये हैं। क्यों गये हैं? वहां कोई मंत्री जी आने वाले हैं। मंत्री जी की वजह से मजिस्ट्रेट साहब चले गए और जमानत वाला कहता है कि मैं तो तुम्हारे यहां ही सोऊंगा। एक बोतल भी वह पीयेगा। जमानत कौन देता है? इन्सान की जमानत इन्सान देता है। आप भारत के नागरिक की गरिमा बढ़ाना चाहते है। यह गरिमा बढ़ाने का तरीका है? हमने एक नागरिक को कह दिया है कि तुम राष्ट्र का निर्माण करने वाले हो। आप यह बतायें कि जमानत लेने का क्या तरीका है? क्यों ली जाये। क्या कारण है? लॉ के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, बड़े बड़े वकील, विधिवेत्ता और हाई कोर्ट के अनुभव वाले हैं इन्होंने रीजन्स क्या दिये हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान, यह सवाल आम जनता का है और आप गरीबों के हिमायती हैं। आप घंटी मत बजाइये। गरीबों के गले घंटी बंध जायेगी. . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी, इसमें जल्दबाजी नहीं करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप पर ही असर पड़ेगा।

श्री सभापति : कोई सीमा तो रखनी ही पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अब जो रीजन्स दिये हैं वह आपके सामने हैं। अभी हमारे नेता महोदय बड़े ठाठ से चले गए। रीजन्स यह दिये हैं।

"The other preventive provisions on the Code, namely section 108, 109 and 110 givo such directions to the Magistrate to demand securities."

सैक्शन 110, 109 और 108 यह कहते हैं कि जमानत ली जाये। यह क्या रीजन्स है? क्या विधिवेत्ताओं का दिमाग है? क्या राजस्थान की जनता सरकार का यह नया अन्त्योदय योजना का नमूना है? जो हैबीचुअल आफेन्डर्स हैं, आप तीन साल के आंकड़े बतायें कि सैक्शन 110 में कितनों की आपने जमानत ली? जयपुर में 110 का सैक्शन कभी काम में लिया हो तो बता दें

(श्री मूलचन्द डागा)

तब मैं मानूंगा कि विधि मंत्री जी कुछ काम करते हैं। इसलिए, श्रीमान् हैबीचुअल आफेन्डर्स के लिये सेक्शन 110 है। अगर किसी ने गुनाह किया तो यह हाल होगा। सेक्शन 110 में पुलिस दोनों पक्षों को बाउण्ड करती है। 110 की धारा यह है :

"Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate, or Sub-Divisional Magistrate, or a Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the State Government, receives information that any person within the local limits of his jurisdiction:

(a) is by habit a robber, house breaker, thief, or,

(b) is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen, or

(c) habitually protects or harbours thieves or aids in the concealment or disposal stolen property......

सेक्शन 107 और 110 की तुलना की है। कहां राजा भोज और कहां गंगु तेली। कहां सुन्दर डाकू और कहां एक छोटा सा छोरा। मेरे ख्याल से यह विधि विभाग है या कौन सा विभाग है। सेक्शन 110 की तुलना सेक्शन 107 के साथ। सेक्शन 109 क्या है? अब सेक्शन 109 में यह है कि हम उन लोगों की स्योरिटी ले सकते हैं जो कि इस प्रकार का धंधा करते हैं जिस धंधे को करने के लिये मुमानियत है। अब आप सेक्शन 109 को देखिये :

"Security for good behaviour from vagarants, suspected persons......

नं. 109 और नं. 110 में। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी गंभीरता से घोषणा की कि हम लोग आर्डिनेन्स लाना नहीं चाहते हैं। आप महरबानी करके इसको कल पास करवाना। आज आप पार्टी मीटिंग बुला लें और मत ले लें। पार्टी के अन्दर बेचारे नये नये लोग आये हैं जिनमें नया जीवन लाने की क्षमता है जो कि हिन्दुस्तान को नया बनाना चाहते हैं। उनसे पूछ लें। यह डेमोक्रेटिक वे है, लेकिन आर्डिनेन्स इश्यू करके राज करना चाहते हैं। कौन सी आफत आ गई थी? कौन सा पहाड़ टूट गया था? कौन सा आसमान धरती पर आ रहा था? सेक्शन 107 में संशोधन लाने के बाद लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन कौन सी सुधर गई? कुछ तो बतायेंगे? क्या आपने मजिस्ट्रेट को बुलाया था और मजिस्ट्रेट को बुलाकर पूछा था कि सेक्शन 107 में क्या है? हमने अखबारों में नहीं पढ़ा। मैंने यह नहीं पढ़ा कि विधायकों को बुला कर पूछा हो। आज हमारी जनता पार्टी की सरकार, जे. पी. का नाम लेने वाली, महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ लेने वाली, राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार इस प्रकार का काला कानून लाकर राज्य चलाना चाहती है। यह पाप कौन लेकर चलेगा? हम लोग तो अलग हो जायेंगे। यह इतिहास बतायेगा। इसमें 107 और 110 की तुलना की गई है। क्या रीजन्स हैं इसमें? आप रीजन्स पढ़कर देख लीजिये।

In the interest of maintaining peace and public tranquility, it is

(श्री मूलचन्द डागा)

considered expedient and necessary that such a provision should also exist in Section 107 of the Code..

आंकड़े बता देते हैं। सिर्फ गरीबों पर जुल्म ढाने का यह तरीका है। कौन सेक्शन 107 में बाउंड किये गये हैं? जो मालदार होता है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह आर्डिनेन्स लाना कोई उचित नहीं था। कोई आसमान नहीं टूट रहा था। विधान सभा आने वाली थी, विधान सभा में विधेयक रखते और उस पर चर्चा होती।

मैं फिर कहना चाहता हूं। मै आज आर्डिनेन्स पर चर्चा कर रहा हूं। कल मुझे इसमें अमेंडमेंट रखने का मौका मिलेगा। आप मुझे सारे फैक्ट्स दीजियेगा क्योंकि आपने रीजन्स में यह लिख रखा है। आज नहीं हैं तो ~~कल सारे फैक्ट्स और फिगर्स~~ कलेक्ट कर के ले आयें अन्यथा इस काले कानून के लिये भगवान न करे, आपको क्या सजा भुगतनी पड़े।..

श्री सभापति : माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपाल गढ़) : माननीय सभापति जी, जो प्रस्ताव पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करूंगा। इस बात की मांग की है कि राजस्थान की राज्य सरकार अध्यादेश के द्वारा आर्टिकल 213 के अन्तर्गत गवर्नर की रेसीडुअरी पावर्स से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन कर रही है, इसको अस्वीकार किया जाये और अस्वीकार इसलिए किया जाये कि 1973 में जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पूरा अमेंडमेंट हुआ था, होलसेल अमेंडमेंट, और लोक सभा और राज्य सभा में विचार हुआ था, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट ने चार महीने तक विचार किया था, उसमें इसी प्रकार का प्रावधान था जो आज विधि मंत्री लाये हैं। उसमें संशोधन किया कि 107 के अन्तर्गत अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उससे स्योरिटी नहीं ली जानी चाहिए। सन् 1973 से पहले स्योरिटी का प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सात साल तक रहा है और उसके बाद यह संशोधन किया गया है। इस संशोधन करने में यह दलील दी जा रही है कि धारा 108, 109, 110 में प्रावधान है इसलिए 107 में रख दिया जाये। इस सदन के माननीय सदस्य, जो एडवोकेट हैं, भलीभांति जानते हैं, यह सदन भलीभांति परिचित है कि सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स चलती है। राजस्थान में जुडिसियरी का सेपरेशन हो गया है। सभी प्रकार के अपराध चाहे किसी कानून के अन्तर्गत हों वे सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिये हैं। यह सिक्योरिटी की प्रोसिडिंग्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। मेरा अनुभव यह है कि इसका सहारा लेकर लोगों को फांस भी सकते हैं, तंग भी कर सकते हैं और करते रहे हैं।

माननीय सभापति जी, 24 अगस्त को स्योरिटी लिए जाने के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है। हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सुदूर गांव में रहने वालों से स्योरिटी

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान गरीब देश है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहता हूँ--

"Today the Supreme Court Bench, consisting of Justice V. R. Krishna Iyer and Justice D. A. Desai specified the principles that should govern the grant of bail by a court to a person detained as an under-trial or as a convict, who has sought special leave to appeal to the Supreme Court. The ruling was given on the bail application of a mason, Moti Ram, whose appeal in a criminal case is pending before the Supreme Court. He had pleaded in his bail application that he be released on furnishing a surety of Rs. 2000/-or on executing a personal bond.

Moti Ram had earlier obtained a Supreme Court order for bail, subject to the satisfaction of the Chief Judicial Magistrate. The Magistrate ordered his release on furnishing a surety in the sum of Rs. 10,000/-. The mason moved the Supreme Court again as he could not procure that huge sum or manage a surety of sufficient prosperity.

After hearing the applicant, the Supreme Court directed the magistrate to release him on his own bond in a sum of Rs. 1,000/-.

Justice Iyer in his judgement said, 'Bearing in mind the need for a liberal interpretation in areas of social justice, individual freedom and the indigent's rights, we hold that bailcovers release on one's bond with or without sureties. When sureties should be demanded and what sumshould be insisted on are dependent on variables.

The Court further said that the courts should be liberal in granting bail to poor men, young persons, women, infirm individuals on their own recognisances, "put whatever conditions you may."

'Indians are, in monetary terms, indigents. Justice Iyer said.

Are you listening, Mr. Law Minister

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं सुन रहा हूँ। I am listening.

श्री परसराम मदेरणा : यह आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह मेरा पढ़ा हुआ है। मैंने वकालत की है।

श्री परसराम मदेरणा : 'The Judge described as 'odd' the magistrate's order refusing to accept the suretyship of the applicant's brother on the ground that he and his assets were in another district.

He observed, 'It shocks one's conscience to ask a mason like the petitioner to furnish sureties for Rs. 10,000-.

(94)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी, ये पास मान कर देंगे तो ये इसी तरह हां या ना करके चले जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : 'The magistrate must be given the benefit of doubt for not fully appreciating that our Constitution, enacted by 'we the people of India, is mant for the butcher, the baker and the candle-stick maker, shall we add the bonded labour and pavement dweller."

इसमें जो प्रिन्सिपल तय किया गया है वह प्रिन्सिपल यह तय किया गया है कि हिन्दुस्तान गरीबों का देश है इसलिये जो कुछ बान्ड्स एक्जीक्यूट किये जायं वे बहुत कम अमाउन्ट के हों।

" Justice Iyer further observed, 'If mason and millionaire were treated alike, egregious inequality is an inevitabilty.'

107 में अपराधी दण्डित घोषित क्यों हुआ? आपने रीजन्स दिये हैं।

"Likewise geographic allergy at the judicial level makes mockery of equal protection of the laws within the territory of India. India is one and not a conglomeration of districts-untouchability apart".

इसका मतलब यह हुआ कि श्योरिटी ले रहे हैं तो उस श्योरिटी में वह सुबह से शाम तक पिछलग्गू की तरह उस व्यक्ति के पीछे घूमता रहेगा। क्या यह सम्भव है?

"What is a Malayalee Kannad, Tamil or Telegu to do, if arrested for alleged misappropriation or theft or criminal trespassin Bastar, Port Blair, Pahalgam or Chandni Chowk ? He cannot have sureties owning properties in these distant places."

इसमें भी आप अमाउन्ट कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन श्योरिटी का न कहें। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उद्देश्य है वह इससे पूरा नहीं होता है। कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ हो तो—

"He may not know anyone there and might have come in a batch or to seek a job or in a morcha, Judicial disruption of Indian unity is surest achieved by such provincial allergies."

इसमें भी यह सवाल है कि उसकी कितनी कितनी प्रापर्टी है, मूवेबल प्रापर्टी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है? इस प्रकार किसी भी आदमी की श्योरिटी हो ही नहीं सकती है। इसलिये आर्डिनेन्स के जरिये जो प्रावधान लाया गया है वह सही नहीं है। पार्लियामेंट में भी 3–4–5 साल पहले इस प्रकार के प्रावधान को हटा कर यह रखा था but where wise men fear to tread, the Janta Ministers rush in. आपरेशन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, लोगों को हरेश करने के लिए कर रहे हैं। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में जैसा मुख्य मंत्री जी कह रहे थे अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था बिगड़

(श्री परसराम मदेरणा)

गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिये। लेकिन जब व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस संगठन को मजबूत करने का सवाल आता है तो यह भी साथ होना चाहिये कि ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाय। अकर्मण्य लोगों को दण्डित करने का प्रश्न है वहां सरकार को सख्ती से कदम रखना चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन में सुधार आ सके। आज जो कुछ पुलिस में हो रहा है उससे किसी की सिक्योरिटी मेन्टेन नहीं हो रही है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेन्स में इस प्रकार का भाषण दिया था कि राजनैतिक दलों द्वारा असामाजिक तत्वों को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसा भाषण दिया है या नहीं दिया है, मुझे पूरी तौर से पता नहीं है कि राजनैतिक पार्टियां संरक्षण दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था। उन्होंने किसी पार्टी पर स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगाया है लेकिन यह उनका मत था कि अन-डिजायरेबल एलीमेन्ट्स से राजनैतिक पार्टियां कोल्यूजन में हैं। मैं तो सब अधिकारियों की बात करता हूं–गलत एलीमेन्ट्स पुलिस फोर्स में है और येन केन प्रकारेण अपना तबादला प्रशासन में घुस कर कराते हैं और उसके बाद लोगों को हरैस करने का नजरिया बनाते हैं। इसलिये पुलिस प्रशासन में यदि आप सुधार करें तो जो ईमानदार हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिये, पुलिस प्रशासन में जो भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वत खोर हैं उनको दण्डित कीजिये। पुलिस में इस प्रकार के लोगों की धर-पकड़ कीजिये तब तो आप लॉ एण्ड आर्डर ठीक मेन्टेन कर सकेंगे. अन्यथा पुलिस में सुधार लाना बहुत मुश्किल लगता है।

इस 107 से मुझे विश्वास है, ज्यादातर गांवों में ज्यादती होगी। उनको हर तरह से हरेस किया जायगा और हरेस होने पर उनको वकील करना पड़ेगा और कोर्ट में जाना पड़ेगा। वे परेशान होकर पुलिस से डरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रकार की श्योरिटी दे नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपने राजस्थान की जेलों में राजनैतिक लोगों को रखने का जो षडयन्त्र किया है उसके लिये यह काला कानून ला रहे हैं और बिना सोचे समझे इसमें प्रावधान करने जा रहे हैं तो इसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह प्रावधान था। उसे लम्बे अर्से तक रखने के बाद उसमें संशोधन किया यूनानीमसली, उसका कोई विरोध नहीं था, प्रावधान जो अब लाये हैं वह इस विधान सभा में बिना सोचे समझे लाये हैं, बिना आपकी पार्टी को कान्फीडेन्स में लिये हुए कर दिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर को बिगाड़ने की जिम्मेदारी इस जनता पार्टी की सरकार की है। अभी कहा जा रहा था मुख्य मंत्री जी द्वारा कि कई प्रकार के अध्यादेश पहले प्रस्तुत करते रहे हैं तो उनको भी यह लत पड़ गई है। लेकिन कुछ इस प्रकार की घटनायें हुई जिनको मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं।

जब उदयपुर के वाइस चांसलर के साथ मारपीट कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे? राजस्थान के मुख्य मंत्री एण्टी सोशल

(श्री परसराम मदेरणा)

एलीमेंट की बात करते हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप जब जोधपुर गए थे तो जलसे के अन्दर किन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई की ? आज सुबह ही जीरो आवर में जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ता के हत्यारों को पनाह दी उनका जिक्र हुआ। इतना ही नहीं, कई प्रकार के दूसरे मामले समय समय पर सदन में उठते रहते हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस प्रशासन के अन्दर लालफीताशाही है, ढिलमिल काम करने की प्रवृत्ति है, जिम्मेदारी किसी पर डाली नहीं गई है। पुलिस के प्रशासन में जो अच्छे लोग हैं उनको उत्साहित नहीं किया जा रहा है। पुलिस के प्रशासन के अन्दर जो गलत आदमी हैं उनको दण्डित नहीं किया जा रहा है। यही सब कारण है जिनके कारण लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है। केवल अथोरिटी का प्रावधान करने से लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस समय लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर बहस होगी तब और बातें कहूंगा, आज केवल इतना ही कहना उपयुक्त होगा...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : जो मैंने परिनियत संकल्प रखा है उसको स्वीकार किया जाय और दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि समय कम लें ताकि....

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर थोड़े में क्या कह सकते हैं। अगर रात को बारह बजे तक बैठने की जरूरत हो तो बैठें लेकिन विधेयक को बिना पूरी बहस के पास कराने की कोशिश नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : यह रात को बारह बजे तक बैठने की परम्परा भी रोकिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सदन का समय पांच बजे तक ही रखा जावे तो ठीक है।

श्री सुखलाल सेणचा : सदन का समय पांच बजे से आगे नहीं बढ़ाया जावे।

श्री शंकरलाल : पांच बजे बाद सदन की बैठक चले तो यह न्याय नहीं हो सकेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी।

(व्यवधान)

कृपया भाषण नहीं करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आज क्या सदन की बैठक पांच बजे के बाद भी चलेगी। यह पहले भी परम्परा चलती रही है। मुख्य मंत्री जी, आप सदन को चलाना नहीं चाहते। छः महीने बाद मीटिंग बुलाते हैं सदन की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, इस बात की नोलेज हो जावे ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, हम 5 बजे बाद सदन नहीं चलने देंगे ।

श्री शंकरलाल : पांच बजे बाद सदन चलाने की बात नहीं करें । हम नहीं चलने देंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदय, मैंने आपके द्वारा सदन में परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है कि :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1978) को अस्वीकार करता है ।"

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर सिद्धान्ततः इसका विरोध किया था, जो व्यक्ति पहले विपक्ष में बैठते थे वे आज सत्ता में हैं और सत्ता में भी सर्वोच्च सत्ता मुख्य मंत्री के पद पर हैं, वही मुख्य मंत्री जब इधर बैठते थे तो इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत कर मांग करते थे कि अध्यादेश निकालना सिद्धान्ततः लोकतंत्र और इस सदन के अधिकारों का हनन है । तो, मान्यवर, इसी सिद्धान्त पर मैं इसका विरोध करता हूं । जितने अध्यादेश इस अर्से में निकाले गए, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ज्यादा हैं । अध्यादेश अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकाले जाने चाहिए । इस अध्यादेश के द्वारा...

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आप पहले ही काफी विस्तार से कह चुके हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : इस मूल धारा में, सीआर. पी. सी. की धारा 107 के अन्दर जो व्यवस्था नहीं है जमानत की, वह जमानत की व्यवस्था धारा में जोड़ना चाहते हैं । बोर्ड से काम नहीं चलता, यह कहा गया है, राजस्थान में शांति और अमन कायम रखने के लिए जमानत की व्यवस्था जरूरी है । इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि राजस्थान के अन्दर शांति और अमन नहीं है । मान्यवर, बड़ी विचित्र बात है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय देश के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो, उसमें तो यह कहें कि राजस्थान के अन्दर राम राज्य है, अमन चैन की बंसी बज रही है और इधर अध्यादेश के द्वारा कानून में परिवर्तन करके गरीब लोगों को जमानत देने को बाध्य करना चाहते हैं और जो गरीब लोग जमानत नहीं दे सके उनको जेलों में रखना चाहते हैं, माननीय विधि मंत्री महोदय । तो कौनसी बात सही मानी जावे ? माननीय विधि मंत्री कहते हैं वह सही मानी जावे या मुख्य मंत्री की बात सही मानी जावे ? अभी चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स हुई दिल्ली में उस कांफ्रेंस के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर अमन चैन है और वहां पर कानून और व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है । तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन करता हूं कि अमन

(श्री रामनारायण चौधरी)
चैन, कानून और व्यवस्था धारा 107 से नियंत्रित किसी भी सूरत में नहीं होगी। माननीय प्रोफेसर केदार, आज यहां हैं, इन को याद होगा कि पिछले बजट सत्र में मैंने इनसे कहा था कि स्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं, जो आशायें, अकांक्षायें, जनता पार्टी के शासन से लोगों ने की थी, जो परिवर्तन लोगों ने जिन उम्मीदों से किया था उसमें आप असफल होंगे। लोगों में नाराजगी और असंतोष बढ़ा है, उस असंतोष और नाराजगी को सीआर.पी.सी. की धारा 107 में अमेंडमेंट करके यदि आप दबाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप इस प्रकार शासन चला लेंगे तो, माननीय विधि मंत्री जी, आप चला नहीं सकेंगे। आज आप धारा 107 में संशोधन क्यों लाना चाहते हैं ? धारा 107 में संशोधन की आज क्यों जरूरत पड़ रही है ? माननीय चौधरी साहब कोटा मे गए और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को माला पहनाना चाहते थे लेकिन आपको माला नहीं पहनाने दी गई। लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपने वहां पर लाठी चार्ज करवाया और जब उन्हें बोंड पर छोड़ने लगे तो अधिकारियों से कहा कि इससे क्या होगा ? ऐसे जहां कहीं मंत्री जायेंगे वहां काले झंडे दिखाये जायेंगे, आपके प्रोग्राम से असहयोग किया जायेगा। आज जो प्रदेश में एजीटेशन हो रहे हैं, जो अशांति और अव्यवस्था हो रही है लोगों के अभाव अभियोग बढ़ रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है, उसका कारण यही है कि लोगों की आशाओं के अनुरूप आप आचरण नहीं कर रहे हैं। इससे जो असंतोष बढ़ा है उस असंतोष को आप 107 से दबाना चाहते हैं। जमानत के जरिये पाबन्द करके आप आशा करते हैं कि लोगों को दबा लेंगे तो ऐसा नहीं कर पायेंगे। आपकी जनता पार्टी के शासन में आने के बाद के आप आंकड़े उठा कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा 107 का इस्तेमाल मजदूरों, विद्यार्थियों और छात्रों पर किया गया है। आगे भी शंका हो रही है क्योंकि आपकी शान्ति की नीति नहीं है...

श्री ईश्वर चन्द्र : आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : छात्रों के अन्दर असन्तोष उमड़ रहा है। आज उदयपुर विश्वविद्यालय में असन्तोष है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में असन्तोष है और राजस्थान विश्वविद्यालय में भयंकर असन्तोष है। सीकर के कालेज में असन्तोष है। भीलवाड़ा हायर सैकण्डरी स्कूल में स्ट्राइक, बूंदी के कालेज में स्ट्राइक हो रही है। पुरुषोत्तमजी मन्त्री बहुत सज्जन हैं लेकिन आपका भी घेराव बूंदी के अन्दर इसलिए करना पड़ा कि लोग जनता पार्टी से जो अपेक्षा करते थे वह पूरी नहीं हो पाई। लड़कों ने घेराव किया, वहां से हिलने नहीं दिया, लाठी चार्ज हुआ। 107 के अन्दर उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब कोटा गए तो लाठी चार्ज हुआ, ललितकिशोर जी चतुर्वेदी कोटा के अन्दर गए तो उनका घेराव किया गया। 107 के अन्दर लड़कों पर मुकदमे बने तो इस तरह से जो यह असन्तोष भड़क रहा है, इसको आप 107 से दबाना चाहते हैं तो विधि मन्त्री जी, आप कभी भी दबा नहीं सकेंगे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सदस्य ने मन्त्रियों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
के साथ क्या हो रहा है उन सब की तो चर्चा की लेकिन एक महिला मन्त्री के साथ कल जो वारदात हुई उसकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझनूं से आने वाली माननीय सदस्या का मैं बहुत आभारी हूं। आपके वर्ग के बारे में, मुझे अफसोस है, दुःख है, मुझे पहले जिक्र करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैं अब उसका जिक्र किए बिना नहीं रह सकता।

राजकीय प्रवास भवन में माननीय पाठक जी, समाज कल्याण के कार्यक्रम में पधारी थीं, डाइरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और उनका, दोनों का, घेराव किया गया, ग्राम सेविकाओं के द्वारा उनका घेराव किया गया। उनका घेराव करने का क्या कारण था? आप चाहते हैं कि इस 107 की धारा में संशोधन कर दें ताकि उनकी जमानत नहीं हो सके।...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : घेराव ही नहीं लाठी चार्ज किया गया। उनके कपड़े फाड़ने की चेष्टा की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : ये सब चीजें हुई, क्यों हुई, इसका कारण क्या है?

जो कुछ हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है? यह असन्तोष क्यों बढ़ रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : ग्राम सेविकाओं के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने जो कुछ किया सही किया, ठीक किया।

श्री सभापति : कृपया बोलने दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : विरोधी दल के नेता को उनके स्तर का भाषण देना चाहिये। आपका भाषण नीतियों पर होना चाहिये। आप गलत और झूठे आंकड़े भाषण में दे रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री शिवचरण सिंह : इससे आपकी वकालत में इजाफा हो जाएगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तो शुरुआत की है।

श्री सभापति : यह 107 का अमेण्डमेंट है। आप इस अमेन्डमेंट के सम्बन्ध में ही बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो अमेन्डमेंट किया जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं, यह कह कर मैं बैठ जाऊं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अमेन्डमेंट आप कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होने वाली है? मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या मैं यह कह दूं कि मैं इसका विरोध करता हूं और बैठ जाऊं।

श्री सभापति : आसन की यह भावना नहीं है। भावना यही है कि टू दी पाइन्ट आप बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : टू दी पाइन्ट ही कह रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 107 के जितने मुकदमे हैं, मेरे से पूर्व मदेरणा साहब ने कहा है, ये अधिकतर

(श्री रामनारायण चौधरी)

गरीब किसानों पर, मजदूरों पर और सब से ज्यादा विद्यार्थियों पर हैं और उससे भी ज्यादा पोलिटिकल वर्कर्स पर होंगे। आज आपकी शासन व्यवस्था बिगड़ रही है, उस बिगाड़ को ठीक करने के लिए जो अप्रोच होगा, उस अप्रोच को नकारेगा तब आप 107 की कार्यवाही करेंगे और 107 की कार्यवाही करके आप उन लोगों को जेलों में डालेंगे। इस संशोधन के पीछे आपकी यह मूल भावना है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो आप मन्त्री हैं, जनता पार्टी नहीं बनी थी, तब आप चौपड़ पर खड़े होकर राम मनोहर लोहिया के उपदेश का बखान करते थे, कट्टर समाजवादी तब आप अपने को मानते थे। तो कौन से समाजवाद के अन्दर यह लिखा है? यह कहां का सिद्धान्त है ? यह बतायेंगे। किसी गरीब को जमानत देनी है, वह जमानत नहीं दे सका इसलिए आप उसको जेल में डाल देंगे। उसकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। यह कहां का न्याय होगा ? सन् 1973 में सीआर.पी.सी. में जो संशोधन हुआ था, यह जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, यह उस समय ड्राप हो गई थी। अब राजस्थान के अन्दर इसकी क्यों आवश्यकता हुई है ? एक तरफ हमारे मुख्य मन्त्री दिल्ली में यह कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर अमन चैन है, राम राज्य है। दूसरी तरफ हमारे विधि मन्त्री यह कह रहे हैं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बिगड़ रही है। उसको कन्ट्रोल करने के लिए धारा 107 में अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया तो कानून और अमन चैन की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती है। मैं प्रोफेसर केदार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दो बजट प्रस्तुत कर दिए हैं और तीन बजट और आपको प्रस्तुत करने हैं उस समय आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। राजस्थान के मन्त्री जहां भी जाते हैं वहां पर उनका घेराव किया जाता है। फिर लाठी चार्ज किया जाता है। यह घेराव जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके ही वर्कर्स करते हैं और आप ही उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं। यह जो सारी स्थिति है, ये जो चीजें हैं इनको आप इस धारा में संशोधन करने से नहीं मिटा सकते।

श्री रघुनन्दन व्यास : कृपया पहले यह बतावें कौनसे मन्त्री का घेराव किया गया ? कहां लाठी चार्ज हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कौनसे मन्त्री का घेराव नहीं हुआ ? जोधपुर में मुख्य मन्त्री का घेराव किया गया। बाड़मेर में किया गया। वहां पर लाठी चार्ज किया गया था। एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जिसका घेराव नहीं किया गया हो...

एक माननीय सदस्य : जोधपुर में कोई घेराव नहीं हुआ ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान न करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : सदन का समय नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया बैठिए। इतनी आवाजें एक साथ आ रही हैं कि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है।

Page No 101

(101)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय अभी अभी एक प्रस्ताव करने जा रहे थे कि सदन की कार्यवाही आज का बिजनेस पूरा होने तक बढ़ा दी जाए। यह उनके हाव भाव से साफ नजर आ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि नवरात्री चल रही है। बहुत से माननीय सदस्य एक समय भोजन करते हैं··

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): यह आपने कैसे कह दिया कि मैं समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करने को खड़ा हुआ था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह साफ नजर आता है। मैं आपका ध्यान रूल 12 की ओर दिलाना चाहता हूं . .

श्री सभापति : I have gone through it.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पांच बज गये। पाइन्ट आफ आर्डर, सर··

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि लॉ-मिनिस्टर क्या कहते हैं, सुनें।

(व्यवधान)

One second, please, One second please.

मैं विधान सभा की कार्यवाही कल दिनांक 5-10-78 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही म.प. 5.00 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 5 अक्टूबर, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित हुई।)

102

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 का विवरण)

क्रमांक	दिनांक	राशि	विवरण
1.	20-7-76	100-00	श्री जगदीश सैनी तत्कालीन अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से सन्देश वाहक
2.	2-8-76	250-00	श्री रामअवतार गुप्ता, भूतपूर्व कनिष्ठ
3.	11-8-76	200-00	लिपिक नगरपालिका, राजगढ द्वारा
4.	18-8-76	200-00	पोस्ट आफिस से निकाल कर लाया।
5.	25-9-76	1150-00	
6.	13-10-76	1100-00	
7.	10-11-76	150-00	
8.	12-11-76	350-00	
	योग..	3500-00	

जी पी ओ 859-12-57-700 बी के एस आर.पी.फार्म नं.63

राजस्थान पुलिस

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. पु. रे.) नं. 26

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्व दफा 145 जा. फौ. थाने पर चेक होती है)

थाना राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान

जुर्म नं. (सुर्खी में) 100 तारीख और वक्त वकुआ 20-7 76 से 12-11-76
9-11-76 से 7-2-77 तक

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	मय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से

तारीख 1–10–78 समय 12–30 ए. एम. रपट नं. 956	नगरपालिका, राजगढ़ कस्बा द्वारा डाक के कर्मचारियों द्वारा पी. ओ. राजगढ़ से बजानिब उत्तर पश्चिम व फासला 2 फर्लांग दूरी

नाम व नम्बर हल्का	हल्के में वकुआ अन्दर साल नं.

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सुकूनत मुलजिमान (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफतीश जो नतीजा अमन में लाई गई मुकद्दमा और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो
श्री शम्भू दयाल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, राजगढ़ (ई. ओ.)		नगर पालिका कर्मचारियों की प्राविडेन्ट फण्ड की रकम को पास बुकों में से फर्जी तरीके से सरकारी रकम को उठाया गया है जुर्म दफा 409 आई. पी.सी.	रिपोर्ट तहरीरी प्राप्त होने पर चोरी मुकदमा कायम कर तफतीश शुरू की गयी

दस्तखत ह./मुरारी ए.एस.आई., एस.एच.ओ.पी.एस, राजगढ़ ओहदा

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पृश्त पर)

कार्यालय नगरपालिका, राजगढ़ (अलवर) संख्या न.पा. रा. 78–79 जन/1516 दिनांक 30–9–78 श्रीमान् भार साधक पदाधिकारी, राजगढ़, अलवर श्रीमान् जी नगरपालिका राजगढ़ के कर्मचारियों की प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि डाकघर, राजगढ़ में जमा रहती है और सम्बन्धित कर्मचारियों के पृथक्-पृथक् पास बुक व खाते होते हैं इसके अलावा एक जनरल पास बुक और है जिसका खाता नम्बर 11192 है। नगर पालिका के कर्मचारी श्री प्रभूदयाल शर्मा, श्री चिरंजी लाल वल्द परस्या, श्री सीत्या, श्री श्रीनारायण गुप्ता, श्री सोना, श्रीमति नारायणी एवं श्री भोरी लाल के प्रोविडेन्ट फण्ड खातों में से भी रुपया 920/– व जनरल पास बुक में से रुपया 3500/– इस प्रकार कुल रुपया 4420/ फर्जी तरीके से गबन कर लिये गये हैं जिसकी शिकायत होने पर विभागीय जांच हेतु

(104)

श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजगढ़ ने श्री कमिश्नर साहब नगरपरिषद, अलवर को नियुक्त किया था इसी दौरान श्रीमान् उपनिदेशक महोदय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 29-9-78 द्वारा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये हैं अतः इस सम्बन्ध की रिपोर्ट दर्ज की जाकर उचित कानूनी कार्यवाही की जाये। ह./- शिम्भू दयाल 30-9-78 अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़, अलवर पी. एस. राजगढ़ आज दिनांक 30-9-78 को यह रिपोर्ट श्री अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका ने पेश की ह./- भूरसिंह एच.सी. अधिशासी अधिकारी नगरपालिका राजगढ़, मूल रिपोर्ट वापस लोटाकर लेख है कि मजमून रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि कर्मचारियों की पास बुक की रकम बैंक से अथवा नगरपालिका से गबन हुई है और किन अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही की जाती रही है इसके अलावा सत्र 77-78 में अगर नगरपालिका का कोई ऑडिट हुआ अथवा नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा कमिश्नर महोदय, अलवर को जांच हेतु नियुक्त कर रखा है। क्या जांच की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी ताकि जांच से पूर्व ही मुकदमा दर्ज किस आधार पर किया जावे। विस्तृत रिपोर्ट भेजी जावे ह./- मुरारी ए.एस.आई., एस.एच.ओ.पी.एस., राजगढ़ 30-9-78:-6 पी.एम. वाके द्वारा जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है उसकी टिप्पणी निम्न प्रकार है:-मूल रिपोर्ट इस बात से स्पष्ट है कि यह राशि डाकघर, राजगढ़ में जमा रहती है और वहीं से इसका गलत तरीके से विड्रो करके गबन किया गया है। रकम विड्रोल जो कर्मचारियों के निजी खातों में से की गई है इन विड्रोल फार्मस् के ऊपर श्री रामअवतार गुप्ता भू.पू. कनिष्ट लिपिक नगर पालिका, राजगढ (संदेशवाहक) के हस्ताक्षर हैं। जो उसने स्वीकार किया है और इसी प्रकार श्री रामअवतार द्वारा जनरल पास बुक में से दिनांक 20-7-76 से 12-11-76 तक कुल आठ दफा मे 3500/- रुपया निकाला गया है तथा कर्मचारियों के निजी खातों में से दिनांक 9-11-76 से 7-5-77 तक कुल 13 दफा में 920/- रुपये निकाला गया है, ऑडिट हो चुका है जांच की कार्यवाही पेंडिंग है। इसी दौरान दिनांक 29-9-78 को श्रीमान् उप निदेशक महोदय स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार, जयपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये हैं इसलिए यह रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है ह./- शिम्भू दयाल जिन्दल 30-9-78 ई. ओ. नगरपालिका, राजगढ़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट मय स्पष्टीकरण श्री शिम्भू दयाल जिन्दल, ई. ओ., नगर पालिका, राजगढ़ में हाजिर नामा होकर पेश जिसकी हरफ ब हरफ नकल की गई, पढकर सुनाई गयी होना तसलीम किया, मजमून रिपोर्ट से इतना स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से गबन हुआ मजीद दरियाफत पर बताया कि रामावतार कनिष्ठ लिपिक द्वारा समय समय पर डाकघर से भिन्न-भिन्न कर्मचारियों की प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम विड्रोल फार्म भर कर पैसे निकाले हैं मगर उस रकम का नगरपालिका की कैश बुक में इन्द्राज नहीं कर रखा है और न ही

कर्मचारी को भुगतान की रसीद का वाऊचर ही प्राप्त हुआ है। रकम व कर्मचारियों की वस्तुत: जानकारी पेश कर देंगे। मजीद दरियाफ्त से मामला सरेदस्त धारा 409 आई. पी. सी. का वकू में होना पाया जाता है। अत: मुकदमा नं. 100 बदफा मजकूर कायम किया जाकर मन ए. एस. आई. मुरारी लाल एस. एच. ओ. थाना मशरूफे तफ्तीश हुआ। प्रतियां नियमानुसार प्रेषित होंगी। एक प्रति अभियोगी को दी गई।

ह/-
शिम्भू दयाल जिन्दल, ई. ओ.
1-10-78

ह/-
मुरारी लाल, ए. एस. आई.
थाना राजगढ़
1-10-78 समय 12.30 ए. एम.

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ 20 (   ) डी एल बी/78 दिनांक

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 290 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नगरपालिका राजगढ़ में गबन सम्बन्धित मामलों की जांच हेतु श्री दिलमोहन माथुर, लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग को अधिकृत करती है। उक्त अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट एक माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

अपर सचिव

क्रमांक एफ 20 (   ) डी एल बी । 78 दिनांक 30-9-78

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1—जिलाधीश, अलवर।

2—श्री दिलमोहन माथुर, लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग।

3—प्रशासक, नगरपालिका राजगढ़, (अलवर)

4—अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ के पास भेज कर लेख है कि उप-जिलाधीश, राजगढ़ से उक्त जांच में पूर्ण सहयोग करें।

अपर सचिव

Page No 106

(106)

राजस्थान सरकार

स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

क्रमांक डी. एल. बी. । 78 । 4292　　　　　　दिनांक 29-9-78

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका राजगढ़ (अलवर)

विषय:—नगरपालिका राजगढ़ के कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड की पास-बुकों से अनियमित रूप से राशि निकालने के सम्बन्ध में ।

क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि आपकी नगरपालिका में पालिका के कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित राशि जो डाकखाने में है उसे अवैध रूप से निकाली गई है जो कानूनी जुर्म है । अतः अविलम्ब आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करावें एवं समय-समय पर अनुसंधान के स्तर से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

उप निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग ।

परिशिष्ट-- 2

(समयाभाव के कारण न पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य को अन्य प्रान्तों से मिलने वाली बिजली

3. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)–क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य को बिजली किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी मिलती है ?

(2) किन-किन साधनों से कितनी कितनी बिजली कब-कब निकट भविष्य में राज्य को मिलने की उम्मीद है ?

उत्तर

1. आजकल राज्य को विभिन्न स्रोतों से कुल 115 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध हो रही है :—

1–चम्बल	23 लाख यूनिट
2–सतपुड़ा	16 लाख यूनिट
3–भाखरा	32 लाख यूनिट
4–देहर	14 लाख यूनिट
5–पोंग	15 लाख यूनिट
6–राजस्थान अणु शक्ति गृह	15 लाख यूनिट

2. निकट भविष्य में आगामी तीन महीनों में अर्थात् अक्टूबर, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक भिन्न भिन्न स्रोतों से नीचे लिखे अनुसार बिजली उपलब्ध होने की आशा है :—

(यूनिट लाखों में)

	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1–चम्बल	26	26	26
2–सतपुड़ा	16	16	16
3–भाखरा	30	30	30
4–देहर	13	13	13
5–पोंग	14	18	20
6–राजस्थान अणु शक्ति गृह	18	25	30
योग (1 से 6 तक)	117	128	135

(108)

ग्राम मनानी (मकराना) की सुप्यार कंवर की हत्या का मामला

4. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि सुप्यार कंवर पत्नी मरहूम राजपूत मनानी ग्राम (मकराना) ने अपने पति की हत्या की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की और किन किन व्यक्तियों को जानकारी के लिए तलब किया गया ।

उत्तर

जी हां । पुलिस ने धारा 174 जा. फौ. के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ कर सर्व श्री (1) भंवरलाल (2) खींवसिंह (3) गणपत (4) भंवर लाल (5) मुकनिया (6) हीरा राम (7) किशनसिंह (8) लालसिंह (9) भूरा राम (10) सुरजा राम (11) शिम्भू सिंह (12) बन्सी (13) प्रभू (14) बन्ना (15) मुप. सूरजकंवर (16) भंवरसिंह (17) अगर सिंह (18) भंवर सिंह पुत्र नन्द सिंह (19) उम्मेद सिंह आदि से पूछ-ताछ की है ।

सरकारी विभागों के सेवा नियम

5. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में ऐसे कितने सरकारी विभाग हैं जिनके सेवा नियम अभी तक बने हुए नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन विभागों में सेवा नियम अभी तक नहीं बनाने के क्या कारण हैं और अब यह कब तक बना दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) 19 सेवाओं के सेवा नियम अभी नहीं बने हैं । इनकी सूची संलग्न है ।

(2) सेवा नियम विभाग की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग, विधि विभाग, वित्त विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय से बनाए जाते हैं । इस प्रक्रिया में समय लग जाता है । शेष रहे सेवा नियमों को बनाने की प्रक्रिया जारी है । ये नियम यथासंभव शीघ्र प्रख्यापित कर दिये जावेंगे ।

परिशिष्ट 'क'

क्रम सं.	विभाग का नाम	सेवा
1.	मूल्यांकन संगठन	राज्य सेवा
2.	जिला गजेटियर	"
3.	विधि (लीगल सर्विस)	"
4.	राजकीय उपक्रम	"
5.	पुलिस (फारेन्सिक साइंस)	"
6.	यातायात	"

क्रम सं.	विभाग का नाम	सेवा
8.	श्री हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान	राज्य सेवा
9.	विधि रचना संगठन (सचिवालय)	"
10.	राजस्व (बन्दोबस्त)	अधीनस्थ सेवा
11.	पुलिस (फोरेन्सिक साइंस)	"
12.	मोटर गैराज	"
13.	गृह रक्षक एवम् नागरिक सुरक्षा	"
14.	परिधिगृह (सर्किट हाऊस)	"
15.	श्रम तथा रोजगार (1) श्रम कल्याण	"
	(2) इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स	"
	(3) रोजगार	"
16.	शिक्षा (कालेजिएट ब्रांच)	"
17.	शिक्षा (1) पुरातत्व एवम् संग्रहालय	"
	(2) प्राच्य एवम् अनुसंधान	"
18.	श्री हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान	"
19.	भाषा विभाग।	"

राजस्थान नहर को पूरा करने हेतु ईरान से आर्थिक मदद

6. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए ईरान सरकार से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद ली जा रही है ? यदि हां, तो कितनी और किन शर्तों पर ?

(2) क्या ईरान के शाह को पिछले वर्ष राजस्थान कैनाल का हवाई भ्रमण करवाया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या ईरान के शाह के साथ भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई उपरोक्त उद्देश्य के लिए आये थे ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में ईरान सरकार से भारत सरकार के स्तर पर वार्ता हो रही है।

(2) भारत सरकार द्वारा ईरान के शाह को राजस्थान नहर क्षेत्र का दिनांक 4-2-78 को हवाई भ्रमण करवाया गया था।

(3) ईरान के शाह के साथ राजस्थान कैनाल के हवाई भ्रमण के समय भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई भी थे। भ्रमण के उद्देश्य के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

महाराणा भोपाल महाविद्यालय के नेहरू छात्रावास में हरिजन छात्र की पिटाई का मामला

7. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर स्थित महाराणा भोपाल महाविद्यालय के

(श्री गोपाल पचेरवाल)
नेहरू छात्रावास में दिनांक 22 व 23 अप्रेल, 1978 की मध्य रात्रि को हरिजन छात्र अम्बालाल पुत्र नाथूलाल द्वारा घड़े में से पानी पी लेने के कारण सवर्ण छात्रों द्वारा मारपीट की गई ? यदि हां, तो मारपीट करने वाले छात्रों के नाम क्या थे ?

(2) क्या उक्त मारपीट की घटना के बाद हरिजन छात्र जिलाधीश, उदयपुर से मिले ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी ? यदि हां, तो मारपीट करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या माननीय मुख्य मंत्री को भी हरिजन छात्रों ने कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी के आदेश पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। मारपीट करने वाले छात्रों के नाम 1. श्री चंदन सिंह, 2. श्री अरिहन्त करणसिंह 3. श्री महेन्द्र सिंह 4. श्री नरेन्द्रसिंह व 5. श्री दिलीपसिंह थे।

(2) जी हां। घटना के सम्बन्ध में थाना भूपालपुरा पर अपराध संख्या 47 दिनांक 23–4–78 अन्तर्गत धारा 4, 5–बी व 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 5 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 7–5–78 को चालान किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

(3) माननीय मुख्य मंत्री जी के उदयपुर भ्रमण के दौरान हरिजन छात्रों ने दिनांक 24–4–78 को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पर मुख्य मंत्री जी ने कोई लिखित आदेश न देकर मौखिक आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को तत्काल कार्यवाही के दिये थे। अतः आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता। पुलिस ने इन आदेशों से पूर्व ही अभियोग दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी।

नोहर के थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही

8. श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1978 को नोहर के थाना प्रभारी, गोपाल सिंह एवं हवलदार श्री हकीम अली ने ग्राम लेलाना के एक आदिवासी परिवार की पुत्री तथा पुत्रवधु के साथ शराब के नशे में बलात्कार करने की चेष्टा की तथा इनके गुप्तांगों में मिर्च मिला पेट्रोल डाला गया तथा अपराध से बचने के लिए उनके लिए चोरी का बहाना बनाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त खबर दैनिक अभ्युदय, जयपुर में दिनांक 3 मई, 1978 बुधवार को प्रकाशित हुई थी ? यदि हां, तो जनता के जानमाल की रक्षा की ठेकेदार पुलिस ने इस प्रकार अमानुषिक कृत्य करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस समाचार पर जांच राज्य सरकार ने कराई तो तथ्य गलत पाये गये।

समाचार पत्रों को श्रेणीबद्ध करने हेतु समिति का गठन

9. श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभिन्न समाचार पत्रों को विभिन्न श्रेणियों में तय करने के लिए राज्य सरकार ने कितने सदस्यों की समिति बनाई है ?

(2) इस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ? इनकी क्या क्या योग्यता हैं ? इस समिति के सदस्य होने के लिए विभागीय मापदण्ड क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य से अधिस्वीकृत पत्रकार होने के लिए स्नातक होने की कोई शर्त नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अधिस्वीकृत पत्रकार होने की एक शर्त यह भी है कि वे पूर्णकालिक पत्रकार होने चाहिए ? यदि हां, तो इनमें पेंशनयापता राज्य कर्मचारी को किस प्रकार पूर्णकालिक माना जाता है ?

(5) 1 जुलाई, 1977 से 30-9-78 के दरमियान कितनी राशि के विज्ञापन दैनिक और साप्ताहिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये। उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समाचार पत्रों के अनुमोदन एवं वर्गीकरण की सलाह के लिये 10 सदस्यों की एक समिति गठित हुई है।

(2) सदस्यों की सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी गई है। उनकी योग्यता उनके नामों के आगे अंकित है। समिति में सदस्यों के मनोनयन के लिये विभागीय मापदण्ड का नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं।

(3) जी हां। अधिस्वीकृत पत्रकारों की सूची (परिशिष्ट 'ख') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। राज्य प्रेस अधिस्वीकरण नियमों में पेन्शनयापता राज्य कर्मचारियों के लिये पृथक से कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसे जो भी व्यक्ति सक्रिय पत्रकार हैं और जो पूर्ण रूप से इस कार्य को अब करते हैं उन्हें पूर्णकालिक माना गया है।

(5) 1 जुलाई, 1977 से 31-8-78 के दरमियान दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को जन सम्पर्क विभाग द्वारा जो विज्ञापन दिये गये उसकी सूची (परिशिष्ट 'ग') सदन की मेज पर रखी जा रही है। समयाभाव के कारण 30-9-1978 तक की सूचना देना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–'क'

वर्गीकरण सलाहकार समिति के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता परियापन प्रपत्र के अनुसार

1. श्री काशीनाथ गुप्ता, अध्यक्ष राजस्थान पत्रकार परिषद	हाई स्कूल तथा हिन्दी विशारद

2. श्री पदम मेहता, सम्पादक जलते दीप, दैनिक, जोधपुर	हायर सैकेण्डरी
3. श्री चन्द्रेश व्यास, सम्पादक जय राजस्थान, दैनिक, उदयपुर	सीनियर कैम्ब्रिज
4. श्री भंवर शर्मा, सम्पादक अमर राजस्थान, दैनिक, जयपुर	हिन्दी अंग्रेजी का ज्ञान
5. श्री मदन मदिर, सम्पादक दकाल साप्ताहिक, बूंदी	हाई स्कूल
6. श्री नन्दकिशोर आचार्य, सम्पादक मरुदीप, मासिक, बीकानेर	एम. ए.
7. श्री प्रकाश जैन, सम्पादक लहर, मासिक अजमेर	प्रभाकर
8. श्री माधव शर्मा, सम्पादक लोक मंच समाचार, पाक्षिक, चूरू	हाई स्कूल

निदेशक, जन सम्पर्क एवं संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क इस समिति के पदेन क्रमश: अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव हैं।

परिशिष्ट—'ख'

दैनिक पत्र/समाचार समितियां

राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत संवाददाताओं/सम्पादकों की सूची

क्र.सं. 1	नाम 2	समाचार पत्र/समितियों के नाम 3
1.	श्री सेन गुप्ता	पी. टी. आई.
2.	श्री मोती चन्द कोचर	पी. टी. आई.
3.	श्री श्याम सुन्दर आचार्य	हिन्दुस्तान समाचार
4.	श्री सीताराम झालानी	हिन्दुस्तान समाचार
5.	श्री प्रवीण चन्द्र छाबड़ा	समाचार भारती
6.	श्री सुभाष मोदी	राजस्थान समाचार प्रचार समिति
7.	श्री ईश्वर मल बाफना	राजस्थान समाचार प्रचार समिति
8.	श्री भानचन्द्र वर्मा	इन्फा
9.	श्री एस. पी. जैन	आकाशवाणी
10.	श्री छत्रपति टुंकलिया	आकाशवाणी
11.	श्री भंवर सुराणा	हिन्दुस्तान दैनिक, दिल्ली
12.	श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी	नवभारत टाइम्स, दिल्ली
13.	श्री कैलाश चन्द्र वेद	वीर अर्जुन, दिल्ली

1	2	3
14.	श्री आर. सी. माथुर	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
15.	श्री किरीट भौमिक	टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली
16.	श्री के.सी. सोंधी	इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली
17.	श्री खालीद वशीउल्ला	नेशनल हैराल्ड, दिल्ली
18.	श्री अतुल कौशिश	स्टेट्समैन, दिल्ली
19.	श्री दुश्यन्त ओझा	जनयुग, दिल्ली
20.	श्री सुधान्शु मिश्र	पैट्रियट, दिल्ली
21.	श्री अरुण कुमार	यू. एन. आई.
22.	श्रीमती वसन्थ अरुणकुमार	यू. एन. आई.
23.	श्री अमर हंस	मिलाप (उर्दू), दिल्ली
24.	श्री एम. पी. जैन	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता
25.	श्री पी. के गांगुली	हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, कलकत्ता
26.	श्री हीरेन मुकर्जी	विशाल आन्ध्र, कलकत्ता
27.	श्री आर. के. पोद्दार	नया प्रभात, कलकत्ता
28.	श्री मिलाप चन्द्र डंडिया	इकोनोमिक टाइम्स, बम्बई
29.	श्री एल. आर. पंढ़ारकर	महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई
30.	श्री कानमल ढढ्ढा	जन्म भूमि, बम्बई
31.	श्री सी. वी. वी. राघवन	हिन्दु (मद्रास)
32.	श्री वी. वी. काले	जागरण, इन्दौर
33.	श्री डी. एस. मालिजा	आज, बनारस
34.	श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट	स्वतन्त्र भारत, लखनऊ
35.	श्री सुधेन्दु पटेल	सन्मार्ग, बनारस
36.	श्री आर. एस. मोर	रूपलेखा, कलकत्ता
37.	श्री राजेश शुक्ल	स्वदेश, इन्दौर
38.	श्री टी. एन. कोल	टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली
39.	श्री विश्वास कुमार	राजस्थान पत्रिका, जयपुर
40.	श्री सदाशिव	राजस्थान पत्रिका, जयपुर
41.	श्री राजेश शर्मा	राष्ट्रदूत, जयपुर व कोटा
42.	श्री मोहनलाल गुप्ता	राष्ट्रदूत, जयपुर
43.	श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी	नवज्योति, जयपुर
44.	श्री महेशचन्द्र शर्मा	नवज्योति, जयपुर
45.	श्री भंवर शर्मा	अमर राजस्थान, जयपुर
46.	श्री राधेश्याम शर्मा	अमर राजस्थान, जयपुर
47.	श्री के. के. सौरभारती	अधिकार, जयपुर

1	2	3
48.	श्री विष्णु शर्मा अरूरोरा	अधिकार, जयपुर
49.	श्री राकेश प्रसून	कूक, जयपुर
50.	श्री महेश बाबू शर्मा	कूक, जयपुर
51.	श्री शरद देवड़ा	अणिमा, जयपुर
52.	श्री अशोक कुमार वर्यानी	हिन्दू (सिन्धी) (अजमेर) जयपुर
53.	श्री सत्यव्रत	तेज, जयपुर
54.	श्री रमेशचन्द्र बोहरा	जनगण, जयपुर
55.	श्री विश्वदेव शर्मा	न्याय, अजमेर
56.	श्री टीकमदास	भारत भूमि (सिन्धी) अजमेर
57.	श्री किशन वर्यानी	हिन्दू (सिन्धी) अजमेर
58.	श्री माणक चोपड़ा	जनगण, जोधपुर
59.	श्री पदम मेहता	जलते दीप, जोधपुर
60.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी, व्यास	तरूण राजस्थान, जोधपुर
61.	श्री चन्द्रेश व्यास	जय राजस्थान, उदयपुर
62.	श्री बृजेन्द्र रेही	समाचार भारती जयपुर
63.	श्री हरिस्वामी शिल्पी	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर
64.	श्री कमल नयन शर्मा	सीमा संदेश, गंगानगर
65.	श्री तेजनारायण शर्मा	तेज, गंगानगर
66.	श्री भंवर लाल शर्मा 'अटल'	जननायक, कोटा
67.	श्री ओम नारायण सक्सेना	धरती करे पुकार, कोटा
68.	श्री सीता शरण देवलिया	सोशलिस्ट समाचार, कोटा
69.	श्री आनन्द लक्ष्मण खांडेकर	राष्ट्रदूत, कोटा डिविजन के लिये
70.	श्री रामकुमार 'राम'	राजस्थान टाइम्स, अलवर
71.	श्री शिवकुमार त्रिवेदी	लोकजीवन, भीलवाड़ा
72.	श्री प्रताप सिंह	उदय राजस्थान, जोधपुर
73.	श्री अरूण बृजवासी	अन्तरात्मा संदेश, जयपुर
74.	श्री रामावतार शर्मा	जयपुर रिपोर्टर, जयपुर
75.	श्री गंगादास आचार्य	प्रेस फोटो ग्राफर, राजस्थान पत्रिका
76.	श्री राजेन्द्रबोड़ा	सदस्य राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति, जयपुर
77.	श्री गोवर्धन हेडाऊ	सदस्य राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति, जयपुर
78.	श्री महेश सिन्हा	सहायक न्यूजरील अधिकारी, जयपुर
79.	श्री एस. प्रकाश	टी. वी. कैमरा मैन, जयपुर
80.	श्री भूपेन्द्र भंडारी	प्रतिनिधि, जोधपुर
81.	श्री हुकम चन्द जैन	देश की धरती, कोटा
82.	श्री केदारनाथ व्यास	राजस्थान संवाद, बीकानेर

1	2	3
83.	श्री प्रदुम्न कुमार भाटिया	सीमावर्ती, गंगानगर
84.	श्री बेदीसिंह चौहान	उदयभानु (धौलपुर) भरतपुर

जिलों के अधिस्वीकृत सम्पादक/संवाददाताओं की सूची

जयपुर

1.	श्री नारायण चतुर्वेदी	अमरज्योति सा.
2.	श्री किस्मतराय छुगानी	जनता की ललकार, सा.
3.	श्री वसुदेव विजयवर्गीय	जागरण पथ, सा.
4.	श्री श्याम आर्य आजाद	आजाद निशान, सा.
5.	श्री एफ. सी. जैन	पूर्वोदय, सा.
6.	श्री सुरेश चन्द्र मित्तल	राजस्थान केहरी, सा.
7.	श्री हरिप्रसाद यादव	राजस्थान सा.
8.	श्री राजेन्द्र कुमार अजय	हमारा वतन, सा.
9.	श्री सुभाष पुरोहित	ज्वाला, सा.
10.	श्री चन्द्रकुमार शर्मा	चहक, सा.
11.	श्री गिरिराज जैमन	पाशुपत, सा.
12.	श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्थान लीडर, सा.
13.	श्री के. एम. नारंग	राजस्थान क्रॉनिकल, सा.
14.	श्री सूरजमल रोज	हलधर की ललकार, सा.
15.	श्री सुरेशकुमार शर्मा	यादगार, सा.
16.	सुश्री अरुणा देवी गौड़	बेधड़क आवाज, सा.
17.	श्री नन्दकुमार शर्मा	जनपद, सा.
18.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	भ्रष्टाचार के स्तम्भ, सा.
19.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	पहला राजस्थान, सा.
20.	श्री अजीतसिंह गुलेरी	चिन्मय किरण, सा.
21.	श्री फतेहचन्द्र अगनानी	सच्ची कलम, सा.
22.	श्री इफ्तेखार उद्दीन कुरेशी	किरदार, सा.
23.	श्री सोहनलाल तलवार	घुमक्कड़, सा.
24.	श्री ओम सैनी	खबरनवीस, सा.
25.	श्री किशनसिंह आजाद	आजाद संदेश, सा.
26.	श्रीमती कमला जैन	श्रेयान्स, सा.
27.	श्री राधेश्याम शर्मा	विश्वमान, सा.
28.	श्री सरदारमल जैन	ग्राम राज, सा.
29.	श्री बसन्तीलाल जाजान	रतनकला, सा.

1	2	3
30.	श्री धर्मेन्द्र कुमार स्वामी	नवयत्न, सा.
31.	श्री मालीराम साह	वीरों की पुकार, सा.
32.	श्री महेन्द्र के. शर्मा	श्रमशक्ति, सा.
33.	श्री पी.सी. बंसल	शान्तिदूत, सा.
34.	श्री राधेश्याम शर्मा	तीखातीर, सा.
35.	श्री एम.एस. भटनागर	सीधा रास्ता, सा.
36.	श्री बाबा विष्णुदत्त शर्मा	गांधी के सपने, सा.
37.	श्री प्रामन्द शर्मा	जयपुर क्रानिकल, सा.
38.	श्री तोलाराम शर्मा	अन्तस चेतन, सा.
39.	श्री नवलकिशोर शर्मा	सहकार दर्शक, सा.
40.	श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी	लोक शिक्षक, ा.
41.	श्रीमती दौलतकुंवर पांडे	कर्मज्योति, पा.
42.	श्री ज्ञान सी. चोरडिया	अन्तर्मन, पा.
43.	श्री ओमप्रकाश गोयल	युगदूत सा.
44.	श्रीमती सुशीला शर्मा	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, सा.
45.	श्री संतोष कुमार तिवाड़ी	उद्‌बोधन, सा.
46	ी यासिनखान डायर	क्रांतिशील, सा.
47.	श्री महेशचन्द्र	गुप्तदूत, सा.
48.	श्री गिरिराज प्रसाद सैंकड़ा	उलाहना, सा. (ोजगढ़)
49.	श्री सूर्यप्रकाश पापा	संवा. तरुण राजस्थान, दैनिक (जोधपुर)
50	श्री बृजभूषण शर्मा	संवा. सीमा संदेश दैनिक (श्रीगंगानगर)
51.	श्री बृहस्पति शर्मा	संवा. न्याय दैनिक (अजमेर)
52.	श्री वशिष्ठ कुमार शर्मा	संवा. लोकजीवन दैनिक (भीलवाड़ा)
53.	श्री हनुमान शर्मा	संवा. जननायक दैनिक (कोटा)
54.	श्री कालीचरण पांडे	भू.पू.सं. राष्ट्रदूत (जयपुर)
55.	श्री राधेश्याम शर्मा	क्रोध, सा.
56.	श्री श्रीगोपाल पुरोहित	ईतवारी पत्रिका, सा.

जोधपुर

1.	श्री गोविन्दसिंह लोढा	ललकार, सा.
2.	श्री श्रीपाल सिंघी	अभयदूत, सा.
3.	श्री श्यामसुन्दर व्यास	लोकजीवन, सा.
4.	श्री कस्तूरचन्द पुरोहित	सीमा सपूत, सा. (फलौदी)
5.	श्री रोशनलाल अग्रवाल	हिन्दू संदेश, सा.

1	2	3
6.	श्री शांतिलाल सिंघी	कन्ट्रोलर, सा.
7.	श्री शांतिलाल थानवी	जनपथ, सा. (फलोदी)
8.	श्री विजयकृष्ण शर्मा	प्रजासेवक, सा.
9.	श्री राजकुमारसिंह भंडारी	संवा. प्रतिनिधि, दैनिक (जोधपुर)
10.	श्री बजरंग शेखावत	संवा. दैनिक नवज्योति (जयपुर)
11.	श्री एस.एम. बसंल	ब्यूरो चीफ, समाचार (दिल्ली)
12.	श्री मोहनलाल जैन	संवा. आकाशवाणी, जोधपुर
13.	श्री मदन मोहन	रेलदूत, पाक्षिक
	कोटा	
1.	श्री रूपकिशोर सिंह राजावत	किसान संदेश, सा.
2.	श्री भंवरसिंह सोलंकी	युगदर्पण, सा.
3.	श्री मुनीश जोशी	संवा. यू. एन. आई.
4.	श्री रामा नन्द पाण्डे	संवा. न्याय दैनिक (अजमेर)
5.	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	एकात्मक, सा.
6.	श्री नरेन्द्रकुमार भार्गव	ग्रामीण, पाक्षिक
7.	श्री डी. एम. बांठिया	संवा. इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक (दिल्ली)
8.	श्री चन्द्रवीर सिंह राजावत	चम्बल, सा.
9.	श्री नरेश चन्द्र विजयवर्गीय	तकनीकी समाचार, सा.
10.	श्री जयनारायण सक्सेना	मजदूर चेतना, सा.
11.	श्री इन्द्र नारायण सक्सेना	जागृति सा.
	उदयपुर	
1.	श्री कनक मधुकर	नवजीवन, सा.
2.	श्री कुंजबिहारी लाल आचार्य	पुकार, सा.
3.	श्री कृष्ण मोहन खाबिया	उदयपुर एक्सप्रेस दै.
4.	श्री शांतिलाल जैन	उदयपुर, सा.
5.	श्री गिरधारी लाल शर्मा	अरावली, सा.
6.	श्री देवीलाल पालीवाल	जनमंगल, सा.
7.	श्री अमरसिंह कोटा	हमारी मातृभूमि, सा.
8.	श्री कांतिलाल बाहेती	सलूम्बर सदेश, सा. (सलूम्बर)
9.	श्री भूपेन्द्रसिंह कोठारी	युगदृष्टा, सा.
10.	श्री मैरूलाल मेघवाल	दृष्टिकोण, पाक्षिक
11.	श्री संजय गोटवाल	संवा. दैनिक न्याय (अजमेर)
12.	श्री बद्रीनारायण हरलालका	संवा. दैनिक नवज्योति (अजमेर)

(118)

1	2	3

चित्तौड़गढ़

1.	श्री विजय कुमार खूंटिया	जंगजू, पाक्षिक
2.	श्री चांदमल कानोड़ा	जयमेवाड़, सा,
3.	श्री सशर्देन्दु सुधाकर	ललकार, सा.
4.	श्री जयशिव व्यास 'श्रीमाली'	संवा. दैनिक जननायक (कोटा)
5.	श्री रघुवीर जैन	संवा. दैनिक नवज्योति (अजमेर)

बीकानेर

1.	श्री अरुण सक्सेना	सेनानी, सा.
2.	श्री अम्बालाल माथुर	लोकमत, सा.
3.	श्री शेखर सक्सेना	गणराज्य, सा.
4.	श्री शुभू पटवा	सप्ताहांत, सा.
5.	श्री अभय प्रकाश भटनागर	टाइम्स आफ राजस्थान, सा.
6.	श्री भंवरलाल पुरोहित	महाज्ञान, सा.
7.	श्री मांगीलाल माथुर	वर्तमान, सा.
8.	श्री जे. एल. आचार्य	मठाधीश, सा.
9.	श्री श्रीलाल दम्माणी	बीकाणा संदेश, सा.
10.	श्री मक्खन लाल जोशी	मरुदीप, सा.
11.	श्री मोहन शर्मा	क्रान्तिबिगुल, सा.
12.	श्री बृजरतन व्यास	राजस्थान स्टेण्डर्ड, पाक्षिक
13.	श्री केशवदास हर्ष	कोहिनूर, पाक्षिक
14.	श्री भंवरलाल वर्मा	कामधेनु, पाक्षिक
15.	श्री रमेश महर्षि	उत्थान चक्र, सा.
16.	श्री भवानी शंकर शर्मा	संवा. राजस्थान पत्रिका (जयपुर)
17.	श्री देवकिशन रा. पुरोहित	संव. दैनिक नवज्योति (जयपुर)
18.	श्री देवी सिंह बड़गुजर	संवा. जलतेदीप, दैनिक (जोधपुर)
19.	श्री लालचन्द्र मलहोत्रा	संवा. प्रतिनिधि, दैनिक (जोधपुर)

अजमेर

1.	श्री नथुरमल ननूमल	वीरविजय, सा.
2.	श्री राजेन्द्र पाण्ड्या	आजाद, सा.
3.	श्री किशन जे. मोटवानी	हिन्दवासी, सा.
4.	श्री नानकराम ईसरानी	हिन्दूभूमि, सा.
5.	श्री अभयसिंह बींजावत	आदिवासी जागृति, सा.

1	2	3
6.	श्री भंवर शर्मा	डिक्टेटर, सा. (ब्यावर)
7.	श्री सोमराही	रेल्वे मेन, सा.
8.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता	भमक, पाक्षिक
9.	श्री डी.बी. चौधरी	संवा. दैनिक नवज्योति (अजमेर)
10.	श्री जे. पी. गुप्ता	संवा. टाइम्स आफ इण्डिया (दिल्ली)
	गंगानगर	
1.	श्री आर.के.जैन	गंगानगर ज्योति, सा.
2.	श्री कमल नागपाल	शहजादा, सा.
3.	श्री महेश कुमार शर्मा	संवा. सीमा सन्देश (गंगानगर)
4.	श्री रामधन शर्मा	गंगानगर टाइम्स, सा.
5.	श्री आनन्दपाल	शोषित समाज, पा.
6.	श्री मुरलीधर उपाध्याय	हिन्द ज्योति, सा.
7	श्री करणीसीन सिंह	मॉरञ्जन, सा.
8.	श्री सतीशचन्द्र चौधरी	जनसम्मत, सा.
9.	श्री परमेश्वर शर्मा	संवा. वीर प्रताप (जालंधर)
10.	श्री राजेन्द्र सारस्वत	संवा. नवज्योति (जयपुर)
11.	श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा	संवा. तेज (गंगानगर)
	सीकर	
1.	श्री मदनलाल अजमेरा	धूरी, सा.
2.	श्री गंगाप्रसाद शास्त्री	समाजदूत, सा. (रामगढ़)
3.	श्री प्यारेलाल माथुर	सूरत शब्द योग, सा.
4.	श्री केशरदेव शर्मा	सीकर संदेश, सा.
5.	श्री घासी राम शर्मा	मरूधरा, सा.
	झुन्झुनूं	
1.	श्री सांवरमल बासोतिया	चिट्ठी, सा. (नवलगढ़)
2.	श्री श्याम सुन्दर पोद्दार	झुन्झुनूं समाचार, सा.
3.	श्री भवानी बी.ए.	महाप्राण, पाक्षिक (चिड़ावा) (झुन्झुनूं)
	भीलवाड़ा	
1.	श्री श्याम जनवाड़ी	संवा. दैनिक राजस्थान पत्रिका (जयपुर)
2.	श्री रमेश चन्द्र मुक्त	झंझावत, सा.
3.	श्री बंशीलाल राठी	भीलवाड़ा संदेश, सा.
	सवाईमाधोपुर	
1.	श्री गोपाल विजय गीतेश	निराला राजस्थान, सा. (हिण्डौन)
2.	श्री जानकी लाल शर्मा	अमर इन्डिया, पा.

Page No 120

(120)

1	2	3
3.	श्री गजानन्द डेरोलिया	संवा. नवभारत टाइम्स (दिल्ली)
4.	श्री गिरिराज किशोर तिवाड़ी	संवा, राष्ट्रदूत (जयपुर)
5.	श्री नाथूलाल श्रीमाल	संवा. अधिकार (जयपुर)
6.	श्री कन्हैया लाल जांगीड़	तलहटी के अंचल से, सा.
7.	श्री सत्य नारायण जैन	बूंदी सन्देश, सा.
8.	श्री जानकी लाल शर्मा	अमर इन्डिया, पाक्षिक
9.	श्री शैलेन्द्र शर्मा	संवा. नवज्योति दैनिक (जयपुर)
	झालावाड़	
1.	श्री लालाराम आर्य	संजय, सा. (झालरापाटन)
2.	श्री सर्वेश्वर दत्त	संवा. राजस्थान पत्रिका (जयपुर)
3.	श्री छोटे लाल वर्मा	पसीना, सा.
	भरतपुर	
1.	श्री तुलसी राम मित्तल	आवाज, सा.
2.	श्री काशीनाथ गुप्ता	नवयुग संदेश, सा.
3.	श्री रामगोपाल विद्यार्थी	वीर सैनिक, सा.
4.	श्री जगतराम तरघोतरा	चौरासी खम्बा, सा. (कामां)
5.	श्री हरिद्वारी लाल शर्मा	संवा. अमर उजाला (आगरा) दैनिक
6.	श्री बृजकिशोर गुप्ता	लाल निशान, सा.
7.	श्री महेश कुमार भार्गव	धौलपुर गजट, सा.
8.	श्री महेन्द्र धीमा	संवा. उदयभानु (धौलपुर)
	चूरू	
1.	श्री बालमुकुन्द ओझा	संवा. राजस्थान पत्रिका (जयपुर)
2.	श्री सोमदेव शर्मा	युवक, सा.
3.	श्री आलोक प्रभू	न्यायतन्त्र, पाक्षिक
4.	श्री नन्दकिशोर अग्रवाल	विशाल मरूधर, पाक्षिक
5	श्री आत्माराम गुरू	चूरू केशरी, सा.
6.	श्री नथमल स्वामी	सरदारशहर टाइम्स, सा.
	सिरोही	
1.	श्री टी. आर. चौहान	संवा. राजस्थान पत्रिका (जयपुर)
2.	श्री जयन्ति लाल शाह	संवा. नवज्योति (जयपुर)
	बाड़मेर	
1.	श्री पन्ना लाल धवल	बाड़मेर टाइम्स सा.
2.	श्री मदनेश बाफना	सीमांत टाइम्स सा. (बालोतरा)

1	2	3
		बांसवाड़ा
1.	श्री भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी	धनुर्धर, सा.
2.	श्री कैलाश कौशल	संवा. जय राजस्थान (उदयपुर)
		डूंगरपुर
1.	श्री किशनलाल गर्ग	वागड़दूत, सा.
2.	श्री दौलतसिंह डगात	संवा. नवज्योति (अजमेर)
		टोंक
1.	श्री रामपाल शर्मा 'राकेट'	संवा. राजस्थान पत्रिका (जयपुर),
2.	श्री मलिक सिकन्दर खान	संवा. जननायक (कोटा)
		पाली
1.	श्री जीवराज रांका	हलकारा पा. (सादड़ी)
2.	श्री हिम्मतमालवीय	गोडवाड़ टाइम्स, सा. (रानी)
3.	श्री लीलाराम थावानी	संवा. नवज्योति (जयपुर)
4.	श्री एस. एन. बोड़ा	तूफान मेल सा.
		बूंदी
1.	श्री मिश्रीलाल सारस्वत	संवा. अधिकार (जयपुर)
2.	श्री घनश्याम लाडला	दकाल सा.
3.	श्री दिनेश दुबे	संवा. नवज्योति (जयपुर)
		जालौर
1.	श्री महावीर मल सोलंकी	सहुम्मत, सा.
		नागौर
1.	श्री श्याम सुन्दर व्यास	मजदूर ललकार, सा. (मारवाड मुण्डवा)
2.	श्री महावीर प्रसाद गहलोत	संवा. नवज्योति (जयपुर)
3.	श्री शंकरसिंह चौहान	संवा. जलते दीप (जोधपुर)
		जैसलमेर
1.	श्री राणमल माहेश्वरी	संवा. जनगण (जोधपुर)
		अलवर
1.	श्री ब्रह्मदेव शर्मा	हल्ला गुल्ला, पाक्षिक
2.	श्री रसिक बिहारी शर्मा	संवा. नवज्योति (जयपुर)
3.	श्री ओम प्रकाश धाटिया	जनता गजट सा.

(122)

1 जुलाई 77 से 31 अगस्त 78 के दरमियान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को उनके आगे उल्लेखित धनराशि का विज्ञापन दिया गया है :—

1. दैनिक समाचार पत्रों में	रुपया	20,85,927.98
2. साप्ताहिक पत्रों में	रुपया	5,08,828.67
	कुल योग	25,94,756.65

राज्य के सुपर स्केल व सलेक्शन स्केल के आई.ए.एस. अधिकारी

10. श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर)—क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने आई. ए. एस. अधिकारी हैं ? उनमें से कितने सुपर स्केल व कितने सलेक्शन स्केल में हैं ?

(2) राजस्थान स्थापना के दो वर्षों में यानी 1951 में इस वर्ग की अलग-अलग केडर में क्या संख्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि सुपर स्केल की पोस्टें उनके निश्चित समय की अवधि पूरी करने पर विशेष पोस्ट को सुपर स्केल की बनानी पड़ रही है ?

(4) क्या ऐसी पद्धति भारतीय पुलिस सर्विस एवं दीगर भारतीय सेवाओं में भी अपनाई गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के भारतीय प्रशासन सेवा केडर में कुल 174 अधिकारी हैं। इनमें से 41 सुपर टाइम स्केल व 14 सलेक्शन स्केल अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 1951 में आई.ए.एस. केडर में कुल 71 स्वीकृत पद थे। उस समय सुपर टाइम स्केल व सलेक्शन स्केल जैसी अलग-अलग वेतन शृंखला नहीं थी।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवाओं में रोस्टर प्रणाली की पालना

11. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)—क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकारी सेवाओं में राज्य सरकार द्वारा जो रोस्टर प्रणाली लागू की गई है उस प्रणाली का किन विभागों ने पालन किया है ? उससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

सरकारी सेवाओं में रोस्टर प्रणाली सभी विभागों पर लागू करने के राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं और राज्य सरकार को मिली जानकारी के अनुसार सभी विभाग रोस्टर प्रणाली का पालन कर रहे हैं।

रोस्टर प्रणाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पदों पर

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री) नियुक्ति/पदोन्नति की प्रणाली को सरल बनाने के लिए प्रचलित की गई है। अत: इसका लाभ तो आरक्षण नीति के परिपालन के अन्तर्गत ही आ जाता है।

अमृत कौर चिकित्सालय, ब्यावर के डाक्टर का मामला

12. मेजर श्री फतह सिंह (भीम)–क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अमृत कौर चिकित्सालय, ब्यावर के डा. एस.सी. जैन को रिश्वत लेते 25-3-78 को पकड़ लिया गया था ?

(2) क्या डा. जैन को सेवा से सस्पेंड किया गया है ?

(3) क्या डा. जैन का न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के चलने में अव्यवस्था

13. श्री मनोहर सिंह महता (माण्डलगढ़)–क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में रोडवेज की बसें चलाने से भयंकर अव्यवस्था फैली हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता पार्टी की सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ाने में रोडवेज का बहुत बड़ा हाथ है ?

(3) क्या यह सही है कि एक मोटर का मालिक भी कमा कर खाता है और व्यवस्थित ढंग से काम चलाता है पर रोडवेज घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो जब रोडवेज घाटे में चल रही है तो फिर इसे बन्द करके प्राइवेट बसेज को राज्य सरकार क्यों नहीं चलाने दे रही है ?

(4) राष्ट्रीय व्यापार के प्रति बजाय प्रेम और श्रद्धा के असन्तोष पैदा हो तथा राष्ट्रीयकरण के प्रति नफरत पैदा हो तो फिर क्या यह राष्ट्रीयकरण के हित में नहीं है कि रोडवेज को बन्द ही कर दिया जाय।

(5) अब तक जितने भी रूट नेशनलाईजेशन के अन्तर्गत लिये गये हैं उनमें जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक क्या राज्य सरकार किसी भी नये रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) निगम द्वारा यात्री परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के दायित्व निजी मोटर मालिकों के उद्देश्यों से भिन्न हैं। परिवहन निगम के घाटे में चलने के मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, उनके पुराने दावों का निपटारा, कल पुर्जों की कीमतों एवं संचालन खर्च आदि में वृद्धि है।

(4) निगम के कार्यकलापों में अधिक दक्षता एवं कर्मचारियों का आम जनता

(यातायात मंत्री)

के प्रति सद्व्यवहार रहे, यात्रियों को अधिकतम सुविधायें उपलब्ध कराई जावें इसके लिये प्रयास जारी है।

(5) निगम का प्रयास यही है कि उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ वर्तमान में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जावें।

राजस्थान नहर एवं लिफ्ट योजनाओं हेतु बजट प्रावधान

14. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष में आरम्भ हुआ था और अब तक नहर का कितना कार्य हो चुका है ?

(2) गत वित्तीय वर्ष में इस नहर के निर्माण के लिए कितनी राशि बजट में निर्धारित की गई थी तथा उसमें से वास्तविक व्यय कितना हुआ और कितनी लम्बी नहर का निर्माण हुआ ?

(3) राजस्थान नहर लिफ्ट योजनाएें पिछली सरकार ने स्वीकार की थीं उनकी अब क्या स्थिति है और अब उन पर कब कार्य आरम्भ हो रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में आरंभ हुआ था। प्रथम-चरण में 204 कि.मी. लम्बी 'राजस्थान फीडर' तथा 189 कि.मी. लम्बी 'राजस्थान मुख्य नहर' पूरी बनकर तैयार हो गई है। प्रथम-चरण में कुल 5.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वितरक प्रणाली बनती है जिसमें से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वितरक प्रणाली बनकर तैयार हो गई है।

(2) गत वर्ष 1977-78 में इस नहर के निर्माण के लिये बजट में 30 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से 29 करोड़ 93 लाख 9 हजार 84 रुपये की राशि व्यय हुई। गत वर्ष हुये नहर के निर्माण कार्य का विवरण 'परिशिष्ट क' में दर्शाया गया है।

(3) राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट योजनायें राजस्थान सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अंतिम निर्णय होने पर ही आगे कार्यवाही हो सकेगी।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1977-78 में हुये राजस्थान नहर के निर्माण कार्य का विवरण

(1) राजस्थान मुख्य नहर कि. मी. 0 से 74 तक के क्षेत्र की शाखाओं तथा वितरिकाओं पर 260 कि. मी. की लम्बाई में पक्का (लाईनिंग) का कार्य किया गया।

(2) प्रथम चरण कि.मी. 74 से 189 के अन्तर्गत 1977-78 में निम्न प्रकार से निर्माण कार्य पूरा किया गया:—

(1) वितरिकाएं : कि.मी. 74 से 189 मय पूगल शाखा व लूनकरनसर बीकानेर जलोत्थान योजना पर 155.60 कि.मी. लम्बाई में पक्का करने (लाईनिंग) का कार्य किया गया।

(राजस्थान नहर मंत्री)

उत्तर

(2) जलोत्थान नहर पर 210 कि. मी. लम्बाई में पक्के धोरों (लाइन्ड वाटर कोर्सेज) का कार्य किया गया।

(3) द्वितीय चरण में राजस्थान मुख्य नहर पर 27.62 कि.मी. पक्का करने (लाईनिंग) का कार्य किया गया तथा वितरक प्रणाली पर 15.44 कि. मी. पक्का करने (लाईनिंग) का कार्य किया गया।

भीलवाडा की लेबर कोलोनी

16. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा लेबर कोलोनी में कितने मकान हैं ?

(2) उक्त कोलोनी में किस रेट पर कितने-कितने मकानों का कितना कितना किराया वसूल किया जा रहा है ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) लेबर कोलोनी के अन्तर्गत आने वाली सड़कों पर बिजली तथा सार्वजनिक नलों का भुगतान कौन करता है ?

(4) क्या यह सही है कि 20-20 साल से बसे हुए मजदूरों को श्रम कार्यालय जबरदस्ती मकानों से निकालना चाहता है ?

(1) 500 (सिंगल क्वार्टर 400 व बड़े डबल क्वार्टर 100)

(2) रु. 5/-प्रतिमाह सिंगल क्वार्टर का व रु. 12/-प्रति माह डबल क्वार्टर का किराया वसूल किया जाता है।

(3) नगर परिषद्।

(4) जी नहीं।

पंचायत समितियों के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों को शिक्षा विभाग में लने का मामला

17. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों को शिक्षा विभाग अपने अन्तर्गत लेने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कों तथा यह कब तक हो जावेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

राज्य में बन्दूक की लाइसेन्स प्रणाली

18. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बन्दूक की लाइसेंस प्रणाली कब चालू की गई थी और यह प्रणाली किस उद्देश्य से चालू की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि टोपीदार बन्दूक की लाइसेन्स फीस 75 पैसे है ? क्या यह भी सही है कि बन्दूक का लाइसेंस हर तीन साल बाद नवीनीकृत किया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बन्दूकधारी को अपनी बन्दूक का लाइसेन्स नवीनीकरण कराने आने जाने में काफी खर्चा करना पड़ता है तथा इस कार्य में कई दिन लग जाते हैं ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1878 के प्रावधानों के अधीन शस्त्र नियम 1951 दिनांक 8-8-1951 से इस राज्य में लागू किये गये थे, जिसके अन्तर्गत लाइसेन्सिग प्रणाली का प्रावधान है। तत्पश्चात् आर्म्स अधिनियम, 1959 व नियम 1962 दिनांक 1-10-62 से लागू किये गये। आर्म्स अधिनियम व नियम केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

(2) वर्तमान नियमों में लाइसेंस के स्वीकृति की फीस एक रुपया है और सालाना नवीनीकरण करने की फीस 50 पैसे है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन देय है। कोई भी लायसेंस 3 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है और उतनी ही अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जा सकता है।

(3) जी हां कठिनाई तो होती है। आने जाने में खर्चा लगाना लाइसेंसधारी के निवास-स्थान पर निर्भर है।

अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था की योजना

19. **श्री लालशंकर डेंडोर** (सागवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आवासीय व्यवस्था के बारे में कुछ योजना बना रखी है (विशेषकर जनजाति क्षेत्र जिला डूंगरपुर में) ? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ होगी तथा यह योजना क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

बृजमोहन सर्राफ मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मण्डावा (झुन्झुनूं) में महिला चिकित्सक का पद

20. **श्री औंकारलाल चौहान** (अटरू) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री बृजमोहन सर्राफ मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा (झुंझुनूं) में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है ?

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र की स्थापना से अब तक केवल कुछ अवधि के लिए ही महिला चिकित्सक लगाई गई थी ? यदि हां, तो इसकी उपेक्षा का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र से महिला चिकित्सक के अभाव में जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक महिला चिकित्सक को पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जुलाई 1978 से पद रिक्त है।

(2) इस केन्द्र में महिला चिकित्सक के पद की स्वीकृति 1–7–75 से हुई। किन्तु महिला चिकित्सक के अभाव में दिनांक 17–7–75 से 31–8–77 तक पुरुष चिकित्सक ने कार्य किया। तत्पश्चात् 1–9–77 से महिला चिकित्सक पद स्थापित हुई। जिन्होंने 30–6–78 तक कार्य किया।

(3) जी नहीं। महिला चिकित्सक का पद स्थापन कर दिया गया है।

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं

21. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें अपर्याप्त नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले बजट सत्र में सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं अपर्याप्त न होने के सम्बन्ध में एक प्रश्न के जवाब में मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि यह कानून बहुत पुराना हो गया है और इसमें हम कुछ संशोधन कर सैनिकों को अधिक सुविधा प्रदान करना चाहते हैं ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री के सदन में दिये गये आश्वासन के पश्चात् सैनिकों को प्रदान की गई सुविधाओं की सम्पूर्ण प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्तमान में सैनिकों को दी जाने वाली सुविधायें पर्याप्त हैं।

(2) पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के क्रम में दी राजस्थान सीविल सर्विसेज (अबजोर्शन आफ एक्स सर्विस पर्सनल) नियम 1959 का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक भूतपूर्व सैनिकों का राजकीय सेवा में नियोजन किया जा सके। बजट सत्र से अब तक सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को दी गई सुविधाओं की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२०९)

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

भूतपूर्व /सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों को प्रदान की गई सुविधायें

देय सुविधाओं के अन्तर्गत मृतक सैनिकों के आश्रितों, विकलांग सैनिकों और शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को निम्न प्रकार सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं :-

श्रेणी का नाम	भूमि आवंटन		नकद अनुदान	
	सैनिकों की संख्या	आवंटित भूमि बीघों में	सैनिकों की संख्या	राशि रु.
1. मृतक सैनिकों के आश्रित	11	145	-	-
2. स्थायी विकलांग सैनिक	8	125	5	7,000/-
3. शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक	3	50	6	8,000/-
4. भूतपूर्व सैनिक/सेवारत सैनिक	108	478	-	-
योग	130	798	11	15,000/-
5. भू-खण्ड आवंटन		12		
6. पुनः नियोजन		724		
7. शिक्षा सुविधा (छात्रवृत्ति)		2207		5,75,797/-
8. विधवाओं को आर्थिक सहायता		-		5,34,320/-
9. अन्य आर्थिक सहायता (चिकित्सा, विवाह, सिलाई आदि)				1,40,347/-

गांवों में दवाई विक्रेताओं के लाइसेन्स

22. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)--क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गांवों में दवाई विक्रेताओं के लाईसेन्स कितने पढ़े लिखे युवकों को दिये जाते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि गांवों में 10 वीं 11 वीं विज्ञान तक पढ़े लिखे युवकों को दवाई बेचने का लाइसेन्स दिया जावे ?

उत्तर

(1) ड्रग्स एवं कोसमेटिक्स अधिनियम, 1940 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार

(चिकित्सा मंत्री)
द्वारा बनाये गये नियम 1945 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान के अनुसार जो स्वयं क्वालीफाइड व्यक्ति है अथवा वह क्वालीफाइड व्यक्ति की सेवा उपलब्ध कर लेता है उसे ही लाइसेन्स दिया जाता है।

(2) नियमों में परिवर्तन कर छूट देने का निर्णय भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीयकृत छोटे मार्गों पर निजी बस मालिकों को बस चलाने की अनुमति

23. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जिनकी दूरी थोड़ी है, वहां पर निजी बस मालिकों को बस चलाने की अनुमति देने जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार की तरफ से पथ परिवहन निगम को इस प्रकार के आदेश या सुझाव दिये गये हैं?

(3) क्या राज्य सरकार का राज्य पथ परिवहन निगम का पूर्ण रूप से नेशनेलाइजेशन करने की घोषित नीति में कुछ संशोधन करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार की नीति राज्य में उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण की है।